खण्ड-164, अंक-4
गुरूवार, 22 पौष, शक संवत् 1877
(12 जनवरी, 1956 ई0)

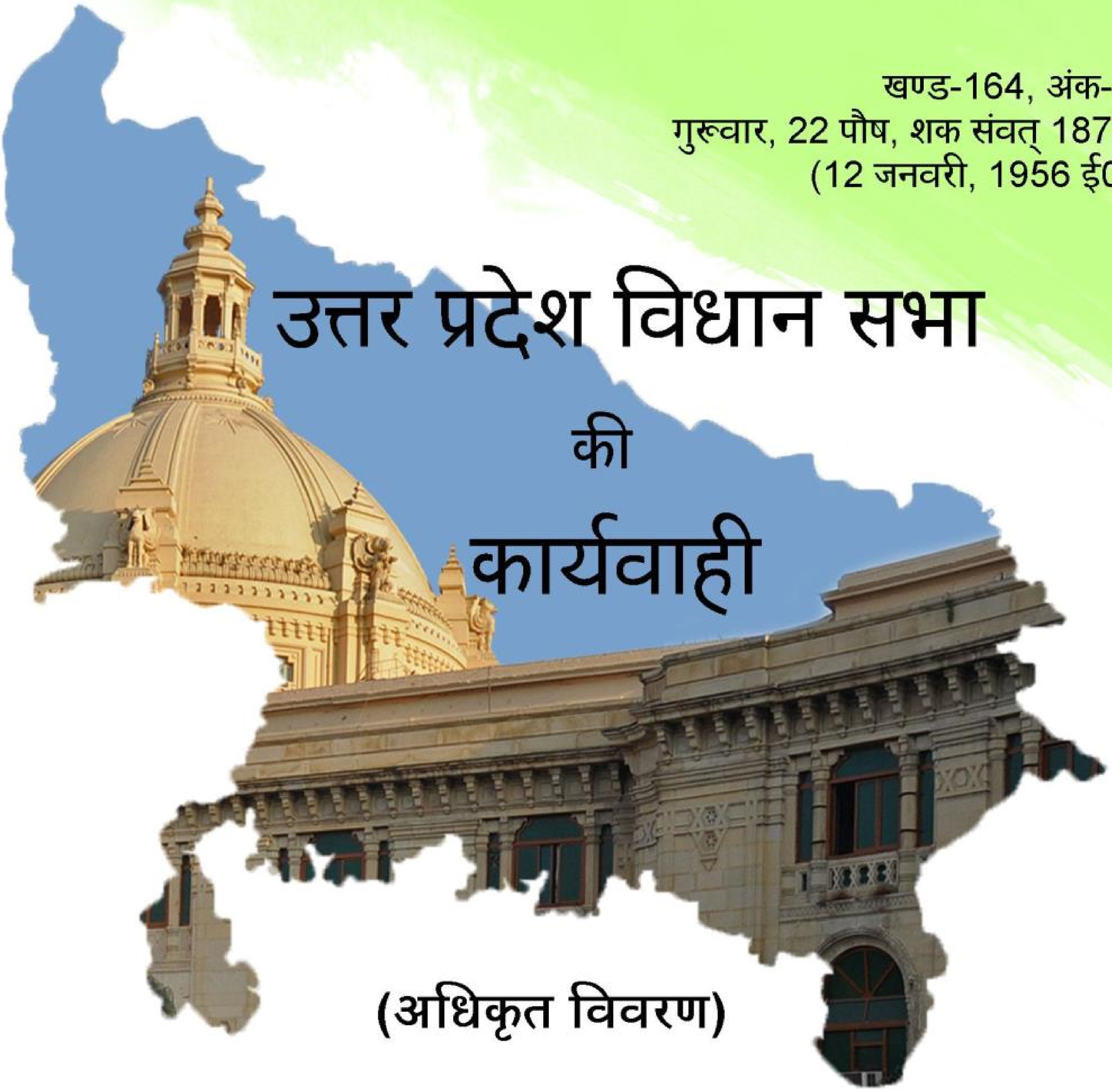

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LITERATURE LIBRARY
12 MAR 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १२ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोबिन्द पंत की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री

जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री

लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सँग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीतराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुंदरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

—:o:—

वृहस्पतिवार ,१२ जनवरी ,१९५६

—:o:—

अल्प–सूचित तारांकित प्रश्न

प्रादेशिक अर्थ संख्या विभाग के चपरासी की रहस्यपूर्ण मृत्यु

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि प्रदेशीय अर्थसंख्या (Economics and statistics) विभाग के किसी चपरासी ने अकस्मात विगत मास में आत्महत्या कर ली ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—यह सही है कि इस विभाग का एक चपरासी दिनांक ३०–११–५५ को अपने बिस्तरे पर मरा पाया गया ।

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त आत्महत्या के सम्बन्ध में कोई जांच की ? क्या सरकार उक्त जांच के परिणाम पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केस पुलिस की जांच में है । शव परीक्षा से डाक्टर मृत्यु के किसी विशेष कारण का पता न लगा सके । अतः शव का अन्तर्कोष परीक्षा के लिये रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना मिली है कि इन चपरासी को ३० दिन का सर्विस टर्मीनेट होने का नोटिस दिया गया था और आत्महत्या किये जाने के दिन ही उनकी सर्विस समाप्त होने जा रही थी यही कारण आत्महत्या का भी था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सही है कि वह इस विभाग में टैम्पोरेरी आदमी था और उसकी सर्विस समाप्त कर दी गयी, लेकिन इस वजह से उसकी मृत्यु हुई या आत्महत्या उसने की, यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच भी की गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो जांच हुई, मैंने बतला दिया कि जब मृत्यु का कारण मालूम नहीं था तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया । अगर केमिकल एग्जामिनर कोई राय दें तो जांच की और गुंजायश होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इन चपरासी के आश्रितों को सहायता देने के सम्बन्ध में कुछ विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, अगर हर टेम्पोरेरी आदमी जो सर्विस से अलग किया जाय, उसके परिवार की मदद करने की बात की जाय तो सरकार का दिवाला निकल जायगा ।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के श्रमिकों की मांगें तथा सांकेतिक हड़ताल के लिए धमकी

**३—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि अगली ५ जनवरी को प्रतीक हड़ताल करने की सूचना चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों की यूनियन ने दे रखी है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—२० दिसम्बर, १९५५ को चुर्क इम्प्लाइज यूनियन ने चीफ इंजीनियर तथा असिस्टेंट मैनेजर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कुछ मांगें रक्खी थीं कि यदि उनकी मांगें तुरन्त न मान ली गईं तो वे ५ जनवरी, १९५६ को सांकेतिक हड़ताल करेंगे। चीफ इंजीनियर तथा असिस्टेंट मैनेजर ने यूनियन को ३० दिसम्बर, १९५५ को उत्तर भेजा जिसमें उन्होंने प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण किया। यूनियन ने ४ जनवरी, १९५६ को हड़ताल का नोटिस वापिस कर लिया। यूनियन की मांगों पर चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर द्वारा उनके सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का संक्षेप विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

श्रम कमिश्नर ने भी यूनियन को सूचित किया था कि फैक्ट्री के कर्मचारियों की समस्त वास्तविक कठिनाइयों को दूर किया जा चुका है और यूनियन ने जो नई मांगें की हैं उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं हैं। इसलिये उन्होंने भी यूनियन को सलाह दी थी कि वह हड़ताल करके मामले को व्यर्थ के लिये आगे न बढ़ायें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२३–३२४ पर)

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय नियोजन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मांग नम्बर १ के उत्तर में ३२७ स्थानों को स्थायी किया जा रहा है और शेष विचाराधीन हैं तो वह किसके विचाराधीन हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए एक बोर्ड नियुक्त कर रखा है जिसमें कि कुछ बाहर के आदमी हैं और विभागीय सचिव इत्यादि हैं जो कि उसका संचालन करते हैं और उसके विषय में जो निर्णय लेने होते हैं वे निर्णय लेते हैं। तो उस बोर्ड और सरकार के ही समक्ष ये मसले विचाराधीन रहते हैं। कुछ मजदूरों को स्थायी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। और उसके विषय में सरकार ने और उस बोर्ड ने कुछ निर्णय भी ले लिये हैं, ३२७ का निर्णय पहले ही हो चुका था कदाचित् अब वह संख्या ६२१ होने वाली है। सरकार को इस विषय में एक ऐसे व्यक्ति से सलाह भी लेनी पड़ी जिसे सीमेंट की फैक्ट्री चलाने का कुछ तजुर्बा है। जैसा कि मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि सरकार के पास अभी ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं कि जिनको विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों को चलाने का तजुर्बा हो। इसलिये सरकार को कुछ उद्योग-पतियों से भी सलाह लेनी पड़ती है और वे अपने तजुर्बे से जो बातें हमारे समक्ष विचार करने के लिये रखते हैं उसका फायदा उठा कर हम निर्णय करते हैं कि एक फैक्ट्री के लिये जो कि अमुक कैपेसिटी की है कितने नौकर रखने चाहिये मजदूरों के रूप में और कितने व्यक्ति रखने चाहिये आपरेशनल स्टाफ के रूप में। उनकी सलाह से हम स्वयं विचार करके निर्णय करते हैं कि कितने व्यक्तियों को स्थायी होना चाहिये और कितनों को नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिस उद्योगपति का जिक्र माननीय नियोजन मंत्री ने किया है वह डालमिया जी हैं जिनकी तरफ इशारा माननीय व्रजभूषण मिश्र जी ने कुछ दिन पहले किया था कि उनके एजेन्टों ने लेबर में स्ट्राइक कराने की चेष्टा की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— वह उद्योगपति नेवाटिया जी हैं और जयदयाल जी हैं। डालमिया शायद उनके नाम के पीछे लगता है लेकिन उनका सम्बन्ध उस फैक्ट्री से नहीं है जिसकी तरफ इशारा माननीय व्रजभूषण जी ने किया था। वह फैक्टरी शान्ति प्रसाद जैन की है जो कि मिर्जापुर फैक्टरी के नजदीक है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बोर्ड सरकार ने बनाया है उसमें कौन-कौन उद्योगपति लोग मेम्बर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उद्योगपति तो अगर नेवाटिया जी को उद्योगपति मान लिया जाय तो वे हैं और तो सरकार के सचिवगण हैं. फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं, पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी हैं, फूड कमिश्नर हैं, इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी हैं और चीफ इंजीनियर सिंचाई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम मंत्री के घोषणानुसार चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की भी कोई योजना बनायी है। अगर हां, तो वह कब से कार्यान्वित होने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सरकार की फैक्ट्री का सम्बन्ध है उसके लिए वह विषय तो अभी उठता नहीं है जिसकी तरफ माननीय सदस्य ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि सरकार भी श्रमिकों के प्रतिनिधि रूप में विभिन्न संस्थायें चलाती है और कार्य करती है। बहरहाल, यह प्रश्न नये ढंग से उठाया गया है इसके ऊपर सरकार विचार करेगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हड़ताल की नोटिस दी गयी थी जिस यूनियन के द्वारा उसका संचालन बिहार के लीडर लोग करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा मुझे बताया गया है कि राज्य के बाहर के लोग आते हैं और वे उसका संचालन करते हैं, प्रदेश के नेता उसका संचालन नहीं करते हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि ये लीडरान जो आते हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा मुझे बताया गया है कि वे प्रजा समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन पूंजीपतियों ने चुर्क फैक्ट्री के काम को इस तरह सैबोटेज करने की कोशिश की है उनको यहां कुछ नयी फैक्ट्रियां खोलने में सरकार सुविधा देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो सरकार के सामने बहुत से पूंजीपतियों द्वारा फैक्ट्रियां खोलने के मसले पेश हैं। सरकार के पास कोई अभी ऐसा लिखित रूप में या और किसी प्रकार का प्रमाण नहीं आया कि अमुक व्यक्ति किसी फैक्ट्री के तोड़ने-फोड़ने का प्रयास कर रहा है। जब सरकार इस निर्णय पर पहुंच जायगी तो अवश्य ऐसे व्यक्ति की अर्जी पर जो कि पब्लिक सेक्टर में फैक्ट्रियों के चलने में बाधा डालता है विचार नहीं करेगी।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों से संबंधित कौन-कौन से कानून लागू हैं ?

श्री बनारसी दास—वहां फैक्ट्री ऐक्ट लागू हैं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाकी लेबर लाज वहां कब तक लागू कर दिये जायंगे ?

श्री बनारसी दास—बाकी जितनी सुविधायें और मजदूरों को प्राप्त हैं वह सब इनको भी प्राप्त हैं फिर भी लेबर कमिश्नर और डायरेक्टर गौर कर रहे हैं कि यह सब कानून वहां लागू कर दिये जायं। वैसे यह गवर्नमेंट फैक्ट्री है इसलिये उनको रिप्रेजेंटेशन वगैरा सीधे गवर्नमेंट को करने का अधिकार है इसलिये अभी तक यह अमल में नहीं लाया जा सका है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री बनारसी दास—यह तो जवाब दिया जा चुका है कि इंडस्ट्रियल ऐक्ट लागू करने का मंशा यह था कि मिल मालिकों और मजदूरों में जो झगड़े होते हैं उनका रिकंसीलियेशन हो सके। लेकिन यहां ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई और हर मजदूर को अपील करने का हक है। लेकिन फिर भी इन कानूनों को लागू करने पर गौर किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार मजदूरों के अखिल भारतीय संगठन के स्वरूप को देखते हुये यह अवैधानिक मानती है कि किसी दूसरे प्रांत के मजदूर कार्यकर्ता या बिहार के मजदूर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के मजदूर संगठन में आकर काम करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार इसको अवैधानिक कैसे मानेगी और न यह अवैधानिक मानती है लेकिन जब ऐसी घटनायें सरकार के समक्ष आ जाती हैं, जिनका संबंध और घटनाओं से जुड़ जाता है तो सरकार और उसके अधिकारी उन दलों के कार्यकर्ताओं के विषय में कुछ अपनी-अपनी राय अवश्य बताते हैं जो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में बाधा डालने के लिये प्रयत्न करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहां के श्रमिक वर्ग में काम करने वाले नेतागण पब्लिक सेक्टर में कार्य करने वाली फैक्टरियों के साथ भी वही बर्ताव करना चाहते हैं जैसा कि वह प्राइवेट सैक्टर वाली फैक्ट्रियों के साथ करते हैं। हमारा कथन है कि पब्लिक सेक्टर में चलने वाली फैक्ट्री और प्राइवेट सेक्टर के अन्तर्गत चलने वाली फैक्ट्रियों में विभिन्नता होती है। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर होता है। पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्री का कोई विरोध मजदूरों के हितों में नहीं होता। पब्लिक सेक्टर अभी अभी प्रारम्भ हुआ है और वह एक तरह से बहुत बड़े इम्तहान से गुजर रहा है और उसे अच्छी तरह से गुजरने की जरूरत है। चाहे बिहार से आने वाले श्रमिक दल के लोग हों चाहे वे प्रदेश की श्रमिक समस्याओं में हिस्सा लेते हों, उनका कर्त्तव्य है कि वह ऐसी चीजें न करें जिससे पब्लिक सेक्टर खतरे में पड़ जाय और प्रत्येक हिस्से में उसकी अयोग्यता प्रगट होने लगे।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को खबर है कि जिस डालमिया का जिक्र माननीय व्रजभूषण मिश्र ने किया है, उनसे संबंध रखने वाले श्री चतुर्वेदी जी चीफ इंजीनियर वहां पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डालमिया से संबंध रखने वाली बात तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन जिनको नौकरी दी गई है वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दी गई है। हो सकता है कि वह कभी शांतिप्रसाद की फैक्ट्री में नौकर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बोर्ड में कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखकर उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी बताया कि यह प्रश्न एक दूसरे ढंग से आया है कि जो पब्लिक सेक्टर में फैक्ट्रियां काम करती हैं उनमें श्रमिकों के प्रतिनिधि रखे जायें या नहीं। इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन यह सरकार अपने को श्रमिकों का प्रतिनिधि मानती है। इसने जिन प्रतिनिधियों को वहां रख छोड़ा है, जो अधिकारीगण वहां हैं वह सरकार की उसी नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकार श्रमिकों के प्रति बरतती है और इसलिये अब जिस तरह से हम फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें श्रमिकों के हित भी सुरक्षित हैं।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व श्रम मंत्री और आज के मुख्य मंत्री सरकारी कारखानों में लेबर लाज जारी करने के पक्ष में थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विरोध तो हमें है नहीं। अब तो कानून ऐसा आ रहा है कि चाहे सरकारी कारखाने हों या पब्लिक के, उन सब में वही कानून लगेंगे जो कानून अब तक अन्य कारखानों में लगते रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—जो लेबर नेता बिहार आदि से आते हैं और यहां असंतोष पैदा करते हैं उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की ? और नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कार्यवाही करने का विषय है जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सेक्टर में ऐसी फैक्ट्री की स्थापना हमारा एक बड़ा और पहला प्रयास है। हम नहीं चाहते कि ऐसे व्यक्ति जो वहां आते रहते हैं और गड़बड़ी करते हैं और जिनके बारे में शिकायत आती है उनके खिलाफ हम कोई ऐसी कार्यवाही करें कि जो फैक्ट्री के संचालन में शुरू से ही गड़बड़ी डाल दें। हमने बार बार इस बात की चेष्टा की है समझा बुझा कर कि हम पब्लिक सेक्टर में कायम की हुई इस फैक्ट्री को उन्नतिशील देखना चाहते हैं और इसलिये वे कोई ऐसी कार्यवाही न करें कि जिससे इसके संचालन में कोई बाधा हो, इसके चलाने में कोई दिक्कत पड़े और इसीलिये हमने कोई कानूनी तरीके का प्रयोग नहीं किया कि जिससे लोगों को हम जेलखाने भेज सकते। हमारा विश्वास रहा है कि कदाचित् आगे आने वाले समय में वे लोग जो इस तरह की नीतियां बरत रहे हैं, अपनी नीति में परिवर्तन लायेंगे और ये व्यक्ति भी देश में और प्रदेश में पब्लिक सेक्टर में उद्योग धंधों को पनपते और बढ़ते देखना चाहेंगे और हमारे साथ सहयोग करेंगे और संचालन में मदद करेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनियन ने जो हड़ताल का नोटिस दिया था उसमें कोई कारण बताया था और क्या मंत्री जी को खबर है कि हड़ताल इसलिये वापस ली गई कि वहां के मजदूरों में डिवीजन हो गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसमें ऐसी बात है कि मजदूरों में डिवीजन हुआ था। क्योंकि मजदूरों की बहुत सी जो आवश्यकतायें और मांगें थीं वह तो उत्तरोत्तर पूरी की ही जा रही थीं और नाहक नोटिस हड़ताल का दिया गया था क्योंकि जिन बातों का वर्णन उस नोटिस में किया गया था उनके विषय में जून के बाद जुलाई में जो आदेश गये थे उनमें बहुत सी बातें वह सम्मिलित कर ली गई थीं जिनका चर्चा जून में उस नोटिस में की गयी थी जब पहली बार हड़ताल करने की बात उस समय उठाई गई थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की पृष्ठ भूमि में पब्लिक सेक्टर में लेबर लाज लागू करने के संबंध में अपना विचार स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विचार तो स्पष्ट कर दिया और आप क्या चाहते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या नियोजन मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में जो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है वह चाहे मजदूर यूनियन की तरफ से बाधा पड़ने के कारण हो या अफसरों की तरफ से ठीक कार्यवाही न होने के कारण हो, उसकी जांच कराई जाय ताकि उस पर पूरी रोशनी पड़ सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा जब प्रोडक्शन कम होता है तो उसकी जांच मंत्रिगण और सचिवगण के द्वारा होती रहती है। सभी को उत्सुकता होती है कि किन कारणों से वह कमी हुई है। तब उत्तरोत्तर उस जानकारी के बाद इस बात की चेष्टा होती है कि जिन कमियों के कारण, जिन दिक्कतों के कारण देर और जिन अनुभवों के न होने के कारण वह कमी होती है वह शीघ्रता से दूर की जाय और ऐसे व्यक्तियों से सहायता और सहयोग लिया जाय, परामर्श लिया जाय जो कि उद्योगों को चलाने में माहिर हैं और जिनको कुछ तजुरबा हासिल है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से उत्तरोत्तर यह प्रयास होता रहता है कि फैक्ट्री में जो कम उत्पादन हो रहा है वह शीघ्र ही बढ़े और खामी और दिक्कतें रफा की जायं।

गाजीपुर जिले में काजी टोला स्टीमर घाट का ठेका समाप्त करने का निर्णय

**४--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजीपुर जिला में काजी टोला स्टीमर घाट का ठेका समाप्त कर दिया गया है?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--ठेका समाप्त करने का निर्णय किया जा चुका है लेकिन यह निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हो सका है।

**५--श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्यों?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--ठेकेदार ने पट्टे की बहुत सी शर्तों का उल्लंघन किया है।

विधायक निवासों के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

**६--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों में कितने फर्राश, चौकीदार आदि नौकर हैं और उनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)--तीनों विधायक निवासों के कर्मचारियों की संख्या ११५ है। इनमें से २१ स्थायी हैं और ९४ अस्थायी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि २१ कर्मचारियों को जो इस समय मुस्तकिल किया गया है इसके अलावा जो और ६३ कर्मचारी और थे उनके लिये फरवरी सन् १९५२ के बजट में ही मुस्तकिल करने का प्राविजन किया गया था?

श्री धर्म सिंह--इस तरह का प्रश्न अवश्य विचाराधीन था, लेकिन अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि ६३ के बाद जो ४२ बच गये हैं उनको भी परमानेंट किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन २१ कर्मचारियों को मुस्तकिल करने के आदेश कब जारी किये गये?

श्री धर्म सिंह--इसको काफी वक्त हो गया जब कर दिये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि यह विधायक निवास से संबंधित मिनिस्टीरियल स्टाफ जनवरी, १९५२ से मुस्तकिल किया गया, लेकिन चौकीदार और फर्राशों को अप्रैल सन् १९५६ से मुस्तकिल किया जाने वाला है?

श्री धर्म सिंह--इसके लिये नहीं कहा जा सकता है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या यह सही है कि विधायक निवास परामर्शदात्री समिति ने यह सिफारिश की है कि विधायक निवास के कर्मचारियों को वही सुविधा दी जाय जो सेक्रेटेरियट के चपरासियों को दी जाती है?

श्री धर्म सिंह--सिफारिश अवश्य थी और उस पर विचार किया गया, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ६४ जो अस्थायी कर्मचारी हैं इनकी नौकरी ३ साल से ज्यादा हो गयी है ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

विधायक निवास के राज्य कर्मचारियों को वर्दी न मिलना

***७—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास के राज्य कर्मचारियों को कोई वर्दी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास के कर्मचारियों को रुपये की कमी के कारण कोई वर्दी नहीं दी जाती है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो कर्मचारी विधायक निवास में काम करते हैं उनकी वर्दी पर कितना व्यय होता है ?

श्री धर्मसिंह—इसका इस्टीमेट बनाया गया था । एक साल में लगभग ४ हजार रुपये का अनुमान होता है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को जो वर्दी दी जाती है वह खादी की है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों के वेतन से काटकर उन कर्मचारियों के लिये वर्दी बनवावेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तारांकित प्रश्न

***१-२—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—[१३ जनवरी, १९५६ के प्रश्न १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नान क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज को उन्नत बनाने का विचार

***३—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि प्रदेश में नान-क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या में दिन प्रति दिन कमी हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी नहीं, प्रदेश में नान क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या में कमी नहीं हो रही है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सोसाइटियों की कुल कितनी संख्या है और ये काम क्या कर रही हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—संख्या तो इस समय ८०८६ है और काम बहुत से कर रही हैं । बहुत तफसील है और उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । सन् १९५१-५२ में ७५६० थीं और अब ८०८६ हैं । इस समय क्रेडिट का काम काफी जोरों से किया जा रहा है इसलिये इसकी प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी और की है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या इन सोसाइटियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—पंचवर्षीय योजना में काफी जोरों से नानक्रेडिट सोसाइटीज बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा और उस पर खर्चा भी होगा ।

बस्ती जिले के धवायमानपुर केस के राजबन्दी श्री राममुहम्मद सिंह आजाद तथा श्री गोमतीप्रसाद के स्वास्थ्य के बिगड़ने की शिकायत

*४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि धवायमानुपुर (जिला बस्ती) केस के राजबन्दी तथा आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कैप्टेन श्री राम मोहम्मद सिंह आजाद (आजीवन कालापानी दंड प्राप्त बन्दी) को आगरा जेल में T. B. हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। कैदी राम मोहम्मद सिंह को ऐसी कोई बीमारी नहीं है।

*५--श्री झारखन्डे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें किसी स्वास्थ्य-प्रद स्थान पर ट्रांसफर कर उनकी समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध करने की व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ही नहीं उठता।

*६--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि धवायमानपुर (जिला बस्ती) के राजबन्दी श्री गोमती प्रसाद वर्षों से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कोलाइटिस से पीड़ित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। बन्दी गोमती प्रसाद जेल में कोलाइटिस से कभी भी पीड़ित नहीं रहे।

आजमगढ के डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेन्ड के विरुद्ध डी० आई० जी० बनारस की जांच

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध डी० आई० जी० बनारस ने कोई इन्क्वायरी की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस इन्क्वायरी का परिणाम क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही की गई।

*९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध इन्क्वायरी हुई थी क्या वे पेंशन लेकर चले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। वह अवकाश ग्रहण करने से पूर्व की छुट्टी पर चले गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० आई० जी० पुलिस ने किन-किन शिकायतों पर जांच की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कई शिकायतें थीं, मसलन अपराध के नियंत्रण में सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को काफी सहायता न देना, जितनी तत्परता से काम करना चाहिये उतनी तत्परता से काम नहीं करना, इसी किस्म की कई शिकायतें थीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इस जांच के बाद उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

नोट--तारांकित ४-६ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनको डी० एस० पी० के पद से हटा कर इन्स्पेक्टर के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सरकार के पास उन्होंने उस सजा के संबंध में कोई अपील की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी मेरे पास देखने में ऐसी कोई अपील नहीं आई है ।

इलाहाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी ने इलाहाबाद नगरपालिका के बाहर झूंसी गांव में भी बिजली फैलाने का काम ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं ।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी की मशीन पुरानी होने के कारण नगर में काफी समय तक प्रायः अंधेरा पड़ा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार वहां की बिजली की दिक्कतों को देखते हुये वहां की मशीन की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जांच कराई गई और उसी के आधार पर कहा गया है ?

नैनीताल जिले की पट्टी चौगड़ में नरभक्षी शेर का आतंक

*१२—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला नैनीताल के पट्टी चौगढ़ में एक शेर कई आदमियों को मार चुका है ? क्या उसको मारने का कुछ प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक नरभक्षी शेर द्वारा उस हल्के में तीन आदमियों के मारे जाने की खबर मिली है । इस पशु को मारने के लिये माल व वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त स्थानीय व अन्य शिकारियों को भी इसे मारने के लिये कहा गया है और २५० रु० का पुरस्कार भी घोषित किया गया है ।

श्री खुशीराम—२५० रुपये का पुरस्कार कब और किस तारीख को घोषित किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आमतौर से शेर के लिये सन् ५० में एक आर्डर निकला था २०० रुपये का । वह अब २५० कर दिया गया है । तारीख इस समय मैं बगैर सूचना के नहीं बता सकता हूं ।

श्री खुशीराम—क्या इस किस्म के और शेर उस इलाके में लगे हुये थे और उन्हें इब्राहीम साहब ने मारा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस शिकारी ने कितने शेर मारे, मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुये कि वहां समय-समय पर आदमखोर शेर इस प्रकार का नुकसान किया करते हैं, वहां कोई स्थायी प्रबन्ध कराने की कृपा सरकार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थायी प्रबन्ध और क्या हो? लोगों के पास लाइसेंस हैं और यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसे शेरों को मारने वालों को इनाम दिया जायगा। अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे।

रिहन्द डैम के सम्बन्ध में पूछताछ

*१३—श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द डैम को बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

श्री धर्मसिंह—अभी तक किये गये कार्यों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

*१४—श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक रिहन्द डैम के बनाने में कितना व्यय हो चुका है?

श्री धर्मसिंह—अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक २१३ लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है।

श्री उमाशंकर—रिहन्द डैम कब तक बनकर तैयार हो जायगा?

श्री धर्मसिंह—जो उसका निर्धारित समय है उसके अन्दर बनकर तैयार हो जायगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—जो कार्यों की सूची दी हुई है क्या उसमें बहुत सी आइटम्स छोड़ दी गई है?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या यह सही है कि चुनावातालाब से इसे निकालने का प्रयत्न किया गया था और पक्की सड़क बनाई गई और बाद में उसे छोड़ कर दूसरी जगह से खुदाई प्रारम्भ कर दी गई है?

श्री धर्म सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—जिस तरीके से कार्य हो रहा है क्या उससे निर्धारित समय के अन्दर रिहन्द डैम पूरा हो जायगा?

श्री धर्मसिंह—उम्मीद तो ऐसी की जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रिहन्द डैम बनाने में कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं।

श्री धर्मसिंह—यह इस समय बतलाना कठिन है। नोटिस की आवश्यकता है।

आजमगढ जिलान्तर्गत मधुबन थाने के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत अप्रैल से लेकर अगस्त, १९५५ तक कितनी चोरियां, डकैतियां, कत्ल और बलवे किन-किन गांवों में हुये?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके तथा जिलाधिकारियों के पास उक्त दिनों में ही कुंवरपुरवा, प्यारेपुर, तिघरा, अलीपुर, जहानाबाद मेहदिया, कुंड, भैरोंपुर, गाजियापुर, सिपाह, इब्राहीमाबाद आदि ग्रामों से ठीक रिपोर्ट न लिखने मार कर रुपया ऐंठने, मुकदमा न चलाने आदि तरह-तरह की शिकायतें उक्त थाने के विरुद्ध आई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, इस प्रकार की कुछ शिकायतें जिला अधिकारियों के पास ग्राम गाजियाबाद, तिघरा, अलीपुर, जहानाबाद, भैंरोपुर तथा कुछ अन्य ग्रामों से आई थीं।

*१७—श्री रामसुन्दर पान्डेय—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन शिकायतों की जांच सर्किल आफिसर और सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा की गई। अधिकांश शिकायतें तो गलत पाई गयीं। एक मामले के आधार पर स्टेशन अफसर के विरुद्ध तथा एक अन्य मामले में एक हेड कांस्टेबुल के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे जो मामले स्टेशन आफीसर और हेड कान्सटेबिल के खिलाफ थे वे कौन-कौन से मामले थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ तिगरा गांव के संबंध में शिकायत थी और हेड कान्सटेबिल के खिलाफ कई गाँवों के संबंध में शिकायत थी। सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ एडवर्स एंट्री दी गयी है और हेड कान्सटेबिल को भी सजा दे दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो यह शिकायतें साबित पायी गयीं, वे क्या थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ यह शिकायत थी कि उसने एक रिपोर्ट नहीं लिखी थी। हेड कान्सटेबिल के खिलाफ यह शिकायत थी कि उसने गांव में जाकर मारपीट की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह हेड कान्सटेबिल उसी थाने में मौजूद है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी इत्तला नहीं है।

मिर्जापुर जिले में चौपन गांव के पास बनने वाले पावर हाउस का कार्यक्षेत्र

*१८—श्री रामस्वरुप (जिला मिर्जापुर)—क्या विद्युत मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अस्थायी पावर हाउस जो जिला मिर्जापुर के चौपन गांव के पास बन रहा है, उसमें किन-किन स्थानों को बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—मिर्जापुर के चोपन गांव में बनने वाला अस्थायी पावर हाउस रिहन्द बांध के निर्माण के लिये बिजली देगा। इससे रिहन्द योजना से संबंधित इमारतों को भी बिजली दी जायेगी।

*१९—श्री रामस्वरूप—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पावर स्टेशन (हाउस) कब बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री धर्म सिंह—सन् १९५६ के अन्त तक।

*२०—श्री रामस्वरूप—क्या सरकार इस पावर स्टेशन के द्वारा पास वाले उन्नतशील राबर्ट्सगंज (टाउन एरिया) कस्बे को भी बिजली देने का विचार रखती है?

श्री धर्म सिंह—जी हां।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि राबर्टसगंज में सरकारी विभागों को बिजली दी गयी है और वहां के नागरिकों को बिजली नहीं दी गयी?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वह कहां तक ठीक है।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह बिजली पब्लिक परपजेज के लिये प्राप्त हो सकेगी अथवा डोमेस्टिक परपजेज के लिये?

श्री धर्मसिंह—जब पावरहाउस बनकर तैयार हो जायगा तब यह तय किया जायगा कि बिजली पब्लिक परपजेज के लिये दी जायगी अथवा इडस्ट्रियल परपजेज के लिये।

श्री रामस्वरूप—इस पावर हाउस की कितने किलोवाट की क्षमता होगी?

श्री धर्मसिंह—जो पावर हाउस बन रहा है उसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ६ हजार किलोवाट है और जो डैम साइट पर बन रही है वह २,८८० किलोवाट है।

मुन्सिफ पद पर हरिजनों की नियुक्ति

*२१—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५१ से१९५४ तक प्रति वर्ष हरिजनों के लिये मुंसिफ पद के लिये कितनी सीट रिजर्व की गई, तथा उनमें प्रति वर्ष कितने हरिजन उम्मीदवार नियुक्त किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य की मेज पर तालिका प्रस्तुत की जाती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

बलिया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली

*२२—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की योजना है? यदि हां, तो किन-किन गांवों को और कब तक?

श्री धर्मसिंह—जी हां। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में बलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की योजना है परन्तु यह अभी नहीं निश्चय हुआ है कि किन-किन गांवों और शहरों को बिजली दी जायेगी, अतएव कब तक इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो सकेगा नहीं बताया जा सकता।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देहात में जो बिजली देने की योजना है उसके अन्तर्गत केवल रोशनी के लिये बिजली दी जायगी या घरेलू उद्योग-धंधों के लिय भी बिजली दी जायगी?

श्री धर्मसिंह—अभी से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह रोशनी के लिये दी जायगी या क्या। यह तो जब वहां पर पैदा होने लगेगी तब तय किया जायगा कि कितनी बिजली उपलब्ध है।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव में बिजली देने का क्या क्राइटेरियन होगा, यानी किस बेसिस पर बिजली दी जायगी?

श्री धर्म सिंह—जिन गांवों को आसानी से कम से कम खर्च पर पहुंचाई जा सकेगी, दी जायगी। यही आधार है।

बनारस तथा मिर्जापुर जिलों में उपलब्ध वनस्पति से कागज का कारखाना चलाने का सुझाव

*२३—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस तथा मिर्जापुर जिलों में सलई के वृक्ष, बगई घास तथा बांस, बन पालन शास्त्र की दृष्टि से, क्या इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं कि उससे साधारण कागज का एक कारखाना चलाने भर के लिये काफी लुगदी बनाई जा सके ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी हां।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में चकिया में कागज का कारखाना खोलने के लिये किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से जमीन दी गई थी ? बहुत दिन हुए अभी तक वह कारखाना नहीं खोला गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतलायेगी कि जो अनुमान लगाया गया है वह कितने टन प्रतिदिन का अनुमान है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—किस स्थान की बाबत आप पूछ रहे हैं, मिर्जापुर, बनारस या दूधी ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मेरा सवाल यह है कि जहां का अनुमान आपने लगाया है उससे कितने टन प्रतिदिन कागज तयार होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—५० टन रोज का मोटे तौर पर अन्दाजा है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार वहां पर पेपर फैक्टरी खोलने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान में विचाराधीन है।

गाजीपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*२४—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को कितनी पेन्शनें दी जा रही हैं तथा इस वर्ष विशेषाधिकारी की नियुक्ति के अनन्तर अब तक किस-किस प्रकार की सहायता दी जा चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—३९ व्यक्तियों को ८७५ रु० ८ आना पेंशन दी जा रही है। विशेषाधिकारी की नियुक्ति के अनन्तर ३ व्यक्तियों को पेंशन तथा दो पेंशन पाने वालों को एक मुश्त सहायता दी गई है।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विशेषाधिकारी की नियुक्ति के बाद जो ३ व्यक्तियों को पेन्शन और दो को एक मुश्त सहायता दी जा रही है उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आम तौर से ऐसा रखा गया है कि जिन लोगों को सहायता किसी काम के लिये दी जाती है प्रायः पब्लिकली उनके नाम नहीं लिए जाते, और भी कुछ मौकों पर सदन ने इस बात का समर्थन किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—दो व्यक्तियों को जो यह सहायता दी गई है वह रकम कितनी कितनी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक को ५०० रुपया और दूसरे को ९०० रुपया ।

गाजीपुर जिले में पिस्तौल तथा रिवाल्वर के लाइसेंसों की जब्ती

*२५—श्री शिवपूजन राय—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिला के कई आदमियों की पिस्तौलें जिन्हें वे जान की रक्षा के लिये लिये थे, चालू वर्ष में जब्त कर ली गई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सन् १९५५, में गाजीपुर जिले में कुल १४ लाइसेन्स पिस्तौल तथा रिवाल्वर के जब्त हुए । इनमें से ११ ऐसे थे जिनके रखने वालों की आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकता यह हथियार रखने के योग्य नहीं पाई गई जिसके फलस्वरूप उनके लाइसन्स १९५५ के लिये "रिन्यू" नहीं किये गये । शेष तीन लाइसेन्स ऐसे थे जिनके लाइसेन्सदारों से शांति भंग होने की आशंका थी ।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ३ आदमियों पर शांति भंग की आशंका थी उनके क्या नाम हैं और उसका क्या आधार है ।

श्री जगनप्रसाद रावत—नाम तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन उनका चरित्र इस प्रकार का था कि उनके आसपास के रहने वालों ने आशंका प्रकट की कि अगर उनके पास रिवाल्वर रहा तो वह उससे नुकसान पहुचावेंगे ।

श्री उमाशंकर—क्या इन तीनों व्यक्तियों को जब लाइसेन्स दिया गया था तो क्या वह बगैर जांच किए ही दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिस समय लाइसेन्स दिया गया था उस समय परिस्थिति इस प्रकार की नहीं थी लेकिन बाद को जो हरकतें उसकी देखी गईं उनसे खतरा पैदा हुआ ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जब उनको लाइसेन्स दिए गए तब वे कांग्रेस पार्टी में थे और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब हरकतें खराब होती हैं तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर ही होना पड़ता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लाइसेन्स जब्त किए गए हैं उनकी जांच जब्त करने से पहले किसने की थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब्त करने से पहले जिलाधीश अपने को संतुष्ट करते हैं कि किसी के हथियार रिन्यू किए जायं या नहीं ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो शान्ति भंग का आरोप लगाया गया है उसकी इन्कवायरी की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, इन्क्वायरी के बाद ही जिलाधीश इस नतीजे पर पहुचे कि लाइसेन्स रिन्य न किए जायं ।

चौकीदारों की जगहों पर कान्स्टेबुलों से काम लेने की योजना का बघराय और सिकन्दराबाद पुलिस क्षेत्रों में परीक्षण

*२६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में चौकीदारी के पदों की समाप्ति कर उनके स्थान पर कोई विशेष पुलिस भर्ती करने की किसी योजना पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रथम परीक्षण प्रदेश में किस-किस स्थान पर किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, चौकीदारों को हटाकर उनके स्थान पर कांसटेबुलों को नियुक्त किए जाने की योजना पर विचार किया गया है और उसका प्रथम परीक्षण प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर जिलों में क्रमशः बघराय और सिकन्दराबाद पुलिस क्षेत्रों में किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मुख्य जी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षण बुलन्दशहर और प्रतापगढ़ जिले में कब से शुरू किये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी हाल ही में ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कांस्टेबिलों को कितना बड़ा क्षेत्र दिया गया है और उसमें उनके क्या-क्या कर्त्तव्य हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह जो है इनको पांच-पांच चार-चार गांव दिये गये हैं । उनको साइकिलें भी दी गई हैं और जो काम चौकीदार करते थे वह तो करेंगे ही उसके अलावा और भी जो उस इलाके में जानकारी की चीज होगी वह भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर और प्रतापगढ़ ही क्यों इस परीक्षण के लिये उपयुक्त समझे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर जो पुलिस की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें विचार हुआ था तो वहां पर जो एक सदस्य प्रतापगढ़ के थे उनको इस बात की बहुत इच्छा थी कि उनके जिले में इसका प्रयोग किया जाय इस लिये प्रतापगढ़ को चुना जाय । एक जिला जो भिन्न परिस्थितियों का हो पश्चिमी जिलों में से रखा जाय ऐसा विचार किया गया कि ऐसे २ या ३ जिले रखें जायं ताकि हम देख सकें कि कितना परीक्षण सफल हो सकता है । इसलिए बुलन्दशहर को इस परीक्षण के लिये चुना जाय यह तय हुआ था ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार चौकीदार के गांव सभा के प्रति जिम्मेदारी रहती है उसी प्रकार इन कांस्टेबिलों की जिम्मेदारी रहेगी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ लोगों की राय यह है कि चौकीदारी प्रथा की यही कमजोरी थी कि वह कुछ गांव सभाओं के दबाव में रहता था । दूसरे देशों में इस किस्म की कोई चीज नहीं है । तो यह समझा गया कि पुलिस को वहां रखा जाय और वह गांव सभा के प्रति जिम्मेदार नहीं है बल्कि दूसरे पुलिस वालों की तरह २४ घंटे का सरकारी नौकर रहता है वैसा ही वह रहेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौकीदारों को हटा कर जो कांस्टेबिलों को रक्खा गया है इन दो जिलों में तो उनके लिये कितना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इन दो प्रयोगों के करने में चौकीदारों पर ५,७०० रु० खर्च होते थे और कांस्टेबिलों को रखने में १४ हजार रुपये खर्च होंगे ।

*२७--**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)--[२ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ की मांगें

*२८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ की कुछ मांगें आई हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां । एक प्रति मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२८-३३२ पर)

*२९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त मांगों के संबंध में वन विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह मांगें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

वन विभाग के फारेस्ट गार्डों को २ रुपया मासिक वृद्धि न मिलने की शिकायत

*३०--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को सूचना मिली है कि अप्रैल, १९५५ में सरकार के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के २ रुपया मासिक वेतन बढ़ाये जाने के निर्णय को वन विभाग के फारेस्ट गार्डों पर लागू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो उपर्युक्त वेतन न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां । कारण यह है कि वेतन में यह वृद्धि केवल न्यून (inferior) कर्मचारियों के लिये लागू थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि फारेस्ट गार्ड की बुनियादी तनख्वाह २५ रुपये माहवार से शुरू होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, २५ रु० माहवार से ही शुरू होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन्फीरियर ग्रेड और सुपीरियर ग्रेड के कर्मचारियों में क्या फर्क है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह मान लिये जाते हैं । किसी को उसमें रख दिया जाता है । ये पुराने तीनों श्रेणियों के फारेस्ट गार्ड एक श्रेणी तथा सुपीरियर सर्विस में रखे गये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी की पिछले वर्ष की घोषणा को देखते हुये बिना इन्फीरियर सुपीरियर का ख्याल किये हुये इन फारेस्ट गार्डों की तनख्वाह बढ़ायेगी जिनको सिर्फ २५ रुपये बुनियादी तनख्वाह मिलती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्फीरियर सरविस के लिये ही कहा था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे कि सुपीरियर सरविस वालों को जिनको ३० रुपये से कम बुनियादी तनख्वाह मिलती है उनको २ रुपये और वृद्धि की जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*३१-३२—**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)—[२३ जनवरी, १९५६ के लिए प्रश्न २९-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले की अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी करने की मांग

*३३—**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिला में कितनी स्थायी और कितनी अस्थायी पुलिस चौकियां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला प्रतापगढ़ में २ स्थायी तथा २ अस्थायी पुलिस चौकियाँ हैं ।

*३४—**श्री रामनरेश शुक्ल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कुछ अस्थायी चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी बनाने की सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के सम्मुख एक ऐसा प्रस्ताव था परन्तु वह आर्थिक कठिनाई के कारण स्थगित कर दिया गया है ।

झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई से सम्बद्ध इमारतों का रख-रखाव

*३५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या यह बात ठीक है कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, उनके पति व श्वसुर की सब इमारतें, किला, महल, राजा गंगाधर राव का स्मारक तथा उनके नाट्य-शाला की नर्तकी गजरा का मकबरा आदि सरकार के अधिकार में है और वह स्वयम् उनका रख-रखाव करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गयी सूचना इस प्रकार है :

(१) किला .. झांसी कन्टूनमेंट के प्रबन्ध में है ।

(२) महल .. पुलिस विभाग के उपयोग में है ।

(३) राजा गंगाधर राव का स्मारक नगरपालिका झांसी के प्रबन्ध में है ।

(४) नर्तकी गजरा का मकबरा जिलाधीश झांसी के प्रबन्ध में है ।

*३६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री चतुर्भुज शर्मा, भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर, निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मी जी का मन्दिर राजकीय इमारत होने के कारण म्युनिसिपल बोर्ड व निर्माण विभाग में से किसके अधिकार में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मंदिर अभी तक किसी विभाग के अधिकार में नहीं रक्खा गया है । प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मंदिर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रखने की कृपा करेंगे ताकि उसका ठीक तौर से रख-रखाव हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह कहना कठिन है कि सार्वजनिक विभाग के मातहत मन्दिर को रख दिया जाय कैसे उसका प्रबन्ध होगा ? यह जरूर मालूम हुआ है कि ग्वालियर राज्य से किसी समय उसको कुछ रुपया मिलता था । लेकिन सरकारी मदद उसे कोई मिली हो ऐसा कोई रेकार्ड मिलता नहीं ।

*३७-३८—**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)—[१४ फरवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बलिया जिले में बन्दूक एवं रिवाल्वर के लाइसेन्सों का रद्द किया जाना

*३९—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५५ में बन्दूक एवं रिवाल्वर के लाइसेन्स जिला बलिया में कितने दिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बन्दूक तथा रिवाल्वर के कुल ४१ लाइसेन्स दिये गये ।

*४०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५५ में कितने बन्दूक एवं रिवाल्वर के लाइसेन्स जिला बलिया में रद्द एवं मुअत्तल किये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुल ४४ रद्द किये गए एवं ९ मुअत्तल किये गये ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—प्रश्न ३९ और ४० के जो उत्तर दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि जितने लाइसेंस दिये गये हैं उनसे ज्यादा रद्द या मुअत्तल किये गये हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में यह किन कारणों से ऐसा हुआ है जब कि इस सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जिलों में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दिये जायं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—लाइसेंस तो बराबर हर साल दिये जाते हैं। इस साल कुछ विशेष परिस्थिति में ज्यादा शिकायतें आयीं इस लिए ये रद्द किये । बाकी जितने भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी वह दिये जायेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम का कोई प्रश्न उठता नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर आरोप लगाकर कि उनमें झगड़ा है उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिये गये हैं जब कि उन्होंने मिल कर दरख्वास्त दी है कि हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब यह तो तफसील में नहीं जानता कि किस केस में क्यों रद्द किया गया। सम्भव है कि उनमें आपसी झगड़ा रहा हो और उनके आर्म्स के लाइसेंस जब्त किये गये हों और उनमें बाद में सुलह भी हो गयी हो। तो फिर वह दरख्वास्त दे दें उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा आदेश जिलों में तो नहीं गया है कि रिवाल्वर के लाइसेंस जब्त कर दिये जायं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा तो कोई आदेश नहीं गया है ।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन लोगों ने न तो आर्म्स ऐक्ट का ही कोई उल्लंघन किया, न कोई हथियारों का कोई दुरुपयोग ही किया उनके भी लाइसेंस मुअत्तल कर दिये गये हैं और उनको रिन्यु नहीं किये गये हैं न उनके खिलाफ कोई शिकायतें थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो किसी विशेष मामले की ओर अगर माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो उसकी जांच करके बता सकेंगे ?

श्री शिवमंगल सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अगर इस प्रकार के बहुत से केसेज उनके सामने रखे जायं तो इसको सूचना समझ कर इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो भी मामले माननीय सदस्य लायेंगे उन पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा ।

भारत–पाकिस्तान पासपोर्टों के लिये प्रार्थना-पत्र

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी इस वर्ष में पासपोर्टों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से तीन महीने से अधिक के कितने विचाराधीन हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५५ में भारत-पाकिस्तान पासपोर्टों के लिये कुल २९,७५८ प्रार्थना-पत्र आये। उनमें से दिसम्बर ३१, १९५५ तक तीन महीने से अधिक की अवधि के ११ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

अन्तू बीज गोदाम, जिला प्रतापगढ़ में अधिक वृष्टि से क्षति

*४२—श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अधिक वृष्टि से बीज गोदाम अन्तू, जिला प्रतापगढ़ में कितने मन गल्ले की क्षति हुई ?

वित्तमंत्री (श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम)—अन्तू बीज गोदाम, जिला प्रतापगढ़ में अधिक वृष्टि के कारण गल्ले की कोई क्षति नहीं हुई।

कोहडोर बीज गोदाम में गबन

*४३—श्री राम किंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोहडोर बीज गोदाम में कोई गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितने रुपये की कीमत के गल्ले का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आज से लगभग ढाई वर्ष पूर्व कोहडोर बीज गोदाम में गबन पकड़ा गया था और ३,०९८ रु० ५ आना की कीमत का गल्ला गबन हुआ।

*४४—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[१४ फरवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सुल्तानपर के सरकारी खजाने से डिस्टिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर के जाली दस्तखतों से रुपया निकालना

*४५—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार को पता है कि कुछ दिन हुये सुल्तानपुर के सरकारी खजाने से डि० ऐग्रीकल्चर आफिसर के जाली हस्ताक्षर द्वारा कुछ हजार की रकम निकाली गई ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*४६—श्री रामबली मिश्र—यदि हां, तो वह रकम कितनी थी और उसका उपयोग किस प्रकार हुआ ? क्या सरकार ने रुपया निकालने वाले कर्मचारी की कुछ जांच की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री धर्मसिंह—कुल रकम ९,८९५ रुपया १३ आने की थी। किस प्रकार उसका उपयोग हुआ इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। जांच की गई। हैन्डराइटिंग एक्सपर्ट ने बतलाया है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर आफिसर के जाली हस्ताक्षर रुपया निकालने वाले कर्मचारी ने ही बनाये थे। आई० पी० सी० की धारा १७०/४२०/४६७/४७४ के अधीन कर्मचारी का चलान किया जा चुका है और उससे रुपया वसूल करने की भी कोशिश की जा रही है।

श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस कर्मचारी ने रुपया निकाला वह एग्रीकल्चर विभाग के किस पद पर काम करता था ?

श्री धर्मसिंह—वह एग्रीकल्चर विभाग में कार्य करता था और बाद में कोआपरेटिव विभाग में उसका तबादला हो गया था ।

श्री रामबली मिश्र—जो रुपया उसने निकाला क्या वह चेक के द्वारा निकाला गया या कोई बिल खजाने में पेश किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—बिल पेश किया गया था ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करंगे कि यह जो रुपया इस प्रकार निकाला गया उसकी जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री धर्मसिंह—इस वक्त तो वहां मुकदमा चल रहा है और वह पुलिस के द्वारा भी जांच कराई गई थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वयं की थी ?

श्री रामबली मिश्र—क्या उस विभाग में इस क्लर्क के अलावा कोई और जिम्मेदार था ?

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जैसा कि बताया गया है इसमें चालान हो चुका है और यह अदालत में विचाराधीन है ।

तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्तियों की सरकारी नौकरी के लिए स्थिति

*४७—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी नीति तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में स्थान देने की नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने ऐसी कोई सामान्य नीति निर्धारित नहीं की है ।

*४८—श्री शिववक्षसिंह राठौर—यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करते समय यह उल्लेख कर दिया जाता है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्ति प्रार्थना-पत्र न दें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों पर समय का प्रतिबन्ध

*४९—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों पर १ अप्रैल, १९५५ से उन्हें बिजली देने के विषय में समय का कोई प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो वह प्रतिबन्ध क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिन शहरों में बिजली की सप्लाई पर कंट्रोल है वहां आटे की चक्कियों तथा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा बिजली इस्तेमाल करने के समय पर बिजली कम्पनियां जिलाधीश की आज्ञा से अपनी आवश्यकतानुसार प्रतिबन्ध लागू करती हैं । चूंकि प्रश्न से यह जाहिर नहीं होता कि किस कम्पनी अथवा शहर की आटा चक्कियों पर लागू किये गए प्रतिबन्ध से माननीय सदस्य का आशय है यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि प्रतिबन्ध क्या है और क्यों लगाया गया है ।

*५०—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी उन कारणों को बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी वजह से उन्हें समय निर्धारण संबंधी पाबन्दी लगानी पड़ी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*५१–५३–श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)––[९ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४––श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)––[१९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

सेमरिया ग्राम से वहिलपुरवा स्टेशन तक मोटर रोड बनाने का विचार

*५५––श्री जगपति सिंह––क्या सरकार सेमरिया ग्राम से वहिलपुरवा स्टेशन तक जो सिर्फ ४ मील है, मोटर रोड किसानों की सुविधा व जंगल की तरक्की के लिये बनाने को सोच रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––इस सड़क का निर्माण १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष के लिये आयोजित किया गया था परन्तु धनाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अब इसका आगामी वित्तीय वर्ष में बनाने का अनुमान किया जाता है ।

*५६––श्री जगपति सिंह––[२ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७–५८––श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य––[९ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिलान्तर्गत कप्तानगंज थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*५९––श्री झारखंडे राय––क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिलाधीश, जिला पुलिस कप्तान और सरकार को कप्तानगंज पुलिस थाना, (जिला बस्ती) की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जी हां ।

*६०––श्री झारखंडे राय––क्या सरकार बतायेगी कि उन शिकायतों का प्रकार एवं विषय (Nature and Subject) क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––सभी प्रकार के आरोप लगाये गये थे ।

*६१––श्री झारखंडे राय––क्या सरकार बतायेगी कि उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जांच की जा रही है ।

नौतनवां, जिला गोरखपुर में हथगोलों का मिलना

*६२––श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)––क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि अभी हाल ही में नौतनवां (जिला गोरखपुर) में दो बम मिले जिनकी बनावट अमरीकन ढंग की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––दो हथगोले हाल ही में नौतनवा में मिले थे। उनकी परीक्षा हो रही है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस ढंग के थे ।

*६३––श्री इस्तफा हुसैन––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––इस विषय में पुलिस द्वारा जांच हो रही है ।

अतारांकित प्रश्न

एस० पी० और डी० एस० पी० की वर्दियों पर खर्च

श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्दी के लिये साल में कितना रुपया एस० पी० और डी० एस० पी० को दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इंडियन पुलिस सर्विस के अफ़सरों को उनकी नियुक्ति पर वर्दी के लिये १,००० रु० दिया जाता है तथा इसके उपरान्त प्रत्येक पांच वर्ष पर उन्हें ५०० रु० दिये जाते हैं।

डी० एस० पी० को नियुक्ति पर ९०० रु० दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक दस वर्ष पर पुनः ९०० रु० दिया जाता है।

---

*२१ अक्तूबर, १९५५ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, २१ अक्तूबर, १९५५ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के सम्बन्ध में श्री दीनदयालु शास्त्री ने एक अनुपूरक प्रश्न यह पूछा था "क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मेला अफसर की नियुक्ति कब हुई है"? इसका उत्तर उस रोज मैंने इस प्रकार दिया था :—

> "अभी तो उसके लिये नोटिफिकेशन निकला है कि उस एरिया म मेला ऐक्ट लागू कर दिया जाय और उसके लिये एतराजात की अभी तिथि है। जब एतराजात प्राप्त हो जायंगे तब यह लागू किया जायगा और तभी कुछ होगा।"

इस उत्तर से यह भ्रम हो सकता है कि मेला अफसर की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, जब कि ११ अगस्त, १९५५ से उनकी नियुक्ति हो गई थी। अतः अध्यक्ष महोदय, आप से प्रार्थना है कि २१ अक्तूबर, १९५५ की कार्यवाही में मेरे उक्त उत्तर को निम्नरूप में शुद्ध करने की कृपा की जाय :—

> "मेले का प्रारम्भिक प्रबन्ध करने के लिये एक मेला आफिसर को ११ अगस्त, १९५५ से नियुक्त किया है और वह जिलाधीश की देख-रेख में यह कार्य कर रहे हैं। जो कार्यवाही उन्हें यू० पी० मेलाज ऐक्ट के अन्तर्गत करना है, वह उक्त ऐक्ट के लागू होने के बाद ही की जा सकेगी। उक्त ऐक्ट के लागू करने के लिये विज्ञप्ति निकाली गयी है और उस पर एतराजात प्राप्त हो जाने क बाद ही पूर्णतः लागू किया जा सकेगा।"

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि मेला कमेटी की नियुक्ति कब तक हो जायगी?

श्री कैलाशप्रकाश—मेला कमेटी की नियुक्ति शीघ्र ही होने वाली है।

रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड (बनारस) के कार्य में मैजिस्ट्रेटों द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना मिली है। वह श्री राजनारायण जी की तरफ से है, जो इस प्रकार है :—

> "प्रान्तीय सरकार ने रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड, बनारस के कार्य में बार-बार हस्तक्षेप कर बोर्ड में सोशलिस्ट चेयरमैन को स्वतंत्र रूप से जनहित में काम करना असम्भव कर दिया है। सरकारी संकेत पर स्थानीय मैजिस्ट्रेटों ने अब तक ६ बार बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप कर बाधा उपस्थित की है।

---

*माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से २१ अक्तूबर, १९५५ की कार्यवाही में उत्तर ठीक कर दिया गया है।

सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के इस अप्रजातांत्रिक कार्य ने विषम परिस्थिति बोर्ड के लिये पैदा कर दी है। इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना यह कार्य स्थगित करता है।"

सम्बन्धित मन्त्री अगर कुछ इसके विषय में कहना चाहें तो कह सकते हैं।

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, यह कामरोको प्रस्ताव मुझे बिलकुल अनिश्चित सा प्रतीत होता है। इसमें स्थानीय मैजिस्ट्रेट के विषय में लिखा है और जहां तक मेरी जानकारी है माननीय सदस्य ने कभी इस बात की ओर ध्यान तो दिलाया नहीं कि कोई स्थानीय व्यक्ति वहां इस तरह का कार्य कर रहा है और फिर जब इतने दिनों से मामला चल रहा है उस में कोई अर्जेंसी भी मुझे नहीं प्रतीत होती है। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कुछ अपने प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहते ह ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, यह जो कामरोको प्रस्ताव मैंने रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड के कार्य में सरकार द्वारा हस्तक्षेप.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं कोई लम्बा भाषण देने की इजाजत नहीं देता। माननीय सदस्य बहुत संक्षेप में कारण देने की कोशिश करें।

श्री राजनारायण---जी नहीं, लम्बा भाषण मैं नहीं दूंगा।

जो सरकार की ओर से हस्तक्षेप हो रहा है और उसी के सम्बन्ध में मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है तो क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आवश्यक है इसी पर मैं थोड़े में आप की आज्ञा से इस सदन के सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है अभी कि इस सदन में इस सम्बन्ध में पहले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब एक बार पहले कामरोको प्रस्ताव रखने के सम्बन्ध में कहा था कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दीजिये। मने दिया और उसके बाद आप देखेंगे कि १५-१२-५५ को शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया और हमको यह कागज वापस दिया गया। इससे मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी खुद कितने अन्धकार में रहना चाहते हैं। माननीय सदस्य इस सदन के क्या कहते हैं इसकी कितनी उपेक्षा करते हैं और वह कितने अन्धकार और अज्ञान में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी सवाल उठाया था और वहां पर यह बिलकुल निश्चित बात है कि सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों का बहुमत है। ६ बार वहां मैजिस्ट्रेटों ने जा-जाकर के झूठी जांच के बहाने उनके काम में दस्तन्दाजी की है और जब हमने इस सरकार से कहा, सरकार के मंत्रियों से सेक्रेट्रेरियों से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं इस सरकार की इच्छा बताना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि यह जनतांत्रिक परम्परा में यह बड़ा कलंक है कि जहां विरोधी पार्टी के लोग बहुमत में हैं वहां सरकार बोर्ड को भंग करने की कोशिश करे। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को बतलाऊंगा, क्योंकि वह उस जिले से आते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट साहब हैं, जो यहां मंत्री महोदय के सम्बन्धी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य एक लम्बी बात कहने लगे।

श्री राजनारायण---तो यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अर्जेंट है और इस पर विचार होना चाहिये। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह जनतंत्र को चलने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोकल संस्थाओं में विरोधी पार्टी के लोग जहां बहुमत में हों वहां जनतांत्रिक ढंग पर काम करने दिया जाय, वह हमारा साथ दें और इसी नाम पर सब सम्मानित सदस्यों से, चाहे वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों

[श्री राजनारायण]

या कांग्रेस के, उनसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस कामरोको प्रस्ताव के समर्थन में जब आप खड़े होने को कहें तो खड़े हों। इसकी वैधानिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो इतना वैधानिक है जितनी कि शायद ही कोई वैधानिक चीज इस सदन में हुई हो।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक मैं इस प्रस्ताव पर विचार कर सका, मेरी समझ में यह आता है कि यह इतने महत्व का नहीं है कि इसके लिये कोई आज्ञा दी जाय।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

†**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—श्रीमन्, जब कल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, सदस्यों, मंत्रियों, उपमन्त्रियों और सभासचिवों के वेतन तथा भत्ते से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो मैंने सदन में यह निवेदन करने की कोशिश की थी .....श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी चले जा रहे हैं शायद उनको विशेष काम हो। इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है और मैं समझता हूं कि आप को अपनी ओर से कहना चाहिये था कि वह सदन में बैठें और विवाद को सुनें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब इसके उद्देश्य और कारण में दिया गया है, यह जरूर कहा गया है कि "राज्य विधान मंडल के अधिष्ठाताओं के उच्च पदों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपाध्यक्ष तथा उपसभापति की परिस्थिति (स्टेट्स) वही होनी चाहिये जो उपमंत्री की है और उन्हें वही वेतन और भत्ते दिये जाने चाहिये जो उपमन्त्रियों को मिलते हैं।" पहले तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि इतने दिनों से जनतंत्र का नाम ले रही है कांग्रेस सरकार, और जनतंत्र में आज तक यह समझ नहीं आई कि "स्टेट्स" के क्या अर्थ होते हैं। यह उद्देश्य और कारण में लिखा जा रहा है, जरा सम्मानित सदस्य गौर करें कि उपाध्यक्ष का स्टेटस वही होगा जो उपमंत्री का स्टेटस है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष के पद का भी यह अपमान है और इस सदन का भी अपमान है। उपाध्यक्ष के पद का जो महत्व है, जो उसका स्टेट्स है उसको मैं डिप्टी मिनिस्टर के स्टेटस से कई गुना ज्यादा समझता हूं। डिप्टी मिनिस्टर का क्या स्टेटस है श्रीमन्, जरा यह खयाल तो किया जाय। अरे, उपाध्यक्ष इस सदन में बैठ करके इस सदन की सारी कार्यवाही को संचालित करते हैं और अपनी व्यवस्था देते हैं और उनकी व्यवस्था से सहमत न होते हुये भी—जैसे कि आज कामरोको प्रस्ताव के बारे में जो व्यवस्था उपाध्यक्ष ने दी उससे मैं सहमत नहीं था—हम नतमस्तक होते हैं। लेकिन डिप्टी मिनिस्टर अगर कोई बात कह दे तो हम तो उसको मानने के लिये भी तैयार नहीं हैं, नतमस्तक होने की कौन कहें, ? इसलिये डिप्टी मिनिस्टर के स्टेट्स के बराबर उपाध्यक्ष के स्टेट को रख दिया जाय उद्देश्य के कारण में तो मैं समझता हूं कि यह इस सरकार की जो बुद्धि है उसका भी अपमान है। अब दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उनकी तनख्वाह भी वही होनी चाहिये जो डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह होती है। यह क्यों न कहा जाय कि डिप्टी मिनिस्टर को उपाध्यक्ष की तनख्वाह से आधी तनख्वाह मिलनी चाहिये ? कम से कम अगर इतना ही लिखते कि उपाध्यक्ष की तनख्वाह के बराबर डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह हो तब भी हम समझते कि कुछ तो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें लिख रखा है कि उपाध्यक्ष की तनख्वाह वह होनी चाहिये जो डिप्टी मिनिस्टर की होती है।

श्रीमन्, मैंने कल निवेदन किया था कि अगर स्टेटस, सम्मान, महत्व, मर्यादा, इसकी रक्षा करनी है तो हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों को अपने सामने सर्वदा महात्मा गांधी जी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आदर्श को रखना चाहिये। महात्मा गांधी की ऐब्स्ट्रैक्ट बातों को, जो भाव जगत में विचरण करने वाली बातें होती हैं उनको जहां तक लिखने और कहने का सम्बन्ध है वहां तक तो कांग्रेस सरकार अभी नहीं अघाती, मगर जहां उनको कांक्रीट रूप में रखने की बात आयेगी वहां यह सरकार गांधी जी को इतने नीचे गड्ढे में झोंक देती है जैसे मालूम होता है कि गांधी जी की कोई स्मृति अब इस सरकार के पास नहीं रह गयी है। महात्मा गांधी ने सन् ४७ में एक हिन्दुस्तानी गवर्नर को कैसे रहना चाहिये इस पर एक लेख लिखा था। हिन्दुस्तान के जो मंत्री होंगे उनको किस रूप में रहना चाहिये इसके बारे में भी उन्होंने अपनी सम्मति जाहिर की थी और जो पुरानी कांग्रेस थी उसने भी इस विषय में अपने विचार रखे थे। मैं नयी कांग्रेस पार्टी के बारे में तो कुछ कहता नहीं क्योंकि इसको तो कोई राजनीतिक दल नहीं कहना चाहिये। "Congress Party is a party of manoeuvring and tactics without any fundamental principles" अगर इनको साम्प्रदायिक भावना का प्रचार कर के एलेक्शन जीतने में आसानी हो तो कोई हिचक नहीं होगी जैसे कि आज बाराबंकी का उपनिर्वाचन करा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि किस नक्शे को सामने रखकर यह सरकार उपाध्यक्ष, डिप्टी मिनिस्टर और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और सुविधा देने की चेष्टा कर रही है। कोई लक्ष्य तो सामने होना चाहिये ताकि हम समझें कि सोशलिस्ट पैटर्न जब से कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य घोषित हो गया है, तब से हिन्दुस्तान की कितनी आमदनी बढ़ गयी, गरीबों की कितनी आमदनी बढ़ गयी कि डिप्टी मिनिस्टर्स को ज्यादा भत्ता देने की आवश्यकता हो गई, आने जाने का किराया देने की आवश्यकता हो गयी, उनको और उनके परिवार वालों को राज्य कोष से दवा देने की आवश्यकता बढ़ गयी। हमारे श्री सीताराम जी शुक्ल ने माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई दी और कहा कि उनको तो सब सुभीता होना चाहिये। मगर हम भूले जा रहे हैं उनको जो अपने देश के दरिद्रावस्था में रहने वाले नागरिक हैं, अपने प्रान्त की भूखी नंगी जनता है। उसकी हालत को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। बराबर लगातार समाचार-पत्रों में मुख्य मंत्री की ओर से प्रचार हो रहा है कि हमारे प्रांत में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। श्रीमन्, यदि आंकड़े देखे जायं तो कहीं विकास नहीं है। विकास है माननीय मंत्रियों की तनख्वाह में, विकास है बदइंतजामी में और विकास है लठैती और डकैतियों में.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कल के भाषण को दुहरायें नहीं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं दुहरा नहीं रहा हूं। शायद आप को गलतफहमी हो गई है। केवल मैं यह कह रहा था कि विकास नहीं हो रहा है, मैं थोड़े में जानकारी के लिये बतला दूं क्योंकि हमारे सम्मानित सदस्य आंकड़े को रख कर कहेंगे कि प्रान्त की आमदनी बढ़ी है। जितने आंकड़े उपलब्ध हैं, हमने शहर के और देहात के अलग-अलग आँकड़े निकाले हैं। १९५०-५१ और १९५२-५३ के अलग-अलग ले लिये जायं और जो १९५२-५३ की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसको देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे प्रान्त की आमदनी में कमी हुई है। पूरे प्रान्त के अगर देहात और शहर के आंकड़े अलग देखे जायं तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे १९५०-५१ में २५६ रुपये था वह १९५२-५३ में घटकर २४१ रु० हो गया है। यह पूरे प्रदेश के आँकड़े हैं जिनमें शहर और देहात दोनों मिले हुये हैं। कल हमने केवल देहात का आँकड़ा बतलाया था कि २१२ रुपये की जगह १९२ रुपये हो गया है।

शिक्षा के बारे में यह कहा जा रहा है और कल सीताराम जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में शिक्षा बढ़ रही है और मंत्रियों के लड़कों के लिये शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लड़कों के लिये शिक्षा की व्यवस्था होनी

[श्री राजनारायण]

चाहिये, मगर सामान्य जनता के लड़कों के लिये शिक्षा की व्यवस्था क्यों न हो ? सरकार एक वेस्टेड इंटरेस्ट को रखना चाहती ह कि मंत्रियों, उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लड़कों के लिये शिक्षा की व्यवस्था हो जिससे वह शिक्षा प्राप्त करके विदेश भ्रमण करके अच्छी तरह से सुख और सुविधा प्राप्त कर सकें। अगर सरकार की ओर से इस तरह का विधेयक प्रस्तुत हुआ होता जिससे यह होता कि प्रान्त का हर विद्यार्थी हाई स्कूल तक फ्री एजूकेशन पा सकेगा और हरिजनों को खाना और पढ़ाई मुफ्त होगी और पिछड़े समाज के लड़कों के लिये खाने और पढ़ने की व्यवस्था मुफ्त होगी तो मैं उसकी जरूर ताईद करता। मगर ऐसे विधेयक का समर्थन तो कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो जनहित में सोचने विचारने वाला व्यक्ति हो। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको सीधे-सीधे फेंक दें और सरकार को मजबूर करें कि वह इसको वापस ले ले। वह किस माने में ऐसे विधेयक को इस सदन में न आने दें, जिससे एक पैसा भी जो अब तक बोझा खजाने पर था उससे ज्यादा बढ़े।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदस्यों को जानकारी कराना चाहता हूं कि जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है उसने फैसला कर दिया है कि जो सदस्य इस सदन की कार्यवाही में भाग न लेंगे उनको जो सुविधा दी जाने की कोशिश की जा रही है उसको लेने से वह इन्कार करेंगे। हम आप को यह बतला देना चाहते हैं कि चाहे वह सरकार कांग्रेसी सदस्यों से किसी न किसी तरीके से इस विधेयक के लिये समर्थन प्राप्त कर ले और यदि यह विधेयक पास हो जायगा तब भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य इस सदन की कार्यवाही में भाग न लेकर सुविधा देने की बात की जा रही है उस सुविधा को हम ठोकर मारेंगे और उसको लेने से कतई इन्कार करेंगे, यह हमारा फैसला है।

एक सदस्य—दो तो हैं ही।

श्री राजनारायण—दो हैं या चार हैं यह तो जमाना बतलायेगा कि हम कितने हैं। कल श्रीमन्, कुछ कांग्रेसी सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यह बतलाइये कि अगर यह पास हो गया तो वह सुविधा आप लेंगे या नहीं। मैंने कहा कि मेरे बारे में क्यों परेशान हो ? हम तो बाहर काम करते हैं और यह सही है कि हम सदन में बहुत कम समय तक ही रह पाते हैं लेकिन मैं इतना साफ कर देना चाहता हूं कि जिस दिन मैं सदन में नहीं रहूंगा उस दिन किराये के नाम से या और किसी नाम से कोई सुविधा नहीं लूंगा। मुझे खुशी है कि हमारे जितने सदस्य हैं बाहर और यहां हैं, उन सब ने इस बात का फैसला किया है और श्रीमन्, इसका हमें कोई लालच नहीं है, इस बात को दूसरे लोग समझ लें। जो लोग हमारे पास आने की सोचते होंगे वह चाहे कांग्रेस के हों, गैर कांग्रेसी हों या प्रजा सोशलिस्ट के हों उनको यह समझ लेना चाहिये कि "जो फूंके घर आपनों, चलै हमारे साथ"। जो मिलीटेंट सोशलिस्ट हैं वह डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अपने घर को तबाह करके इस देश की जमीन में अपने को खाद बना कर यहां की जमीन को उर्वरा बनायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि जो त्याग का मुद्दा रखते हों और त्याग करने के लिये तैयार हों वह भी हमारे साथ आगे आवें। मैं आप के सामने कह देना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है और इसलिये हमने एलान किया है कि अगर इस सरकार ने अपनी हुकूमत से बल पर इस विधेयक को कानून का रूप भी दिया तो हम भी इसका कोई सुभीता लेने से इन्कार करेंगे और किराया आने जाने का नहीं लेंगे और जो दूसरे सुभीते आयेंगे उनको हम ठोकर मारेंगे।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—"हम" शब्द में कितने आदमी शामिल हैं ?

श्री राजनारायण--आपको सीखना चाहिये:

"Procedure of the House. You must stand and ask the permlssion of the Chair first."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण--तो ठीक है। मैं बैठ जाता हूं वह पूछें। हम डेमोक्रेट हैं। हम हर एक को पूरा मौका देना चाहते हैं। जो प्रश्न वह पूछना चाहते हैं वह पूछें। हम यह नहीं चाहते कि हम हाउस के पाजेशन में रह कर उसकी भावनाओं को व्यक्त न होन दें। (किसी के न खड़े होने पर) तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि कल माननीय मंत्री जी ने क्लाजवाई क्लाज पढ़ा और पढ़ कर के इस सदन में बहुत सुन्दर शब्दों में कुत्सित भावों को व्यक्त करने की कोशिश की। वह भाव क्या थे इसको देखा जाय। अगर यह विधेयक इसी रूप में पास हो जाता है तो इसका असर क्या होगा? इसके अनुसार सभासचिव को ६०० रुपये मासिक वेतन दिया जायगा। क्यों? क्यों ६०० रुपये मासिक वेतन दिया जायगा? और कुल जोड़िये तो इसके अलावा उसको १०० रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता भी पाने का अधिकार होगा.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कल माननीय सदस्य ने इन आंकड़ों को दे दिया था।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने इस पर कल कोई चर्चा नहीं की थी। शायद लोगों ने यह बात कह दी है कि यह काफी बोल चुका है। मैं खुद आप को बतलाऊं कि मुझे बाराबंकी जाना है और वहां पर मेरा प्रोग्राम है। बाहर हमारी टैक्सी भी खड़ी होगी। तो मैं यह कह रहा था कि ६०० रुपये उनको मासिक वेतन मिलेगा। १०० रुपये मासिक भत्ता मिलेगा और १५० रुपये कन्वेयन्स अलाउन्स उनको मिलेगा। इस तरह से ८५० रुपये यह हो गये जो कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को मिलेंगे। इसके बाद जो विधेयक की धारा चलती है उसमें दैनिक भत्ते के लिये कहा गया है कि मैदानी इलाके में उनको १० रुपया दिया जायगा और पहाड़ी इलाके में उनको १५ रुपये की दर से होगा। यह आप के अधिकारी विमान, रेल या और तरीके की जो यात्रा होगी उस प्रत्येक यात्रा के लिये अपना यात्रिक भत्ता सरकार से वसूल कर लेंगे जो कि एक फर्स्ट क्लास के आफिसर को को प्राप्त करन के अधिकार हैं वह सब भत्ते प्राप्त होंगे। इन सब का हिसाब लगाकर क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि कितने रुपये होंगे? करीब १२००० रुपये से कम का हिसाब नहीं आयेगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं करीब १५०० रुपये से मासिक कम खर्चा एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पर नहीं पड़ सकेगा। जैसा कि विधेयक यहां पर प्रस्तुत है उसमें यह व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद यह देखा जाय कि जो सबसे बड़ी आपत्ति की बात है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करते हुये मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री तथा सभासचिव और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकार होगा। तो फिर यह सब १०, २० और ५० आदमियों को अपने यहां भर्ती कर लेंगे और फिर उनकी सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा की जायगी। कहीं पर भी इस बात की परिभाषा नहीं है कि मंत्रियों के, उपमंत्रियों के और अध्यक्ष, सभापति आदि के परिवार को कहां तक माना जाय। इसकी भी परिभाषा इसमें होनी चाहिये। इनके परिवार में इनकी स्त्री और इन दोनों के संयोग से जो बच्चे हों, वह परिवार माना जाय या चचेरे फुफेरे के बहुत लोग जो वहां पर आ जायं वह सब परिवार के लोग माने जायं। श्रीमन्, इसकी सफाई इस विधेयक के अन्दर जरूर होनी चाहिये थी।

[श्री राजनारायण]

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक के अन्दर इसकी परिभाषा इस प्रकार से रखी गयी है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और उस खर्चे की कोई सीमा नहीं है। श्रीमन्, आगे चल कर देखा जाय; पेज ३ पर आप देखेंगे उसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मण्डल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशन काल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्यक यात्रा के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे। अगर सरकार चाहती है कि कोई सुविधा दी जाय तो उस वक्त दी जानी चाहिये जबकि यहां पर सेशन चलता हो लेकिन तब सुविधा देना जबकि सेशन नहीं चलता हो यह उचित नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। वह तो एक बात हो सकती थी लेकिन इस प्रकार से सदस्यों को प्रलोभन देना किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार अपनी नुक्ताचीनी न करने के लिये यह प्रलोभन सदस्यों को दे रही है जो कि एक गलत काम है।

सत्रकाल के विषय में मल्ल जी ने कल कुछ चर्चा यहां पर की थी। उसके विषय में भी परिभाषा होनी चाहिये कि सत्रकाल कब से कब तक माना जायगा। एक सदन जब तक चलता ह और जब तक वह प्रोरोग नहीं होता उस समय तक माना जाय या जब तक कि वह स्थगित नहीं होता है उस समय तक माना जाय? जब तक एक कार्यवाही सदन की चलती है और स्थगित नहीं होता वह माना जाय या गवर्नर जब भाषण करते हैं वह माना जाय? इसकी परिभाषा यहां पर होनी चाहिये थी। इसके लिये सरकार की ओर से खुला भाष्य होना चाहिये। किन्तु यह जो इस समय यहां पर परिभाषा रखी गयी है इसके कई अर्थ लगाये जा सकते हैं और इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि जब यहां सदन की बैठक न होती हो और सम्मानित सदस्य बाहर हों, उन दिनों में भी वे यात्रा करें तब भी वह इस क्लाज में १०० रु० तक पाने के अधिकारी हो सकते हैं, यहां तक इसका अर्थ किया जा सकता है। इसलिये इसकी ओर श्रीमन् को संकेत कर रहा हूं ताकि सदन के सम्मानित सदस्य गम्भीरता-पूर्वक विचार कर सकें और सरकार को मजबूर कर सकें इस विधेयक को वापस लेने के लिये और जिससे सदस्यों के नाम पर सरकार कोई ऐसा कार्य न कर सके जो जनता के लिये अहितकर हो।

कैसी भाषा है इसकी? "ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।" अब 'कोई' सम्मानित सदस्य बनारस गया, वहां से वापस आया, फिर बनारस गया, फिर वापस आया, फिर गया फिर आया, दिन भर तीन-तीन यात्रायें उसने कीं इस तरह यात्रा कर के वह तीन-तीन किराये वसूल कर सकता है क्योंकि उसे १०० रु० तक लेने का अधिकार है। अब केवल एक किराया ही नहीं वह चाहे जितने किराये ले सकता है, सब को जोड़ कर उसको लेने का अधिकार होगा। ऐसा विधेयक है यह, और ऐसी इसकी भाषा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी इस प्रान्त के मुख्य मंत्री पद पर आरूढ़ हुए तो हमें उनसे बड़ी-बड़ी आशायें थीं। हमें आशा थी कि जो दकियानूसी पुरानी बातें यहां चालू हैं उनमें अवश्य परिवर्तन होगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सम्पूर्णानन्द जी के मुख्य मंत्रित्व में जो इस प्रकार का विधेयक आया है उसने हमारी सब आशाओं पर कुठाराघात कर दिया है। हमें ऐसा भरोसा नहीं था कि एक ऐसा आदमी जो अपने को सोशलिस्ट कहते कहते थकता नहीं था वह पदारूढ़ होने पर अपनी शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग करेगा। अपनी सब जानकारी, पढ़ाई, लिखाई, विद्वत्ता का इससे बढ़ कर दुरुपयोग करने का और कोई सबूत नहीं हो सकता जैसा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हो रहा है।

इसके आगे यह लिखा हुआ है--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं हैं, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफीसर्स को प्राप्त है।"

अब आप अगर इस क्लाज का विश्लेषण करें तो वास्तविकता यह है कि यह क्लाज हम सब के लिये एक कलंक है कि हम चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करें, वह चाहे जिस रीति से और जैसे चाहें जायं लेकिन उसको प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। क्यों भाई? क्या यह साफ़-साफ़ करप्शन फैलाना नहीं है? क्या इस प्रकार से गैर-कानूनीपन को कानूनी स्वरूप नहीं दिया जा रहा है? माननीय परिपूर्णानन्द जी को फर्स्ट क्लास का किराया ही मिलेगा चाहे वे किसी क्लास में क्यों न चलें। भला इससे बढ़ कर दिमाग के खोखले पन का और क्या सबूत हो सकता है? आज जो सरकार प्रगतिवाद की दुहाई देने वाली सरकार कहलाने का दावा करती है वह सरकार दकियानूसी और प्रतिक्रियावादी इसके द्वारा साबित हो रही है। सोशलिस्ट पेटर्न का नाम लेकर वह केपिटलिस्टिक पेटर्न की ओर देश को ले जा रही है, जनतंत्र के नाम पर तानाशाही को स्थापित कर रही है। शान्ति के नाम पर अशान्ति और अहिंसा के नाम पर हिंसा को बढ़ाया जा रहा है। ऐसी निकम्मी यह सरकार आज के ज़माने के लिये साबित हुई है कि न तो इसके दिल है, न दिमाग़ है, न आखें हैं और न कान हैं। यह मैं इस सरकार के हित के लिये कह रहा हूं कि इस सरकार ने हम लोगों को क्या समझा है? मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार कर रहे हैं, क्यों जनमत के लिये इसे भेज देने का संशोधन पेश करते हैं, क्यों इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का संशोधन पेश करें? यह एक ऐसा विधेयक है कि जिसकी धारायें इतनी जनतांत्रिक हैं और इतनी जम्हूरियत के सिद्धांत को ठेस पहुंचाने वाली हैं, इसकी धाराओं में जहां कहा गया है कि सदस्य चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करें लेकिन वे फर्स्ट क्लास के भत्ते के अधिकारी हो सकते हैं। मुझे इस के लिये बहुत ही दुख है और कभी-कभी तो मैं यह सोचने लगता हूं कि इन परिस्थितियों में मेरे लिये इस सदन का सदस्य रहना आवश्यक है या नहीं और मैं बताना चाहता हूं कि जिस सदन में ऐसी बातें तीन चार वर्ष से हो रही हों उसमें रहने न रहने के बारे में मैं अपनी पार्टी के पार्लियामेंटरी बोर्ड को लिखने जा रहा हूं और उससे इजाजत लेने जा रहा हूं कि वह मुझे इस सदन की सदस्यता से इस्तीफे की अनुमति दे। हमने मैदान में काम करने का फ़ैसला किया है और इस तरह के कानून की सपोर्ट में ऐसी ऐसी युक्तियां पेश की जा रही हैं। माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त सामने बैठे हैं और वे इस समय बड़ी गम्भीर मुद्रा में हैं और उनकी गम्भीरता से और उनकी मुखमुद्रा से मालूम होता है कि वे बहुत गम्भीरता के साथ इस मामले को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे जरा विचार करें कि वे क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। इसमें रखा गया है कि अगर कोई सदस्य दस दिन तक उपस्थित न भी रहे तब भी वह दस दिन का दस रुपया रोज़ के हिसाब से १०० रुपये ले सकता है, वह सदन की कार्यवाही में भाग न ले और चाहे रिश्तेदारी में जाय या चौक बाजार में घूमे लेकिन वह भत्ता पा सकता है...

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--गुप्ता जी की तो ससुराल भी नहीं है।

श्री राजनारायण--गुप्ता जी की ससुराल नहीं है तो वे श्री गेंदासिंह जी की ससुराल जा सकते हैं। उनकी शादी नहीं हुई है तो मढ़े तो चढ़े हैं।

श्री मथुराप्रसाद (जिला फ़र्रुखाबाद)--प्वाइंट आफ़ आर्डर सर, क्या चौक में घूमने के लिये भी कभी किसी माननीय सदस्य ने भत्ता लिया है जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी फरमाया है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी बात न कहनी चाहिये और जो कुछ कहा जाय वह गम्भीरतापूर्वक कहा जाय।

श्री राजनारायण—मैं कह रहा हूं कि हमने तो कभी नहीं लिया और न हम लेंगे और मैंने तो घोषणा कर दी कि इस समय तो मैं ही हूं, लेकिन हमारे साथी स्व० अवध शरण वर्मा हमारे बीच से उठ गये और इस सरकार के मस्तक पर यह कलंक का टीका है। हमें ही आप को, दो ही सही, काफी समझना चाहिये।

मैं अभी यह कह रहा था कि यह ६०० रुपए की जगह जो ७५० रुपया रखा जा रहा है और १५० रुपया बढाया जा रहा है उसका इस सदन को विरोध करना चाहिए और मैं आज सदन में इसका जबरदस्त विरोध प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद उन अधिकारियों के मकानों को सुसज्जित करने की बात है। उसकी कोई सीमा नहीं बताई गई है कि कौन मकान किस ढंग से सुसज्जित होगा। आज गांधी जी हमारे सामने मूर्तिमान स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार जमींदारों से भी कहा था और ट्रस्टीशिप की बात कही थी और सरकार को भी जनता का ट्रस्टी बनकर रहने की कल्पना की थी, लेकिन इस मकसद में वे पूर्णतः नाकामयाब रहे, लेकिन जो लोग आज अपने को गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने वाले कहते हैं वे आज जनता द्वारा चुने जाने पर भी अपने को जनता का ट्रस्टी समझने की बात नहीं सोचते। वे जनता के ऊपर कर लगाते हैं और कर का भार बढ़ाने की बात सोचते हैं और उस भार को बढ़ा कर सरकार के मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभासचिवों आदि के वेतन और भत्ता बढ़ाने का विधेयक हमारे सामने ला रहे हैं। आगे और देखा जाय तो उपाध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन को भी १५० रु० मासिक तक टैक्सियों के भत्ते के रूप में दिया जा सकेगा।

टैक्सियां होंगी और इसमें उनको १५० रुपया भत्ता दिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति का सवाल नहीं है मगर उपाध्यक्षों को कहां भ्रमण करने की आवश्यकता है? किस काम से भ्रमण करेंगे, कौन सा इनके पास ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम है। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एक नान-पार्टीमैन होना चाहिये। जनतंत्र में यह बात मानी जा चुकी है कि न तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात, न पार्टी प्रचार की बात और न किसी पार्टी मीटिंग की बात उसको करनी चाहिये। नया आदर्श जनतंत्रवाद का यही है और हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इस तरह की परिपाटी चलानी चाहिये कि जब ये चुने जायं तो इनको पार्टी के कामों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। इनको सीधे सीधे स्वतंत्र रूप से एक नान पार्टीमैन की हैसियत से रहना चाहिये और राजनीतिक दलों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये। कौन सी जिम्मेदारी स्टेट की ये ऐडमिनिस्ट्रेशन को सम्हालेंगे जो इनको १५० रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जाय? मैं यह कहता हूं कि यह परिवहन भत्ता इनको नहीं मिलना चाहिये। जितनी तनख्वाह इनकी पहले थी वही काफी थी और उसी तनख्वाह पर बल्कि उसमें से कुछ घटा कर डिप्टी मिनिस्टर को तनख्वाह मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त ९(२) में यह भी कहा गया है कि "प्रत्येक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में ऐसे परिमाण में जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकार होगा" और इसके लिये ४ (क) के अनुसार उसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायेगी, अभी उसकी व्यवस्था यहां नहीं है अभी यह अधिकार तो यह सरकार इस सदन से ले रही है कि इसकी पाबन्दी करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है और जैसी नियम बनाने की परिपाटी इस सरकार ने सदन में रखी है ऐक्ट के बिल्कुल उलटे नियम बना दिये जाते हैं, कानून कहीं कुछ कहता है और नियमों को इतना व्यापक बना दिया जाता है कि वे कानून में दिये गये अधिकारों की सीमा के पार हो जाते हैं। मुझे बिलकुल सन्देह है, बल्कि संदेह और डर ही नहीं है किन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि राज्य

सरकार जो नियमों के बनाने का हक ले रही है इससे ज्यादा बोझा राज्य कोष पर वह डालेगी। इसलिये यह अधिकार उसे नहीं देना चाहिये। उसमें आगे है "और जब तक उपर्युक्त प्रकार के निवास स्थान की व्यवस्था न हो सके तब तक उन्हे डेढ़ सौ रुपये मकान किराया भी पाने का अधिकार होगा।" मैं श्रीमन् जल्दी-जल्दी अपने भावों को इस सदन में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपके द्वारा इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्र परिपूर्णानन्द जी हमारे सामने बैठ गये हैं और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जब वे विदेश भ्रमण के बाद लौटे थे तो उन्होंने विदेशों में मंत्रियों के बारे में एक बयान दिया था। वे किसी मीटिंग में गये हुये थे जहांपर कोई मंत्री नहीं बुलाया गया था। जब उन्होंने पूछा था तो कहा गया था कि दूसरे लोगों को बुलाना ज्यादा आवश्यक समझा जाता है। उनको नहीं बुलाया गया। जो सामाजिक कार्य हैं और जो यूनिवर्सिटियों या विद्यार्थियों के फंकशन का उद्घाटन या सभापतित्व करने के कार्य हैं उनके लिये या सदुपदेश देने के लिये इस देश में बहुत से लोग पड़े हुये हैं जो देते हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन यह सारा काम सभासचिवों, उपमंत्रियों और मंत्रियों से लिया जायगा तो फिर काम नहीं चल पायेगा। कुछ छोटे-छोटे मुल्कों को ही ले लीजिये स्वीडेन है, यूगोस्लेविया है। जब हम यूगोस्लेविया को देखते हैं, यहां से बहुत से लोग भ्रमण करके लौटे हैं। तो यूगोस्लेविया में १ और ६ का अनुपात है। अगर एक रुपया छोटे कर्मचारी को मिलता है तो ६ रुपये से अधिक किसी बड़े कर्मचारी को नहीं मिलता है। एक और चार का अनुपात भी है मगर यहां पर क्या रिश्ता है? यहां पर तो मैंने सदन में निवेदन किया था कि चौकीदार ५ रुपये पाता है और मंत्रियों को यहां ६ हजार रुपये से कम नहीं मिलता है। अब इसमें जैसी व्यवस्था की गई है उसके अनुसार तो किसी भी उपमंत्री पर दो हजार से, ढाई हजार से, कम खर्च नहीं होगा।

मैं चाहता था कि जब सोशलिस्टिक पैटर्न नाम के लिये भी सरकार ने कहा तो उनकी तरफ से कोई विधेयक आना चाहिये था जिसमें यह बात कही गई होती कि आज हमारी स्टेट के अन्दर जो छोटे-छोटे चपरासी हैं, जो यहा खड़े हैं उनकी तनख्वाह बढाई जायेगी तो मुझे प्रसन्नता होती प्रफुल्लता होती, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं सामान्य नागरिक के स्तर को ऊंचा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, सभासचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाह बढाने और उनका भत्ता बढाने और मकान का किराया देने और मकानों को सुसज्जित करने का विधेयक लाया गया है। हिन्दुस्तान को महात्मा गांधी ने जो मूर्तिमान स्वरूप दिया, जो कांक्रीट स्टेप उनका था उसे ग्रहण करना चाहिये और आज मैं फिर उन्हीं शब्दों को दोहरा कर अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा, हिन्दुस्तान की मर्यादा, हिन्दुस्तान का स्टेटस यदि दुनिया में ऊंचा हुआ, यदि हिन्दुस्तान किसी नाम से जाना गया तो महात्मा गांधी के नाम से और महात्मा गांधी के बाद हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा और मर्यादा को कोई इतना ऊंचा नहीं उठा पाया है चाहे वह भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या राष्ट्रपति हों या किसी स्टेट के मंत्री, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हों। महात्मा गांधी ने जो हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा, मर्यादा और सम्मान को बढाया वह गरीब हिन्दुस्तान को अपने शरीर में प्रतिबिम्बित करके बढाया था और गरीब हिन्दुस्तान को अपने शरीर में प्रतिबिम्बित न करके हिन्दुस्तान के पूंजीवादी समाज और जो उच्च समाज है उसके आचरण और उसके स्टेटस को प्रतिबिम्बित करने की चेष्टा की जायगी तो काम बनने वाला नहीं है। आज यही कारण है कि सरकार की ओर से जब बजट अधिवेशन आयेगा तो कहा जायगा कि हम तो कटौती करवा रहे हैं, हम तो बचत की योजना चला रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि तनख्वाह कम करो, लेकिन यह सब ढोंग की बात

[श्री राजनारायण]

है जब कि सरकार की ओर से स्वस्तः विधेयक के अन्दर मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभासचिवों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की तनख्वाहों को बढाने और निवास स्थान को सुसज्जित करने का विधेयक आता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार की ओर से कोई तजवीज आती है कटौती कराने की और बचत स्कीम चालू करने की तो यह बेमतलब और बेमानी बात होती है और इसी से कोई काम हो नहीं पा रहा है। मैं फिर साफ कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस विधेयक के जनता विरोध में है। माननीय मंत्रीगण जब यह विधेयक पास कर लेगें और जनता के सामने जायंगे तो देखेंगे कि जनता की भावना उनके प्रति क्रोध और घृणा की होगी। क्रोध और घृणा की भावना सरकार अपने लिये जनता के बीच पैदा करना चाहती है। उसका विशाल बहुमत है जो चाहे सो कर ले, मगर मैं अपने शब्दों को, इन भावनाओं को आपके द्वारा इस सदन में विचार के हेतु प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस विधेयक पर इस सदन में विचार करना हम सब का अपमान है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मुझे बड़ा संतोष है कि आपकी सेवा में जो कुछ मैं निवेदन करूंगा उससे हमारे पूर्ववक्ता को जो बहुत ही कष्ट होने वाला था और जो बहुत ही परेशानी होने वाली थी उससे बच कर वे भाग गये और यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि कई बार कल से उन्होंने मेरे नाम को लेने की तकलीफ गवारा फरमाई और साथ ही साथ मुझसे यह भी कुछ जानकारी हासिल करने की चेष्टा की कि बाहर क्या होता है और क्या नहीं होता। उनका इतना लम्बा व्याख्यान जो कल से हो रहा है उसको सुन कर हमको तो नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे प्रजा सोशलिस्ट भाइयों को बहुत ही हर्ष और संतोष हुआ होगा और वह हर्ष और संतोष इसलिये हुआ होगा कि भगवान की बड़ी दया थी कि उतनी अनर्गल और बेतुकी बात कहने वाला कम से कम अब उनकी पार्टी का नेता तो नहीं रहा।

यह संतोष उनको जरूर हुआ होगा और इस सदन को उससे भी अधिक संतोष होगा यदि कहीं अपने उस जोश के दायरे में आकर हमारे माननीय राजनारायण जी ने जैसा कहा है कि वे सदन को ही छोड़ देना चाहते हैं यदि कहीं ऐसा हो गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे समय का बहुत कुछ दुरुपयोग बच भी जायगा और मैं इस सदन को इतना आश्वासन दे दूं कि वह दिन बहुत दिन बाद आयेगा जब कि वे इस सदन में अपने स्थान पर फिर बैठे दिखायी देंगे।

बहुत कुछ महात्मा गांधी जी और गांधी जी के उन सिद्धांतों पर कहा गया जिनके अन्दर मनुष्य को सादी जिन्दगी बिताना और सादे ढंग से रहना चाहिए। श्रीमन्, इसके विषय में मैं तो केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि गांधी जी ने छः पैसे में जमीन का जो आदर्श रखा था उसी आदर्श पर रह कर जैसी जिन्दगी बितायी जाती होगी और जैसा शरीर रहता होगा मैं समझता हूं कि वैसी जिन्दगी वह राजनारायण जी के स्वास्थ्य का मुकाबला केवल राजा जगमनपुर साहब कर सकते हैं। वह छः पैसे वाला स्वास्थ्य तो नहीं है। वह सादी जिन्दगी का प्रतीक तो नहीं मालूम होता। इस प्रकार के सिद्धांत और ऐसे उसूलों को इस सदन में कह देना कि बहुत सादी जिन्दगी सूखी रोटी खाकर बितानी चाहिए और फिर भी वैसा स्वास्थ्य रहे तो यदि मैं या माननीय मदनमोहन उपाध्याय कहते कुछ तो शायद ठीक भी होता लेकिन माननीय राजनारायण जी का कहना कुछ जंचता भी नहीं।

फिर भी श्रीमन्, बातें तो बहुत हो गयीं। महात्मा जी के उसूलों के बारे में हमारे समाजवादी भाई जब कहते हैं तो मुझे कुछ थोड़ा-सा विस्मय होता है। जितना भी मैंने पढ़ा है समाजवादी दल के सम्बन्ध में और उससे मेरा तात्पर्य डा० लोहिया के

समाजवादी दल से है, जिसने काफी बुरे तरीके से भर्त्सना की है गांधी जी के अर्थ शास्त्री की। गांधी जी ने जिस प्रकार समाज की रचना करने की बात कही थी उसमें उन्होंने उस चीज को जिसका जिक्र कई मर्तबा आ चुका है समाजवादी दल में मैं समझता हूं कि सदन में ऐसे बहुत से सदस्य बैठे हैं जिनको जानकारी होगी कि डा० लोहिया ने उनपर क्या लिखा था। अगर उनकी जानकारी न हो तो मैं उनकी सेवा में निवेदन कर दूं कि सोशलिस्ट पार्टी के उस अखबार को पढ़ लें जो कि उस समय निकलता था जब कि यूसूफ मेहर अली साहब उसके सम्पादक थे।

एक बात इस सदन के सम्मुख जरूर विचारणीय है। जो भी कोई बिल मंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में पेश होता है वह स्वभावतः ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आयेगा और चूंकि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आयेगा इस वजह से उसका एक संकोच, एक डेलीकेसी जरूर होगी। ट्रेजरी बेंचेज वालों को उस बिल के बारे में, बहुत कुछ कहने में, कुछ साफ साफ बातें करने में संकोच होगा। यह कर्त्तव्य हम सदस्यों का हो जाता है कि उस डेलीकेसी को उसमें से निकाल लें और जरा खुल कर साफ साफ बातें करें। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सीताराम जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया था कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय उससे सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ जगन्नाथ मल्ल जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया कि इसको समूची जनता के विचार के लिए घुमा दिया जाय मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस विचार करने का अर्थ क्या होगा। क्या उनका तात्पर्य प्लेबिसाइट से है? प्लेबिसाइट से ही उनका तात्पर्य होगा। तो प्लेबिसाइट नाम की जो चीज है उसकी कोई परम्परा होती है, कोई मर्यादा होती है, उसका एक इतिहास है। जनमत गणना के लिए कौन-सा विधेयक किस अवसर पर घुमाया जाय इसका प्रजातन्त्रीय प्रणाली से एक घनिष्ट सम्बन्ध है। जनमत गणना के लिए यह देखना होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, कौन सी युद्ध की घोषणा करनी है, प्लेबिसाइट का आधुनिक उपयोग नहीं प्राचीनतम उपयोग शायद सबसे ताजा उपयोग फ्रांस में १७९० में राजनीतिक क्रान्ति के समय हुआ था। प्लेबिसाइट तब होती जब सावरेंटी का निश्चय करना होता है, स्वामित्व का या एलाइनमेंट का निश्चय करना होता है तब जाकर कोई विधान सभा प्लेबिसाइट काम में ले आती है।

किसी सेलरी के लिए एमाल्यूमेंट्स के लिये या बजट के ऐसे मामले प्रजातन्त्रीय विधान में प्लेबिसाइट के विषय जनमत गणना के विषय नहीं होते और मैं इसलिये निवेदन करना चाहता है कि चूंकि प्रजासमाजवादी पार्टी गम्भीरतापूर्वक हर प्रश्न पर विचार करना चाहती है। इसलिए मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर हर एक विधान को बनाने के लिए सब लोग हाथ उठाकर मत दिया करते हैं और ऐसा स्थान उनको स्विट्जरलैन्ड में मिलेगा जहां पर मामूली कार्पोरेशंस हैं। हरएक आदमी उसका मेम्बर मान लिया जाता है और कोई भी चीज होती है, जब उसका निश्चय करना होता है तो एक चौराहे पर सब लोग खड़े हो जाते हैं और वहां वह हाथ उठा देते हैं और उस हाथ उठाने से उस चीज का फैसला होता है। लेकिन वहां पर स्त्रियों को उस चौराहे पर खड़े होकर वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो जहां पर वैसा विधान आजकल वर्तमान है वहां भी इस तरह एक विभाजन कर दिया गया है। इस प्रकार का प्लेबिसाइट का प्रश्न उपस्थित करना प्रजा समाजवादी दल को शोभा नहीं देता। यह इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी उसूलों से भी यह बड़े खतरे की चीज होती है। जो पार्टी यह कह दे कि वेतन बढाया जाय या न बढाया जाय और फिर जब वैसा मौका आ जाय और वह अधिकार में आवें तो वेतन को न घटाया जाय यह बड़ी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

परेशानी की बात होती है । मैं एक घटना उपस्थित करना चाहता हूं। १९४८ की घटना है ४ फरवरी की बात है । समाजवादी प्रसिद्ध समाजवादी ऐटली साहब ने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने यह कहा कि जितने पूंजीपति जितनी कम्पनियां हैं सभी को अपना शेयर और अपना जो हिसाब डिविडेंड है उसको देश के विचार से देश की आवश्यकताओं के विचार से घटा देना चाहिये, उसमें कमी कर देनी चाहिए । यह बयान हमारे प्रसिद्ध समाजवादी ऐटली साहब ने ४ फरवरी, १९४८ को दिया था और इस बयान के बाद पार्लियामेन्ट की बैठक हुई तो उसमें अनुदार दल की तरफ से एक प्रश्न पूछा गया २ मई, १९४८ को और उस प्रश्न में यह पूछा गया कि क्या माननीय प्रधान मंत्री महोदय जैसा कि उन्होंने ४ फरवरी को बयान दिया है कि डिविडेंड्स घटा दिये जायं उसका विचार करते हुए प्रधान मंत्री तथा मन्त्रिमंडल के वेतन में भी कुछ कमी करने के लिये तैयार हैं। तो इसका उत्तर एटली साहब ने दिया था नो सर। बस दो शब्द । तो मैं इसलिये यह निवेदन करता हूं कि जो चीज जो कमी पूंजीपति के लिये लागू हो कारखाने के लिये लागू हो कल कारखानों में आयद हो और वह चीज हमारे मन्त्रियों के ऊपर हर एक के वेतन में लागू न हो इसका क्या कारण हो सकता है और श्रीमन्, आश्चर्य की बात यह है कि बहुत दिनों से कई वर्षों से तो एक इतिहास सा बन गया है कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स और मंत्रियों के वेतनों की वृद्धि जब हुई तब समाजवादी शासनों में ही हुई है । यह एक बड़ी विचित्र बात है और इसकी जानकारी यदि हमारे सदस्यों को न हो तो बहुत आसानी से हो सकती है यदि वे कई देशों और इधर उधर के इतिहास को उठाकर देख लें । मैं अभी जा रहा था जेनेवा तो मुझे रास्ते में एक अखबार मिला प्लेन पर ही पढ़ने को जिसमें दिया हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की कांग्रेस ने अपने वेतन में वृद्धि की। डेमोक्रेटिक पार्टी का वहां बहुमत है। यूनाइटेड स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी माना जाता है और डेमोक्रेटिक पार्टी को समाजवादी पार्टी जैसा कहा जाता है और उस बिल में वहां काफी इन्क्रीमेंट्स दिये गये हैं हर एक के इमाल्यूमेंट्स बढ़ा दिये गये । आस्ट्रेलिया में जब सवाल यह उठा कि आखर किस प्रकार से इमाल्यूमेंट्स बढाये जायं तो वहां के प्रधान मंत्री का वेतन २ हजार पौंड मुकर्रर किया गया और यह कहा कहा गया कि मेम्बरी के नाते हाउस का सदस्य होने के नाते जो ४ सौ पौंड उनको मिलता है वह भी इनकी तनख्वाह में शामिल रहे बहैसियत एक मेम्बर के और दो हजार पौंड बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर के और इसके अलावा इंटरटेनमेंट एलाउन्स ३५० पौंड का और दे दिया जाय।

यह एक मौका मिला जब उसके साथ-साथ विरोधी दल ने भी स्वीकार कर लिया कि हमारे नेता का वेतन ढाई सौ पाउन्ड्स से ५०० पाउन्ड्स कर दिया जाय । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जरा देख लें इंगलैन्ड में वृद्धि कब और किस सरकार के जमाने में हुई । फ्रांस में तो उस जमाने में हुई जबकि झारखंडे राय जी मौजूद नहीं हैं । कम्युनिस्ट शासन था । तो यह वेतन की वृद्धि है क्यों, इसका बहुत बड़ा उत्तर है जो सन् ३६ में हाउस आफ कामंस में दिया गया था और उस समय "डेलिकेसी" शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि यह बड़ा नाजुक मामला मालूम होता है ऐसे मौकों पर वेतन वृद्धि की बातें करना ट्रेजरी बेंचेज से । यह कहा गया था कि डेलिकेसी है। उसको समझिये कि क्या बात है । उन्होंने कहा कि जब हम वेतन निश्चित करते हैं मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर से लेकर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तक हर एक का तो ठोस डिसीशन करना पड़ता है, न सिर्फ यह कि कितने में आदमी रहता है बल्कि यह भी इस वेतन के दायरे के भीतर मुल्क के टैलेंट्स आकर्षित हो सकेंगे ? क्या वे लोग इस काम को करना पसंद करेंगे या नहीं जो टैलेंट्स के लोग हैं उनको यह वेतनक्रम इन्वाइट करता है, ऐट्रैक्ट कर सकता है या

नहीं ? हैंडरसन ने भी यह प्रश्न उठाया था । सदस्यों ने कहा था कि यह जो वेतन-क्रम हम रखते हैं क्या यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा और जो काम करने वाले मुल्क में हैं उनके लिये यदि वेतनक्रम कहीं ज्यादा हों और पार्लियामेंटरी ऐक्टिविटीज में वेतन कहीं कम हों तो टैलेंट के लोग उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे । २५ मार्च, १९३६ को ब्रिटिश हाउस आफ कामंस में एक प्रस्ताव पास हुआ था और उसमें एक यह भी चीज थी कि "दि सैलरी ऐंड एमाल्यूमेंटस शुड ऐट्रैक्ट दि टैलेंट्स आफ दि कंट्री ।" जो लोग पार्लियामेंटरी ऐक्टिविटीज में भाग लेने वालों को जरूरत से ज्यादा निकम्मा और गिरा हुआ समझने के आदी हो गये, उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि बाहर के देशों के वेतनक्रम को क्यों समझते हैं कि बहुत कम अन्तर का है। मैं कुछ वहां की भी जानकारी रखता हूं, कुछ आंखों से भी देखा है। माननीय राजनारायण जी की तरह से हवा में बातें करना मैंने सीखा शायद नहीं और उनके विषय में तो मेरा विश्वास होता जा रहा है कि ब्रह्मा भी आ जायं तो आंकड़ों की दुनिया में उनको कुछ सिखा नहीं सकते । पता नहीं, कल कहां से आंकड़े लाकर पेश कर दिये ? मैंने इस सदन में पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था कि कहां भूल है और जो मैंने निवेदन किया था वह छपा हुआ मौजूद होगा । हमारे प्रजा समाजवादी दल के सदस्य यदि किसी चीज को प्वाइन्ट आउट करके यह कहते कि यहां पर यह चीज गलत है और इस तरह से गलत है तो मैं फिर से आपका समय लेता और उन चीजों को दोहराने की जुर्रत करता, लेकिन मैं समझता हूं ---मैं क्या बताऊं अगर वैसे ही कह दिया जाय कि यह अंधेर, वह अन्धेर तो ऐसे अंधेरों की दुनिया में तो मैं आपका, कीमती वक्त नहीं ले सकूंगा । लेकिन खैर । इंगलैन्ड में भी तो वेतन है ? वहां के प्रधान मंत्री का वेतन ८,००० पाउन्ड है । और कितना डिफरेन्स है कि ८,००० प्रधान मंत्री का वेतन है जबकि डिप्टी प्राइममिनिस्टर का ५,००० पाउन्ड ? कितना बड़ा गैप पड़ता है ? और वहां ४ ग्रेड के मिनिस्टर्स होते हैं । फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ । दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रेड के मिनिस्टर का वेतन ३,०००, २,००० और १,००० पाउन्ड तक उतर कर आता है और उसके अलावा जो सहूलियतें दी जाती हैं उनकी गणना में क्या करूं ? यहां तो यह भी पता नहीं होगा कि मंत्री को अपने घर की बिजली का जो बिल देने में कितनी परेशानी होती है और कितना देना पड़ता है और हमने सहूलियतों का दायरा इतना लम्बा बना लिया है कि हम यह नहीं देखते कि बहैसियत एक सदस्य के फ्रांस की पार्लियामेंट के मेम्बर को कितना मिलता है । वहां और ब्रिटिश हाउस आफ कामंस में लंच और डिनर वगैरह में उनके लिए जो खर्च होता है अगर उसका खयाल किया जाय तो वहां लोगों को हम से ज्यादा मिलता है । लेकिन यदि भेदभाव की बात हो तो आज इंग्लैन्ड में मामूली लेबरर्स को जो मिलता है उससे कम मिलता है, बाबू और पढ़े लिखे आदमियों को । और जो बाबू को मिलता है वह अमूमन ५-७ पौंड पर वीक पड़ता है, करीब ७-८ सौ पौंड साल पड़ता है । तो प्रधान मंत्री का वेतन यदि ८ हजार पौंड हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गयी । और ८ सौ और ८ हजार ही का फर्क नहीं है । सबसे बड़े फर्क की चीज तो कम्युनिस्ट रूस का वेतन-क्रम है । जरा उसकी ओर क्यों न ध्यान दें ? जब मैंने इस सदन में यह कहा था कि रूस के ढाई सौ रुबल करीब १९ रुपये के बराबर होते हैं तो लोगों ने कहा कि शायद यह चीज गलत है और मैंने उस पर निवेदन किया था कि साबित कर दें कि यह गलत है तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली होगी कि उसका पता लगाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूस में एक मामूली मजदूरनी को ढाई सौ रुबल मिला करते हैं, एक डाक्टर को साढे ६ सौ रुबल माहवार देते हैं लेकिन वहां के मंत्री की तनख्वाह २५ हजार रुबल

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

प्रतिमास है । तो कहां ढाई सौ रूबल और कहां २५ हजार रुबल यह कितनी बड़ी विषमता है । इसकी ओर भी जरा ध्यान देना पड़ेगा । यूगोस्लाविया और जाने कहां-कहां की बातें कह दी गयीं । मैं नहीं जानता कि यूगोस्लाविया की क्या जानकारी हमारे मित्र को है । मैंने भी विषमता देखी है, मैंने भी देखा है कि कितना बड़ा अन्तर एक और दूसरे के बीच में है, मैंने भी देखा है कि किस प्रकार फटे जूते पहने लोग योरोप में घूमा करते हैं, मैंने भी कम्युनिस्ट रूस के सेक्टर में अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार एक तरफ लोग ऊंची अट्टालिकाओं में रहते हैं और दूसरी तरफ छोटे-छोटे मकानों में सड़ने वाले लोग मौजूद हैं। तो इस प्रकार का एक व्याख्यान दे देने से तो इस विषय का निर्णय नहीं हो सकता । मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने माननीय मित्रों से जो इधर बैठे हैं और खासतौर से जो मेरे मित्र अपोजीशन में हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में डेलीकेसी को इतना ध्यान में न रख कर वाकयात को जरा सोचें। चर्चिल जिस वक्त बोर्ड आफ ट्रेड के प्रेसीडेन्ट थे तो २ हजार पौंड उनको तनख्वाह मिला करती थी । उन्होंने सोचा कि इसमें तो काम नहीं चलता । करते क्या वे । आखिर उन्होंने एक तरीका निकाला । उन्होंने एक प्रस्ताव रखवाया कि हमारा जो सक्सेसर हो उसको ५ हजार पौंड वेतन मिला करे । यह न कह कर कि मुझको ५ हजार पौंड मिला करें उन्होंने कहा कि जो उनका सक्सेसर हो उसको मिला करें। तो यह एक डेलीकेट बात थी, उसको दूसरे ढंग से कहने का यह तरीका था । लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि हर पद के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं और गैरजिम्मेदारी से तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । हमारे यहां भी बहुत सी बातें कही गयीं । मैं तो कई दिन की बहस में देख रहा हूं कि कंट्रोल, लाइसेन्स और हर चीज के बारे में कहा गया। अपने यहां किसी आदमी को अगर कोई लाइसेन्स मिले तो हमको कुछ शिकायत हो सकती है लेकिन फ्रेन्च पार्लियामेन्ट का इतिहास और दूसरे मुल्कों का इतिहास जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नैतिकता के मामले में उत्तर प्रदेश ही क्या इस देश का जो प्रजातांत्रिक शासन है वह बहुत से देशों से कहीं उन्नत है । काफी देखने, समझने और अखबारों को पढने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मुझे कम से कम इस बात का सन्तोष होता है कि इंग्लैन्ड ऐसे मुल्कों में जैसी इन्क्वायरीज होती हैं कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी या फलां क्यों घूस खाते हैं. इस प्रकार की जो वहां इन्क्वायरीज होती हैं, फ्रान्स में जो स्कैन्डल्स होते हैं, अमरीका में जितने स्कैन्डल्स होते हैं उनको देखते हुये कम से कम मारल प्लिन्थ पर हम औरों के मुकाबिले में अपने को बहुत काफी ऊंचा कहने का दावा रख सकते हैं। तो इसके साथ-साथ श्रीमन्, अभी कह दिया गया असेम्बली के मेम्बरों के बारे में। असेम्बली के बहुत से मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको काफी चिन्ता अपने दैनिक भत्ते की न हो, हो सकता है बहुत से ऐसे सदस्य हों जो इस विषय में देश की बात को ज्यादा सोचते हों और यह सोचते हों कि यह चीज ज्यादा इम्पार्टेन्ट है । लेकिन क्या यह उचित नहीं है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के क्षेत्र में जाय और सम्पर्क स्थापित करे ? क्या यह उचित नहीं है ? जैसे और देशों में हाउसेज में होता है, हर सदस्य के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह असेम्बली की बैठक में भाग ले। यह तो पार्टी व्हिप के ऊपर होता है कि वह कितने आदमियों को रखेगा और कितने को नहीं रखेगा। लेकिन बाहर के दूसरे देशों में तो यह होता है कि जितने मेम्बर्स होते हैं उतनी हाउस में सीट्स तक नहीं लगाई जाती हैं । आज यदि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में सब मेम्बर्स बैठ जायं तो बहुतों को एक दूसरे की गोद में बैठना पड़ेगा क्योंकि वहां इतनी सीट्स नहीं मिलेंगी । यह जरूरी नहीं समझा जाता है कि हर मेम्बर बैठा रहे । हर मेम्बर के बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं होती है । हर एक आदमी की अपनी-अपनी रुचि भिन्न होती है, हर एक का अपना अपना विषय होता है,

हर एक आदमी अपने को किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशेलाइज करता है, हर एक का कोई एक विषय रुचिकर होता है और हर मेम्बर अपने सब्जेक्ट के अनुसार हाउस में भाग लिया करता है । हमारे यहां तो बहुत से ऐसे सदस्य हैं कि यदि मौका मिले तो हर चीज पर व्याख्यान दे दें, तो यह तो प्रतिभा की बात है । ऐसी प्रतिभा वाले भी अवश्य इस सदन में होंगे जो हर विषय के ऊपर व्याखान दे सकें । लेकिन अगर जनतंत्र की उन्नति करनी है तो हर एक को अपना-अपना विषय लेकर बैठना होगा और हर विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । जगन्नाथ मल्ल जी ने कोरम पूरा न होने की शंका प्रगट की थी तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गम्भीर प्रश्न उपस्थित कर दे ।

श्रीमन्, जब मैं समझता हूं कि सदन के उठने का समय हो गया है और मैं चाहता हूं कि सदन के कीमती समय को नष्ट न करूं जैसे कि माननीय राजनारायण जी ने आघात किया है । किन्तु यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सिद्धान्तवाद से काम नहीं चलेगा और व्यवहारिकता को देखना चाहिये । यह कहना नितांत अनुचित है कि हमने किसी को बड़ा भारी अमीर बना दिया, किसी को डिप्टी-मिनिस्टर बनाकर बड़ा भारी धनी बना दिया । ऐसा भी हो सकता है कि यहां आने में लोगों को आर्थिक हानि होती हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग न चाहते हों इसको सहन करना, कुछ सदस्यगण ऐसे भी हो सकते है जो किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त करना चाहते भी हों । इन शब्दों के साथ मे पुनः निवेदन करुंगा कि इस प्रश्न पर विचार करते समय गंभीरता से सोचें और इस डेलीकेसी को ध्यान में रखे जिसके द्वारा बंधा हुआ मैं भी आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूं ।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर बहस हो रही है और मेरा एक प्रस्ताव था कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय, लेकिन मैं उस समय मौजूद नहीं था और मेरा कुछ ऐसा इम्प्रेशन था कि आज यह पेश नहीं होगा । सीताराम जी शुक्ल ने इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सीताराम शुक्ल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की पंक्ति ३में शब्द "एक" और शब्द "प्रवर समिति" के बीच में शब्द "संयुक्त" निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है ।

श्री उपाध्यक्ष—अब उठने का समय हो गया । माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रखें ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जयपाल सिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब कि पिछली बार इस तरह का बिल इस सदन के सामने आया तो उस वक्त सदस्यों की ओर से यह बात बार-बार कही गयी कि कराची रेजोलूशन कांग्रेस का ऐसा था कि कांग्रेस की शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह न दी जाय । तो उन सब बातों का जवाब देते हुये माननीय पन्त जी ने, जो उस समय मुख्य मंत्री थे यह कहा था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जयपालसिंह]

हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और इस देश में हमको स्वयं हुकूमत करनी है, और यहां के मिनिस्टरों का स्तर बरकरार रखना है और उसको बढ़ाना है और कम नहीं करना है। बाद में खुद उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि हमें उस स्तर को बढाना है और सभी जनता के स्तर को बढाना है। तो मिनिस्टरों का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का बढाना है। तो ऐसी अवस्था में यह बिल हमारे सामने मौजूद है। इस अमेंडमेन्ट के जरिये से जब लेजिस्लेचर का स्थान इतना ऊंचा है कि लेजिस्लेचर के हर सदस्य का स्तर अच्छा रखना है ताकि वह जनता की सेवा कर सके और ईमानदारी से काम कर सके और उनके दुख दर्द की और फलाह बहबूदी की नुमायन्दगी कर सके तो उनको कम से कम इतना स्तर तो देना ही चाहिये कि उनकी जो मामूली इन्सानी जरूरते हैं उनको वह पूरा कर सकें।

जहां तक मन्त्रिगण का सम्बन्ध है, माननीय पं. पूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि इंगलैन्ड के अन्दर काफी तनख्वाहे दी जाती है और काफी ऊंचा स्तर मन्त्रियों का है। लेकिन उन्होंने यहां पर सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदस्यों की बारी आती है तब वह मौन हो जाते है। जब मंत्रियों की सुविधा का सवाल आता है तो स्पष्ट यह कहा जाता है कि हमें तो उनका स्तर कायम रखना है। तो ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि सदस्य जो हैं वे एक लेजिस्लेचर हैं तो उनके लिये सब सुविधाओं को सोचना और उनको प्राप्त कराना हम सब का कर्त्तव्य हो जाता है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है, उनको हमें पूरा मौका देना है जिससे वे विचार कर सके। उनको रहने की सुविधा भी होनी चाहिए जिससे वह अच्छे निवास में रह सके। उनके आने जाने के लिये भी सुविधा होनी चाहिये इसलिये नहीं कि वह गलत कार्य करें बल्कि बेहतर कार्य करें और जनता के हित में कार्य करें। उनको कार्य करने के लिये, सोचने, समझने और विचार करने की सुविधा होनी चाहिये। वह ऐसी सुविधा होनी चाहिये जो इन्सानी जरूरियात को पूरा कर सके। जब सदस्यों का प्रश्न सामने आता है तो उसको इगनोर किया जाता है। अब यह भी कहा जाता है कि हम यहां पर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते है और उसके लिये सोशलिस्टक इकोनामी होनी चाहिये, तो फिर सभी के लिये इकोनामी की आवश्यकता है और एक नये जनतन्त्र को कायम करना चाहिये। जब हम देखते है कि उसी लेजिस्लेचर का सदस्य जो मंत्री हो जाता है उसकी तनख्वाह में और सदस्यों की तनख्वाह में कितनी डिसपैरिटी है तब हमको यह ज्ञात होता है कि आखिरकार क्या इसी प्रकार हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से तनख्वाहों और सुविधायों में भिन्नता रख कर आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते है? आज हम लेजिस्लेचर के सदस्यों को यहां यह विचार करना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम अपनी सुविधाओं पर विचार करें, जो भिन्नता आपस में है उसको दूर करें तो हमें उन मुख्य सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा जिनकी हर शख्स को जरूरत होती है और जिनके बिना हर शख्स को असुविधा होती है। जहां एक ओर मिनिस्टरों के पास बड़ी-बड़ी कोठियां हैं वहां दूसरी ओर असेम्बली के सदस्यों को इस बात के लिये बाध्य किया जाता है कि वे एक कमरे में दो आदमी रहे। जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, जनता के प्रतिनिधि होने का सवाल है, मंत्रीगण भी उसी प्रकार से प्रतिनिधि हैं जिस प्रकार से और सदस्यगण हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं में जमींन आसमान का अन्तर है। जब दूसरी सुविधाओं का सवाल आता है तब भी इतना ही फर्क किया जाता है। फिर मेरी समझ में नहीं नहीं आता कि हम बाहर किस प्रकार से भिन्नता को दूर कर सकेगें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। विधान के अनुसार हमें भी फ्रीडम ऑफ ऐक्स्प्रेशन होना चाहिये, लेकिन हम उस कमरे में रह कर फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन

से वंचित है। वहां हम आजादी से विचार नहीं कर सकते, किन्हीं अपनी प्राब्लम्स पर विचार नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। यह सब जनत्रंत के खिलाफ है। सदस्यों को यह चेतावनी दी जाती है कि तुम लोगों को जबरदस्ती एक कमरे में दो को रहना पड़ेगा नहीं तो ४ रुपया रोज किराया देना होगा। यह व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आती। जब आप ऊपर को जाते नहीं हैं और नीचे को आते नहीं तो यह जो फर्क है वह किस प्रकार से दूर होगा जब कि आप लेजिस्लेचर के सदस्यों में ही फर्क को दूर नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्रियों की तनख्वाहें काफी हैं और उनका भत्ता आदि भी बहुत काफी है, लेकिन उनके मुकाबले में सदस्यों को बहुत ज्यादा असुविधा हैं। मंत्रियों के पास पैलेशियल बिल्डिंग्स हैं जिनमें १०-१०, १२-१२ लोग रह सकते हैं, वे आसानी से डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को रख सकते हैं; लेकिन दूसरी ओर सदस्यों से कहा जाता है कि अपने कमरे में दूसरे को अवश्य रखना होगा चाहे उसके परिवार के कई सदस्य ही क्यों न हों। जब स्टैंडर्ड आफ लिविंग में और तनख्वाहों में इतना अंतर है तब आप समाज के लिये नया नमूना किस प्रकार से रख सकते हैं?

जहां तक मंत्रियों की पे का संबंध है उनको करीब दो हजार रुपये के पे मिलती है। पिछली दफा १,५०० रुपया मिलते थे, लेकिन अपनी इच्छा से कटवाने के बाद और टैक्स देने के बाद १,२६० रुपया रह गये थे। मंत्रियों ने ६० रुपया अपने आप सेक्रीफाइस कर दिया और १२०० रुपया बिना टैक्स के रह गया। अब दूसरे और जो अलाउन्सेज हैं उनको मिला कर करीब-करीब दो हजार होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेंटर में जो मिनिस्टर्स हैं उनको २,२५० रुपया तनख्वाह मिलती है और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उनको करीब २ हजार मिलते हैं, जो करीब करीब बराबर हैं।

तो मैं कह सकता हूं कि बराबरी सी चल रही है, लेकिन इसके होते हुए भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मिनिस्टरों को कार नहीं दी जाती, लेकिन हम अपने मंत्रियों को कार देते हैं और उसके रखरखाव का खर्च देते हैं और इस तरह से जो खर्च बढ जाता है वह मंत्रियों के लिए बहुत अधिक है। अब मुफ्त में दवादारू नहीं मिलती। ठीक है, सुविधा का सवाल है और स्टेटस का भी सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि लेजिस्लेचर जिसका काम इतना ऊंचा है देश की बहबूदी के लिए और उसका काम पूरा करने के लिये जिन सुविधाओं को सामने रखना पड़ता है उनको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि वे मंत्रियों से कम काम करते हैं। काम तो वह भी करते हैं सिर्फ फर्क इतना है कि वह ज्यादा समय अपना देते हैं और हम केवल उतना ही देते हैं जितना कि हम से काम लिया जाता है। अब सदस्यों से भी यह उम्मीद की जाती है कि वे भी होल टाइम कार्यकर्त्ता हों और उनको भी अपना सारा जीवन जनता की सेवा में खर्च करना पड़े। ऐसी हालत में यदि हम अपना मुकाबला दूसरे देशों से करें, अगर हम इंगलैन्ड को ही ले लें तो वहां सन् ४६ में एक कमेटी बनी और उस कमेटी में सवाल पैदा हुआ कि वहां हाउस आफ कामन्स के सदस्यों का वेतन बढ़ाने का सवाल आया और वह ६०० पौंड से १,००० पौंड कर दिया गया और वह आज के हिसाब से हमारे यहां के करीब १,३५० रुपए के होते हैं। हमारे यहां मंत्रियों को १२०० रुपया वेतन मिलता है। हम अगर समाजवादी व्यवस्था के हिसाब से दूसरे प्रदेशों से अपने यहां का मुकाबला करें तो बम्बई में ८५० मिलते हैं और वेस्ट बंगाल में ७५० ही मिलते हैं। अगर हम सदस्यों के वेतन का मुकाबला करें तो उनके मुकाबले में वह यहां के वेतन और मंत्रियों और सदस्यों के वेतन का मुकाबला करें तो पता लगेगा कि वहां सदस्यों को

[श्री जयपाल सिंह]

१५० रुपया मिलता है लेकिन १,७५० उनको डेली एलाउन्स भी मिलता है। तो फर्क तो अपने आप मालूम हो जायगा कि कहां तक जरूरत पूरी होती है? पंजाब में भी सदस्यों को ३०० रुपया वेतन दिया जाता है और साथ ही वे जब चाहे घर जा सकते हैं और उनको उसका डी० ए० और टी० ए० दिया जाता है। ऐसी हालत में सदस्यों की सुविधाओं का उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां जब भी सदस्यों का सवाल आता है तो वही बात है कि "कड़वा-कड़वा थू, मीठा-मीठा गप्प"। जब सदस्यों की बारी आती है तो वे चुप हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की जो डिसपैरिटी प्रदेश में सदस्यों की आय और टी० ए० भत्ता आदि में है वह दूर की जाय और हमें वह सुविधा दी जाय जो कि एक इन्सान और एक लेजिस्लेचर के सदस्य के स्टेटस को देखते हुए जरूरी है। हमारे यहां भी एक छोटी सी कमेटी बनी थी और कहा गया था कि सदस्यों को आवास आदि के सम्बन्ध में और दूसरी सुविधायें मिलना चाहिए। उस में एक बार रायल होटल का सवाल उठा था और सरकार ने उसको लिया भी और उस वक्त बात थी कि ७०–७५ सदस्यों को वहां आवास दिया जाय और जो कमेटी बनी थी उसकी भी यह राय हुई थी कि ऐसा होना चाहिये और उसको कौंसिलर्स रेजिडेंस में तब्दील किया जाय। लेकिन वह भी नहीं हुआ।

तो ऐसी हालत में जब सदस्यों को इस तरीके से परेशान किया जाय और यह कहा जाय कि नहीं, दो सदस्य एक कमरे में जरूर रहेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम मंत्रियों और उपमंत्रियों की सुविधाओं का बिल लाये तो उनको सोचना चाहिये कि सदस्यों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये और वह आवश्यकतायें जो एक इन्सान के लिये जरूरी है। मैं यह समझता हूं कि जहां सदस्यों के कार्य और होलटाइमर होने का सम्बन्ध है वे काम करते हैं, क्या वे दो सौ रुपये पर गुजारा कर सकते हैं? जब पंत जी यहां पर थे तो उनका विचार था और उन्होंने खुद बढ़ाने के लिये बात कही थी उस समय एक तरफ से यह आवाज आयी कि चूंकि यहां लेजिस्लेचर नया आया है तो दूसरे प्रकार के जो छोटे-बड़े सरकारी कर्मचारी है वे अपने वेतनों को बढ़ाने का सवाल पैदा कर देगें। ऐसा कह कर उस वक्त टाल दिया गया था। मैं मान सकता हूं कि यह सही है लेकिन अगर हम आगे के लिये व्यवस्था कर दें तो वह मुनासिब कहा जा सकता है। इसलिये होगा कि हम आगे के लिये कर रहे हैं न कि अपने लिये।

अब एक बात और मैं कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां के पार्लियामेन्ट के सदस्यों को चार सौ रुपये तनख्वाह दी जाती है उनको २१ रुपये डेली एलाउन्स दिया जाता है। अब उनके कार्य को देखिये उनका जो क्षेत्र है वह कितनी सेवायें करते हैं, कितनी उनकी ऐक्टीविटीज हैं। उसका मुकाबिला यहां के सदस्यों से अगर किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि असेम्बली के जो सदस्य हैं उनको ज्यादा कार्य करना पड़ता है। उन्हें अपनी कांस्टीटुयेंसी को नर्स करने के लिये, हर मामले को देखने के लिये हर तरीके से वहां के व्यक्तियों की नुमाइन्दगी करता है। हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों की बाहरी पालिसी क्या है और विभिन्न राज्यों के कानूनों को यूनीफाई करना होता है। यह मैं मानता हूं कि फॉरेन पालिसी का मामला बहुत अहम मामला है लेकिन यहां की जो अन्दरूनी व्यवस्था है उसके लिये काम करना असेम्बली के सदस्यों का काम है और वही वहां अपना सब समय देते हैं और जो काम असेम्बली के सदस्य करते हैं वह उनसे किसी भी हालत में कम नहीं है, बल्कि उनसे और बिलकुल ज्यादा है बल्कि केन्द्रीय पार्लियामेंट अपने सदस्यों के लिये ४ सौ रुपये तनख्वाह देता है। तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि उतनी तनख्वाह असेम्बली के सदस्यों के लिये नहीं है, क्या वजह है? असेम्बली के सदस्यों की वही तनख्वाह होनी चाहिये जो पार्लियामेन्ट के सदस्यों की है। मैं कह सकता हूं कि देहली जैसे शहर में रहन-सहन में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिये जो २१ रुपये डेली एलाउन्स होता है वह तो रहने दिया जाय हमें

१० रुपये ठीक है, लेकिन जो तनख्वाह मिलती है वही हमको भी मिले । वही सुविधायें भी मिलनी चाहिये । फ्री रेलवे पास हमको भी मिले । फ्री रेलवे पास पार्लियामेंट के सदस्यों को मिला हुआ है । वह यहां के मेम्बरों को नहीं मिलता । यह बड़े दुख की बात है । कहीं फार्मूले की बात कही जाती है और कहीं एक्सपेरीमेन्ट की बात कही जाती है कि १० आदमियों, २० आदमियों और सौ आदमियों का एक्सपेरीमेन्ट करना चाहिये कि कितना खर्च होगा। जहां तक एक्सपेरीमेन्ट की बात है पार्लियामेन्ट के सदस्यों ने उसे कर लिया है और कई सालों से वह रेलवे पास इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि जहां सात सौ आदमियों ने अब एक्सपेरीमेंट कर लिया है वहां पर इस स्टेट के ५०० लेजिस्लेचर्स के सदस्य उससे क्यों फायदा न उठावें? वह एक्सपेरीमेंट हो चुका है । एक और निवेदन करना है कि जहां रलवे डिपार्टमेन्ट के लाखों आदमी पासेज से फायदा उठाते हैं और वहां उनका एकाउन्ट ऐडजस्ट हो जाता है । वहां उनका हिसाब-किताब लग सकता है और फिर जो हमारे पांच सौ विधान मंडल के सदस्य हैं क्या उनका हिसाब-किताब न रखा जा सकेगा ? अगर कोई रेशियो निर्धारित भी कर दिया गया है, १० लाख, ५ लाख, तो क्या उससे कोई भी कमी पड़ेगी ? उससे कोई परेशानी की बात नहीं है । उसको हम यहां भी कर सकते हैं । फिर भी हम उसे लेजिस्लेचर के सामने ला सकते हैं और लाकर पास कर सकते हैं और जो दिक्कत है उसे दूर कर सकते हैं । आखिर डी० ए० और टी० ए० में जो खर्चा होता है उसका अनुमानित एस्टिमेट होता है, यह नहीं होता है कि इतना खर्चा होगा, ज्यादा नहीं हो सकता । अगर ज्यादा होता है तो वह ले लिया जाता है । ऐसी हालत में पैसा निर्धारित किया जा सकता है । ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों को केवल अपने आसायश पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये । उनको बंगले चाहिये, मोटर चाहिये, हवाई जहाज चाहिये और जनता की भलाई के लिये ४२० सदस्य जो हैं, जो कि सही मानी में डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिये कुछ न किया जाय । यह नहीं कि केबिनेट जो है वही लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं । यह जरूर है कि वे जिम्मेदार हैं लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन सही मानी में लेजिस्लेचर ही जनतंत्रवाद की सही कसौटी है । ऐसी हालत में उनकी सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इंग्लैन्ड में साढ़े १३ हजार रुपये एक मेम्बर को एक साल में दिये जाते हैं । इसके अलावा वहां उनको पेंशन भी दी जाती है । स्टेशनरी का एलाउन्स भी दिया जाता है, टेलीफोन की सुविधा भी दी जाती है, रेजीडेंस भी दी जाती है । जनतंत्रवाद में जिन-जिन चीजों की सही मानी में जरूरत है वह वहां सब उनको उपलब्ध हैं। तो फिर जब हम यहां भी डेमोक्रेसी का नया परीक्षण कर रहे हैं तो उन चीजों को यहां भी क्यों न लाया जाय ? इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि सदस्यों की तनख्वाहों और उनकी सुविधाओं की ओर अवश्यमेव ध्यान देना चाहिये । यह सब हमें देना पड़ेगा । अगर आज नहीं तो कल जरूर देना पड़ेगा । हमारे पी० एस० पी० के भाई तो जरूर कहेंगे और पहले भी उन्होंने कहा है कि जहां तक लेजिस्लेचर्स की तनख्वाहों का सवाल है, इलेक्टोरेट जो है वह हमको यह कहेगा कि हम तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं और मेरी यह स्पष्ट राय है और यह ठीक राय है कि जनता की सेवा करने का अगर हमारा लक्ष्य है तो जनता को इन बातों का कोई खयाल न होगा और अगर हमारे दिलों में जनता की सेवा करने का कोई लक्ष्य नहीं है तो जनता को जरूर ऐसा खयाल होगा कि हम जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं । लेकिन जब लेजिस्लेचर्स जनता के पैसे का सदपुयोग कर रहे हैं और उनकी दिली ख्वाहिश यह है कि जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके तो कोई कारण नहीं है कि जनता यह कहे कि इतने साधन क्यों उपलब्ध है ?

[श्री जयपाल सिंह]

लिहाजा एक तो मैं यह निवेदन करुंगा कि हमको फ्री पास की व्यवस्था की जाय और अगर कोई रुल्स की कमी पड़ती है तो हम केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच सकते हैं और जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन कानून में हमने देखा कि जब दिक्कत हुई तो कांस्टीट्यूशन के सेक्शन ३१ में हमने तरमीम करा ली उसी तरह से जब हम जनता की सेवा करते हैं तो हमें साधन मिलने में अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो उसे दूर किया जा सकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां मेम्बर्स की तनख्वाहों का सवाल है उसको बढ़ाना होगा और कम से कम पार्लियामेंट के मेम्बर्स के बराबर के स्तर पर लाना होगा ।

तीसरी बात यह है कि दस दिन के ट्रिप की बात कही गई, और अगर कोई ट्रिप करता है तो उसे डी० ए० और टी० ए० दस दिन का मिलेगा । इसमें वकला वर्ग जो है उनको तो फायदा होगा, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं उससे उनको कोई लाभ होने की आशा नहीं है जहां तक कि आर्थिक दृष्टि का सवाल है । मैं सहारनपुर या मुरादाबाद एक दिन के लिये जाता हूं, कोई पब्लिक मीटिंग होती है, या प्लानिंग कमेटी की मीटिंग के लिये जाता हूं तो कितना रुपया खर्च होता है ? यह बात अलबत्ता है कि गैर हाजिर रहूंगा तो दो रुपये मिल जायेंगे । यह बात भी है कि गैर हाजिरी के लिये अगर दैनिक भत्ता वसूल करते हैं तो इल्जाम लगेगा । तो खामखाह ऐसी बात क्यों की जाय ? आखिरकार पंजाब में जब चाहे सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जा सकता है, किसी सार्वजनिक काम के लिये जा सकता है और उनको भत्ता दिया जा सकता है । मैं यह नहीं कहता कि भत्ता ही दें । मैंने तो पास की बात कही है जिससे एक्सप्लायटेशन की बात ही नहीं हो सकती है । यही कहा जा सकता है कि सदस्य पास का दुरुपयोग करेंगे । लेकिन सदस्यों से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सदस्य दुरुपयोग करेंगे । जब पास का एक सिस्टम है तो उसको क्यों नहीं अख्तियार किया जाता ? सब को एक स्तर पर लाना पड़ेगा । पार्लियामेंट के सदस्य चाहे जिस वर्ग के हों सब को फर्स्ट क्लास में जाना पड़ता है बशर्ते कि उनको जगह मिल जाय । इसमें सिर्फ ऐडजस्टमेंट का सवाल है और कोई सवाल नहीं है । उस चीज से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको पास दिया जाय और वह किया जाय जिससे सदस्य जिस वक्त भी चाहें अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में चले जायं और कांस्टीट्युएंसी में ही नहीं जिले में जो कार्य होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, जो लोकल कमेटीज होती हैं उनमें हिस्सा ले सकें और जनहित में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें ।

जहां तक रेजिडेंस का सवाल है, सदस्यों को उतना तो मिलना ही चाहिये जिससे वह एक आजादाना तरीके से लिख सकें, पढ़ सकें, बातचीत कर सकें । उनकी कांस्टीट्युएंसी के वर्कर आते हैं उनसे भी वार्तालाप कर सकें, जिससे सही मानों में वह देशभक्त बन सकें और सच्चे मानों में वह जनता के हित में कार्य कर सकें । लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था इस वक्त है वह बात हल नहीं होगी । अगर देखा जाय तो उससे सदस्यों को जो रहने का प्रबंध है उसमें बहुत कमी है । उसको दूर करने की बात है । जब हमारे पास रायल होटल नहीं था तब हम कह सकते थे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है । लेकिन सरकार ने रायल होटल को खरीद लिया । और ७०–७५ कमरे भी उसमें मिल गये हैं । तो क्या रुकावट है जो काउन्सिलर्स रेजिडेंस के लिये उसका इस्तेमाल न किया जाय ? आखिरकार दूसरे-दूसरे आफिसेज भी पहले थे । आखिरकार उनके लिये वह जगह मौजूद है । वहीं पर काम चल सकता है । लेकिन आफिस का ध्यान ज्यादा है बनिस्बत सदस्यों के । क्योंकि काउन्सिलर्स रेजीडेंस का सवाल है वह तो काउन्सिल हाउस के नजदीक ही होना चाहिये । जहां तक आफिस का सवाल है वह १० मील दूर भी हो सकता है क्योंकि कर्मचारी और अफसर चार मील, पांच मील भी जा सकते हैं, बसों से जा सकते हैं दिल्ली में बसों से आते-जाते हैं, पांच-पांच, छ-छ, सात-सात मील से आते हैं सेक्रेटेरियट के मुलाजिम ।

यहां भी दफ्तर दूर हो सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर का जहां तक सवाल है वह निकट ही रहना चाहिये। रायल होटल इतना उपयुक्त है कि जो दिक्कत है वह उससे दूर हो सकती है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके से सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाय और उनको वह सुविधायें जी जायं जिससे सदस्य आजादी से काम कर सकें।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां केन्द्रीय सरकार ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की कोई पे नहीं दी है। पिछले दिनों जब सदस्यों की पे का कोई सवाल नहीं था, केवल ट्रेवलिंग एलाउन्स और डेली एलाउन्स, (दैनिक भत्ता) उनको मिलता था तब पार्लियामेंट्री सेक्रेट्रीज वहां पर उस वक्त भी थे। उस समय उनको वही एलाउन्स मिलते थे जो सदस्यों को मिलते थे और जब कभी बाहर सरकारी काम से जाते थे तो वहां जितने दिन सरकारी काम से रहते थे उतने दिन का भत्ता उसी रेट से मिलता था। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता था। इसके बाद जब सदस्यों का वेतन वहां निर्धारित हुआ तब जाकर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को भी ४००रु० दिया जाने लगा। तो इस प्रकार वही उनको पे दी जाती है और वही फ्री पास उनको दिया जाता है और दैनिक भत्ता उसी तरह से दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक नयी व्यवस्था कायम कर दी गयी है। जब केन्द्रीय सरकार ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की पे नहीं रखी है तो यहां रखने की क्या जरूरत है? तो इसको तो हटायें और इसमें कोई सार मुझे दिखायी नहीं देता है कि इस तरीके से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की अलग से एक कैटेगरी बनायें उनको सदस्यों से अलग सा कर दिया जाय कि यह बड़ा है यह छोटा है। बल्कि स्थिति यह होनी चाहिये कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और मेम्बर्स को एक अवस्था में ला सकें। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक इस तरह का कार्य करें कि जो वक्त जरूरत पर उनसे सरकार ले सके। ऐसे ही सदस्यों से भी वक्त जरूरत पर सरकार काम लेती है। इस तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को अलग से तनख्वाह देने का इस बिल में प्राविजन किया गया है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की हालत को ध्यान में रखते हुये इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से हमारे यहां डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की पे का सवाल आया। उनको कुछ और चीजें बढ़ाने का सवाल पैदा हुआ। अब सवाल यह रह जाता है कि जहां केन्द्रीय सरकार का सवाल है वहां पर क्या होता है? तो उसको तो छोड़िये लेकिन यहां की हालत को तो देखना है। अपने सूबे को हमको देखना है कि हम अपने सदस्यों में जो डिस्पैरिटी है, जो भिन्नता है, उसकी खाई को हम कितना दूर कर सकते हैं, उसको करने की जरूरत है। आज काम तो हर एक करना चाहता है और करेगा। सवाल यह है कि डिप्टी मिनिस्टर, या मिनिस्टर हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये चाहिये, उनकी दवादारू के लिये चाहिये, और बातों के लिये चाहिये और सदस्यों का कोई ख्याल नहीं! आखीरकार सदस्यों के लिये भी दवादारू का इंतजाम होना चाहिये या नहीं? कम से कम जब तक वह यहां रहते हैं तब तक तो होना ही चाहिये। आखीर सदस्यों से क्या नफरत हो गयी है कि उनके लिये दवादारू का इंतजाम न किया जाय और वह पड़े तड़पते रहें। तो ऐसी हालत में जो दूसरी बातें हैं उन पर ध्यान न देकर सदस्यों के लिये ध्यान देने की जरूरत है। डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की पे बढ़ाने का सवाल जहां तक है वहां पर इस तरह से है कि इतना उनके बच्चों के एजूकेशन के लिये चाहिये, इतना दवादारू के लिये चाहिये, इनको अगर देखा जाय तो इन सबका टोटल तनख्वाह ही एक तरह से है। तो मैं यह कहता हूं कि अगर तनख्वाह कम पड़ती है तो आप तनख्वाह बढ़ा लीजिये। लेकिन यह जो नाक घूमकर पकड़ी जाती है, वह ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह आप १२ सौ कर दीजिये, मिनिस्टर की तनख्वाह ढाई हजार कर दीजिये बजाय इसके कि हम इन्डाइरेक्ट वे में उनकी एमेनिटीज को बढ़ायें। अगर हमने इन बातों पर ध्यान दिया तो हम समझते हैं कि हम अपने यहां की डिस्पैरिटी को कम कर सकते हैं और एक तरीके से जैसे एक समाजवादी व्यवस्था में काम करने का सवाल है, उसको भी किसी तरीके से अपने यहां

[श्री जयपाल सिंह]

पर हम मेनटेन कर सकते हैं और जहां जनता का सवाल है वहां हम उनकी समस्याओं को हल करने में सहयोग दे सकते हैं। और जब हम यहां अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की समस्याओं को कैसे हल करें? इसलिये मैं चाहूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और इन सारी चीजों की पूर्ति करके हम इस बिल को दुबारा सदन के सामने लायें तो बेहतर होगा और नहीं तो फिर वैसी ही अवस्था बनी रहेगी। और यह तो एक परम्परा सी हो गयी कि 'स्टेटस' को बनाये रखा जाय। वह दुखदायी होगा और हर एक के लिए दुखदायी होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि तरक्की हो, हर एक चाहता है कि उन्नति हो सके, पूरे समाज में उन्नति हो सके, हर एक व्यक्ति उन्नति करके समाज की फलाह व बहबूदी कर सके।

तो मैं यह कह देना चाहता था कि मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय.....

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो बिल पेश हुआ है इसमें संविधान की एक धारा का हवाला दिया गया है १६४ (५) का। उसमें यह लिखा हुआ है, "मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक उस राज्य का विधान मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय सूची में उल्लिखित हैं"। श्रीमन्, यह जो विधेयक पेश है, यह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपमंत्रियों के बारे में है। जहां तक सदस्यों का सवाल है उनके लिये इसमें १९५ धारा में व्यवस्था है, लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपमंत्रियों के नाम से कोई विधेयक इस धारा के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां यह विधेयक नहीं पेश हो सकता।

*वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैंने जो सुना—आपने फरमाया उसका कुछ हिस्सा तो मुझ तक पहुंचा नहीं, थोड़ा सा पहुंचा है—उससे मैं यह समझा कि एतराज यह है कि यह बिल जो इस वक्त इस सदन के सामने है उसमें जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर के मुताल्लिक क्लाजेज हैं वह इस कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, "इफ आई हैव करेक्टली अंडरस्टुड इट।" तो यह तो एक बहुत ही मामूली सी बात है कि मिनिस्टर तो डिप्टी मिनिस्टर को इनक्लूड करता है। खुद ही वैसा ही मिनिस्टर वह है, मिनिस्टर की कैटेगरी के अन्दर शामिल है, उससे अलग नहीं है बिलकुल। और यही नहीं, सभी जगह, तमाम मुल्कों में है जहां कांस्टीट्यूशन रिटिन नहीं है वहां भी और जहां रिटिन है वहां भी। किसी जगह पर डिप्टी मिनिस्टरों को उससे अलाहदा नहीं समझा जाता है।

मगर उसके अलावा यह बात यह है कि अगर यह बात न भी ठीक हो तो इस हाउस को कानून बनाने के अख्तियारात तो हर किस्म के हासिल हैं। अगर इस १६४(५) में कोई चीज कवर्ड भी न हो तो उसके यह मानी तो नहीं हैं कि यहां के लेजिस्लेचर को कानून बनाने का जो हक है वह सिर्फ इसी के अन्दर महदूद है। कानून तो सभी बातों के मुताल्लिक बनाया जा सकता है। तो उसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के मुताल्लिक भी कानून बनाने का इस हाउउ को पूरा हक है। कोई बात इस कांस्टीट्यूशन में नहीं है, जब तक कि यह न मालूम हो कि यह मना है इस कांस्टीट्यूशन की रू से ऐसा करना, उस वक्त तक किसी कानून को, जो यह हाउस बनाता हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कानून बन नहीं सकता है और इसको अख्तियार नहीं है। लिहाजा यह एतराज जो है वह अपनी जगह पर बिलकुल गलत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मंत्री, उपमंत्री को भी अपने में शामिल करता है तो अगर ऐसी बात होती तो विधान की धारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१८६ आप देखें, उसमें जहां अध्यक्ष का सवाल आया है वहां उपाध्यक्ष भी लिखा हुआ है। अगर वही मंशा होती जो मंत्री जी ने बतायी तो उपाध्यक्ष लिखने की जरूरत न होती, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी अपने में शामिल करता। इसलिये मंत्री जी का यह कहना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा अकेले उपमंत्री ही के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। जहां तक सभा सचिव का सवाल है वह तो कहीं आते ही नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है, यह अवैधानिक है।

अधिष्ठाता—क्या यह सदन के अधिकार के बाहर है कि उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के वेतन के बारे में वह कोई एलाउन्स निर्धारित करे ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—उसके बारे में मेरा यह कहना है कि कोई भी कानून इस संविधान के खिलाफ नहीं बन सकता। अगर संविधान की यह मंशा होती तो इसमें मंत्रियों को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती। फिर तो विधान सभा को अख्तियार था कि मंत्रियों का भी बनाती। लेकिन यह मंशा कतई नहीं थी इसलिये इस संविधान में मंत्रियों का जिक्र किया गया है। इसीलिये संविधान ने यह अधिकार इस सदन को नहीं दिया कि वह उपमंत्रियों और सभासचिवों के लिये कानून बना सके। अतः यह विधेयक अवैधानिक है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—इस व्यवस्था से संबंधित मेरा एक प्रश्न है और वह यह है कि यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका है, विचार इस पर जारी है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठाया जा सकता है ?

अधिष्ठाता—ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, वह उठाया जा सकता है।

मेरा इसके बारे में निश्चित मत है कि जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की तनख्वाह के बारे में इस बिल में दिया हुआ है, वह इस हाउस को अधिकार है कि उनके बारे में वह कानून बना सकता है। डेफिनीशन तो नहीं दी हुयी है, जहां तक मैंने संविधान और रूल्स देखे, लेकिन मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर। इसके अलावा मैं, आज तो नहीं लेकिन किसी दिन पेश कर दूंगा कि सेंट्रल पार्लियामेंट में कहीं इस तरह की कोई चीज है कि मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर। तो जो व्यवस्था आपने मांगी है उसके बारे में मेरा निर्णय है कि इस हाउस को अधिकार है कि वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर्स के वेतन के बारे में बिल पास कर सकता है।

श्री नवलकिशोर—अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, सदस्यों तथा मंत्रियों और उपमंत्रियों आदि के विषय में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर जो भाषण इस सदन में दिये गये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। दूसरे पक्ष की तरफ से जिन भाइयों ने भाषण दिये उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि इस विधेयक के द्वारा इस तरफ के लोग जिनके हाथों में आज सरकार है एक बन्दर बांट करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि टैक्सेज बढ़ते जाते हैं और डेवेलपमेंट के नाम पर जनता से काफी पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस विधेयक के द्वारा उस पैसे का बटवारा माननीय सदस्य, मिनिस्टर्स डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरह आपस में करना चाहते हैं। उनके भाषणों से ऐसा लगता था कि जनता के पैसे का जितना भी दर्द और हमदर्दी हो सकती है वह उनको है और जो इस तरफ बैठे हुये लोग हैं वे इधर आकर बैठने के बाद जनता को भूल गये और उनको एक ही काम बाकी है कि किस तरह से इस पैसे का बन्दर बांट करें ? इन भाषणों को सुनने और उसके बाद इस बिल को दो-तीन बार पढ़ने के बाद मैं यह नहीं समझ पाया कि इसके द्वारा किसकी किस हद तक बढ़ोत्तरी की गयी है। इसमें जैसा कि उद्देश्य में दिया हुआ है, क्योंकि अब तक जो पार्लियामेंटरी

[श्री नवलकिशोर]

सेक्रेटरी हैं यानी सभा सचिव हैं, उनकी तनख्वाहें और भत्ते ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स के अन्तर्गत डिटरमिन होते हैं, यानी दिये जाते हैं और सरकार के जो लीगल ऐडवाइजर्स हैं, उन्होंने यह मश्विरा दिया कि अच्छा हो यदि इसके वास्ते कोई कानून बना दिया जाय, लिहाजा इस विधेयक को पेश किया गया। इसके साथ ही साथ और भी चीजें थीं जिनकी बाबत कानूनी दिक्कतें थीं। कुछ ए०जी०के आब्जेक्शंस थे, उनको कानून का रूप देने के लिये इस विधेयक को पेश किया गया है। मेरा अपना मत यह है कि जितनी कानूनी दिक्कतें थीं या कठिनाइयां थीं उनको ही दूर करने के लिये इस विधेयक को पेश किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा इसके अन्दर और भी चीजें बढ़ गयी हैं। यदि आज वह न बढ़ाई जातीं तो बहुत अच्छा होता क्योंकि मैं देखता हूं कि इसमें कोई खास चीज बढ़ाई नहीं गयी है, कोई विशेष फैसीलिटीज नहीं दी गयी हैं, कोई विशेष खर्चा टैक्स पेयर पर या स्टेट पर पड़ने वाला नहीं है, फिर भी खामख्वाह विरोधी पक्ष को मौका मिला कि वह जो भी चाहें कहें और जिस तरह से लांछन लगाना चाहें इस तरफ के लोगों के ऊपर वह लगा सकते हैं।

मैंने इसमें कहीं भी मिनिस्टर की तनख्वाह के इंक्रीमेंट की बात नहीं पढ़ी और यह इस विषय का विधेयक था भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से इस बात को साबित करने की कोशिश की गयी कि जो हम ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं उनके लिये बड़ी डेलीकेसी की बात होती है। जो साथी हैं, मंत्री हैं या उपमंत्री हैं वह अपने मुंह से कैसे अपनी पक्ष की बात कहें जो वह ठीक समझते हैं और कहना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई डेलीकेसी नहीं दिखायी देती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिन महानुभावों को इन पदों पर भेजा जाय, चाहे वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर का हो और चाहे मिनिस्टर का हो, उसका मान और मर्यादा होनी चाहिये और उसके अनुसार जो भी धन व्यय हो वह हमें करना चाहिये।

श्रीमन्, मैं तो इस हद्द तक जाने को तैयार हूं कि हमारे मंत्रिगण ३,५०० रुपये माहवार वेतन लिया करें और इसी में से इन्कम टैक्स दिया करें, १० प्रतिशत कोठी का किराया दें, अपनी मोटर रखें और अपने पास से पैट्रोल खर्च करें। मैं समझता हूं कि किसी भी मंत्री के लिये ३,००० या ३,५०० रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। यह नितांत आवश्यक है और इसमें मुझे कोई डेलीकेसी नहीं मालूम होती है। यद्यपि यह विधेयक का विषय भी नहीं है लेकिन यह भी बतलाया गया कि वेतन में इन इक्वैलिटीज होती हैं और हमारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंगलैन्ड और रूस तक में है जिसे दावा है कि वह सबसे बड़ा कम्यूनिस्ट कंट्री है। यह बदकिस्मती की बात है कि सोशलिस्टिक मुल्क में भी इनइक्वैलिटी है। पर यदि इससे यह समझाने की कोशिश की जाय कि उनका होना आवश्यक है, और हमें उन्हें बरदाश्त करना चाहिये तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं, सहमत नहीं हूं। रूस में कहा गया है कि एक मजदूर को २५० रूबेल्स मासिक वेतन मिलता है और मंत्री को २५,००० रूबेल्स मिलता है। तो मैं तो यही कहता सकता हूं कि यह निहायत गलत चीज है और उस विद्यार्थी के लिये जो समाजवाद का विद्यार्थी हो और सोशलिज्म का अध्ययन करना चाहता है और जिसका ध्येय यह है कि सच्चे मानी में वह देश में सोशलिस्टिक पैटर्न लाना चाहता है, इस किस्म की बात बरदाशत करना बड़ा कठिन हो जाता है। हमको यह भी बताया गया कि अगर अच्छी तनख्वाहें न होंगी तो शायद हमारे मुल्क का टेलेंट अट्रैक्ट न हो। मैं नहीं जानता कि हम जितने भी ४३१ सदस्य यहां हाउस में चुन कर आये हैं और हमको जो तनख्वाहें मिलती हैं वह हम सब जानते हैं, हम को कुल २०० रुपया माहवार मिलता है। तो जब १,०००, १२,००० और ३,००० पर जब टेलैन्ट आकर्षित नहीं हो सकता तो कैसे टैलेन्ट दो सौ रुपये मासिक पर आकर्षित होगा? यह २०० रुपया पर आकर्षित होकर जो सदस्य आते हैं वही तो इस ढांचे की बुनियाद हैं। इसी में से हमको अपने मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो आज हमको यह भी बताया गया कि टेलेन्ट को आकर्षित करने के लिये अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। यहां भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इस सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूं साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि इस तरह के तर्क की इस विधेयक के अन्दर कोई विशेष गुन्जाइश नहीं थी।

इस सम्बन्ध में हमको आंकड़े दिये गये मगर यह नहीं बताया गया कि जिस इंग्लैन्ड के अन्दर वहां का प्राइम मिनिस्टर ८,००० पौंड पाता है और जहां मिनिस्टरों की चार श्रेणियां हैं, जिनमें नीची श्रेणी का मिनिस्टर १,००० पौंड पाता है, तो उस नीची श्रेणी वाले मिनिस्टर और वहां के मेम्बर के वेतन में क्या अंतर है ? उसका क्या अनुपात है यह हमको नहीं बताया गया। बहरहाल, उस बहस में मैं नहीं जाता, मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरा यही मत है कि आपके सामने कुछ कानूनी दिक्कतें थीं, कुछ एकाउन्टेन्ट जनरल के आब्जेक्शंस थे, जिनको आपको हटाना था और उसके लिये एक विधेयक की आवश्यकता थी और इसलिये जो विधेयक आया है उसमें उनसे संबंधित भाग का मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। इसके अलावा और जो चीजें इसमें बढ़ाई गयी हैं मैं उन से कतई सहमत नहीं हूं। मैं एक और चीज अर्ज करूंगा कि जहां तक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बात है मैं नहीं जानता कि उनके सम्बन्ध में इसके अन्दर कौन सी चीज बढ़ाई गयी है ? आज भी उनको ६०० रुपया माहवार तनख्वाह मिलती है, १०० रुपया उनको हाउस एलाउन्स मिलता है और १०० रुपया कन्वेंयंस (मोटर) एलाउन्स मिलता है। खाली फर्क यह है कि जो काम एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से होता था उसको अब एक कानून शकल दी जा रही है। तो इससे न तो टैक्स पेयर के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला है और न स्टेट एक्सचेकर के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला है।

एक बात नयी कही गयी जो फ्री फर्निश्ड क्वार्टर्स की बात है। यह कहा गया कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, डिप्टी मिनिस्टर्स और डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर साहबान को फ्री फर्निश्ड क्वार्टर्स दिये जायेंगे और जब तक उनका इंतजाम न होगा तब तक १०० रु० मासिक दिया जायगा। मुझे इसमें ऐसा लगा कि शायद फ्री फर्निश्ड क्वार्टर्स और १०० रुपये मासिक में कोई सामंजस्य है और यदि है तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो क्वार्टर्स हमारी गवर्नमेंट बनायेगी और जो उसने बनाये हैं उसमें एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसके मेन्टेनेन्स पर कुछ खर्च होगा। उसको जब मैंने जोड़ा तो मेरा अपना ख्याल यह है कि उन क्वार्टर्स पर २०० से २५० रुपये माहवार तक का खर्च आने वाला है। यदि ऐसा है तो मेरी अपनी राय यह है कि सरकार डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर को १५० रुपया मासिक हाउस एलाउन्स दे दे और उनको क्वार्टर्स देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि वह ज्यादा सस्ता पड़ेगा सरकार के वास्ते।

इसके बाद एक बात इसमें यह भी है कि मेम्बर साहबान को बजाय डेढ़ गुने के अब २ गुना किराया फर्स्ट क्लास का मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जो भत्ता हम लोगों को मिलता है वह हमारी कोई विशेष आय का साधन नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि हमारे सदस्यों को सत्रकाल में अपनी कांस्टीट्यूयेन्सी में कितनी ही बार जाना पड़ता है। और उसके लिये कोई भी भत्ता उनको नहीं मिलता है फिर भी इसके ऊपर भी यह कहा गया कि बड़ा भार इससे पड़ने वाला है और इसके अन्दर बन्दर बांट है। मैं यह निवेदन करूं कि यदि यह दूना न भी दिया जाय तो मैं उन लोगों में से हूं जिनको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कोई यह कहे कि इस दूने करने से खर्चा बढ़ेगा यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इससे पहले जो टी० ए० रूल्स थे और उनके मुताबिक जो फर्स्ट क्लास का ड्योढ़ा मिलता था वह आज के फर्स्ट क्लास का ढाई गुना था और इस दूने से कहीं अधिक था। तो यदि ड्योढे से दुगुना कर दिया गया तो भी उससे यह कम ही है।

दूसरी बात यह कही गयी कि यदि ९ दिन तक एक सदस्य गैरहाजिर रहे तो जिस स्थान पर वह जायगा उसको वहां का आने-जाने का फर्स्ट क्लास दिया जायगा। देखने में यह अच्छा लगता है मगर मेरा अपना ख्याल है कि अगर इस प्राविजन को इसमें से अलग कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो। हमने यहां पर चार साल बिताये हैं और इसी तरह से एक साल जो शेष है वह भी बीत जायगा। उसके लिये अगर यह इनायत न की जाय तो उससे कोई विशेष आपत्ति होने वाली नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

इसके बाद कुछ बातें मेडिकल फैसिलिटी के मुताल्लिक कही गयीं। मुनासिब बात है कि मेडिकल फैसिलिटी हो। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हर इन्सान के लिये मेडिकल फैसिलिटी करने का प्राविजन हो, लेकिन मेरा मत यह है कि आज दुनिया में जब कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करते हैं तो अच्छा यह होता कि जिन लोगों की आमदनी २५० रु० से ज्यादा है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों या दूसरे हों उनकी फ्री मेडिकल फैसिलिटी बन्द कर दी जाय। अंग्रेजों ने अपने जमाने में सिविल सर्विस के लोगों को काफी फैसिलिटीज दिया। मैं समझता हूं आज इस देश का जो इकानामिक सेट अप यानी ढांचा है और जो हमारे साधारण इंन्सान की आमदनी है उसमें यह फिट नहीं बैठता। आप कह सकते हैं कि आप के सामने कठिनाई है। मिसाल के तौर पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप यह कह सकते हैं लेकिन जब कि आज सारे देश में एक ही पार्टी की हकूमत है तो फिर यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है और हल किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ सरकार ध्यान दे और जिन लोगों की आमदनी २५० रु० से ज्यादा है उनकी फ्री मेडिकल फैसिलिटी को बन्द कर दिया जाय। उससे जो पैसा बचे उससे नये अस्पताल खोलना चाहिये बजाय इसके कि उसको उच्चतम अधिकारियों पर खर्च किया जाय, यह मेरा अपना मत है। इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस विधेयक को पेश करने के मैंने अनेक कारण बताये और मैं अन्त में फिर कहूंगा कि केवल उन दफाओं को जिनका कानूनी तौर पर इस विधेयक में रखना जरूरी है उनको रखा जाय और मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि बाक़ी जो दफा हैं उनको हटा दिया जाय।

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं आपके द्वारा सूबे की जनता से माफ़ी मांगना चाहूंगा कि जो कर्तव्य विरोधी दल का था वह निबाहने में हम लोग असफल रहे। असल में यह विधेयक तो आता ही नहीं अगर क़ानून की पेचीदगी में सरकार न फंसी होती। अगर किसी कानून से सरकार मजबूर न होती तो जो सुविधा लोगों को प्राप्त थी या जिस प्रकार नियमों में परिवर्तन करके सरकार सुविधा लोगों को दे रही थी, वह जारी रहती। हमारी सदस्यता की सारी अवधि बीत जाती, लेकिन हम उस ओर ध्यान भी नहीं दिला पाते। हम इस ग़लती को क़बूल करते हुये यह उचित समझते हैं कि सारे प्रान्त की जनता से माफ़ी मांगे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल फ़रमयाया, या अभी हमारे पूर्ववक्ता ने फ़रमया, कि क़ानून में फंस गये कि सरकार ने पहले से जो सुविधायें दे रखी हैं, इसलिये दिया जाना चाहिये और यह विधेयक स्वीकार होना चाहिये, तो, अधिष्ठाता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूं और इस हाउस से भी क्षमा-प्रार्थी हूं क्योंकि हाउस भी विरोधी दल से कुछ आशा करता है। अगर विरोधी दल अपने कर्तव्यों में असफल रहा तो उसे स्वीकार करने में आनाकानी क़तई नहीं होनी चाहिये। यद्यपि विरोधी दल ऐसा करने में असमर्थ रहा यह भी प्रश्न विचारणीय है।

इस विधेयक के सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने एक संशोधन रखा, जिसका उद्देश्य था कि इस विधेयक को जनता के मत को जानने के लिये घुमाया जाय। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हम उसूली तौर पर तो इसे स्वीकार करना चाहते हैं परन्तु जनता यदि उसे नापसन्द करे तो हम उस पर विचार करें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी का यह मंशा नहीं था। वह बिलकुल १६ आना इस बिल के विरोधी हैं, और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक की मैं आशा नहीं करता था, खासतौर से उस जमाने में जिसमें कि हमारे डफिसिट फाइनेन्सिन्ग झूल रहा हो तलवार की तरह से। ४८ अरब की योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय है उसमें ४ अरब का ठिकाना नहीं है कि हम वह कहां से लावेंगे ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सवा सात अरब की योजना अपने देश का भला करने के लिये बनाई थी उसके स्थान पर केवल २ अरब ६० करोड़ रुपया हमें मिल पाया है। तो फिर कहां सवा सात अरब और कहां २ अरब ६० करोड़ ? इसलिये हमारा जो स्वप्न था वह स्वप्न ही रहेगा, ऐसा डर है। जिन लोगों

को सारे देश के शासन का भार सौंपा गया है और उनके हाथ में २ अरब ६० करोड पंचवर्षीय योजना पर या ९० करोड़ और १ अरब के बीच में हम अपना बजट बनाते हैं , हाथ में है। और ये लोग सारे देश की फिक्र को कम कर के अपने लिये कुछ सोचना आरम्भ करें तो हम यह बुरा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मैं अपने माननीय मित्रों का, सदस्यों का, मूल्य रुपये से नहीं लगाया करता हूं। इसे भी मैं बिलकुल मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे सदन के लोग २०० रुपये से अधिक पैदा कर सकते हैं और अपने बाल बच्चों का भरणपोषण इस समय से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। परन्तु ज्यादातर लोग इसमें ऐसे बैठे हुये हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का काफ़ी हिस्सा किसी तनख्वाह के नाम पर नहीं, बल्कि मुल्क की गरीबी दूर करने के नाम पर, और उसका भला करने के नाम पर अर्पित किया था और उनके अर्पण करने से, इसे मानना पड़ेगा, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आजाद होने के बाद मुल्क में शासन की गद्दी पर बिठाया। लेकिन मुल्क ने जिस आशा से हमें शासन की गद्दी पर बिठाया वह पूरी नहीं हुई। यह मैं मानता हूं कि सरकारी आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं या जो बयान दिये जाते हैं और उनमें जो नक्शा बताया जाता है वह किसी दूसरे मुल्क के लोगों को, खासतौर से पूंजीपति मुल्क वालों को अच्छा लग सकता है। लेकिन सही बात यह है कि जो आज भी हमारी निचल्ली सतह है, जनता की और निचल्ली से थोड़ी ऊपर की जो सतह है उसकी अवस्था सन्तोषजनक नहीं है, और जितनी जीवन की सामग्री और भोजन उसे लड़ाई के ज़माने में मिल पाता था, वह नहीं मिल रहा है। चूंकि रोज़गार नहीं है, इसलिये उनके पास पैसा नहीं है और वह खरीद नहीं सकते हैं और अगर वह खरीद नहीं सकता है तो यह बात भी नहीं है कि अनाज का अभाव है । हमारे मुल्क में नहीं है, हम इस पर झगड़ा बिलकुल नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में परकैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है लेकिन वह वृद्धि केवल थोड़े से लोगों की हुई है। हम २२८ की जगह अब इसी विधान सभा में ४३१ बैठते हैं। २२८ के अलावा जितने लोग भी यहां बैठे हुये हैं उनकी आमदनी निश्चय ही बढ़ी है। कुछ मैं अपने उन माननीय मित्रों की ओर भी इशार करना चाहता हूं जिनको कभी हजार और १,२०० रुपये की तनख्वाह मयस्सर नहीं हो सकती थी, उनकी भी आमदनी बढ़ी और कुछ करोड़पतियों की भी बढ़ी क्योंकि उन्होंने रुपया इनवस्ट किया और हमारे देश की जो मुनाफा देने की विधि है उससे हम सारे पूंजीवादी देशों से उनको अधिक रिआयत दे रहे हैं। कहीं कहीं दूसरे देशों की मुनाफे की रेशियो पूंजी पर ३-४ प्रतिशत है लेकिन हमारे यहां हम १० प्रतिशत मुनाफे का अनुपात उचित समझते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो पूंजी लगाने वाले लोग थे और यदि उन्होंने पूंजी लगाई तो उनका मुनाफा बढ़ा। तो मैं इस ओर, अधिष्ठाता महोदय, आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ऐसा मुनाफा पूल कर लिया गया और उसको जोड़ कर आज हमारी दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार यह हिसाब लगाये कि जो निर्धन हैं, जिन्होंने पूंजी नहीं लगायी, जिनके पास जमीन के रूप में कोई पूंजी नहीं है जिससे वह अपनी तरक्की कर सके और अगर जमीन है तो इतनी जमीन नहीं है कि वह तरक्की करने का सामर्थ्य रख सके या कर्ज़ा ले कर भी खेती में तरक्की कर सके, और ऐसी तरक्की कर सके कि खेती का उत्पादन बढ़ सके। उनकी कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। उनके सिर पर भी (per-capita) वह बांट दिया जाता है। यह अत्यन्त भ्रम मूलक हिसाब है आज जो लखनऊ की सड़क पर भीख मांगने वाला भूख से छटपटाता है, उसके सिर पर भी ३५० रु० की आमदनी बांध दी जाती है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं अगर मैं गलती करता हूं तो वे मुझे बतायें कि सड़क पर बैठने वाला आदमी, भीखमांगने वाला और भूख से छटपटाने वाला आदमी क्या इसमें शामिल है या नहीं? अगर यही अर्थ इस औसत इनकम का है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कैसे बढ़ी? जो आमदनी बढ़ी उस आमदनी के बढ़ने के जरिये तो मालूम हैं लेकिन क्या उसके जाने के भी मालूम हैं कि वह आमदनी किन लोगों के पास गयी ? मैं यह मंजूर कर लेता हूं कि प्रति वर्ष ३ प्रतिशत

[श्री गेंदासिंह]

इनकम बढ़ी है इस पर मैं झगड़ा नहीं करता हूं, लेकिन हमें इसको बहुत बारीकी से स्क्रुटिनाईज करने की जरूरत है। किस प्रकार यह आमदनी सारे देश के लोगों के पास पहुंच जाती है यह प्रश्न सर्वोपरि है।

कल माननीय सम्पूर्णानन्द जी का जो वक्तव्य निकला उसको पढ़ कर मुझे बहुत अफसोस हुआ। माननीय सम्पूर्णानन्द जी अर्थशास्त्री हैं, वे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इससे हमें प्रसन्नता है। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह का अर्थ शास्त्री और इतना बड़ा विद्वान आदमी ऐसा नक्शा हमारे सूबे का पेश करेगा। उसमें उन्होंने कहीं भी देश के दूसरे हिस्से का जिक्र नहीं किया। अगर वे इसका भी जिक्र कर देते तो मुझे संतोष हो जाता। लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो ४–५ और ६ आने पर ८—८ घंटे मिट्टी ढोते हैं और ऐसे लोग हजारों की तादाद में हैं ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी नहीं है, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। इससे मुझे घोर निराशा हुई। अधिष्ठाता महोदय, जिसके ऊपर यह छाप हो मुल्क की गरीबी की तो उस आदमी से आशा करना कि वह यहां बैठ कर अपनी तनख्वाह बढ़ाये, बंगले के किराये के नाम से कुछ लेने का प्रयत्न करे, जो कुछ उसे पहले से मिलता हो उससे अधिक लेने की चर्चा करे, तो यह चीज उसे पसन्द नहीं आ सकती। मैंने शुरू में ही यह कह दिया कि मैं इसमें जरा भी झगड़ा नहीं करता और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो भी हमारे दोस्त यहां बैठे हुये हैं वह इतने रुपये के लिये मंहगें नहीं हैं, लेकिन मुल्क के सामने सब से बड़ा सवाल यह है कि रोजी रोटी देशवासियों को कैसे मिले ? और जनता को रोजी रोटी देने का सवाल हमको सुपुर्द है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की आवश्यकता तभी होती है जब हमें किसी अभाव की झलक दिखायी पड़ती है। गांधी जी की कल्पना और मार्क्सवाद की कल्पना यही है कि शासक और शोषित नहीं होगे। यह कल्पना है और मैं भी इस कल्पना का पुजारी हूं। कोई साहब पूछ रहे हैं कि इस प्रकार से बनेगी, तो मैं कहूंगा कि उसके बनने के ये ढंग नहीं हैं। उसके लिये अनिवार्यतः यह आवश्यक है कि हम अपनी आंखें उन लोगों की ओर फेरें जो आज अपना जीवन चलाने में गरीबी के मारे असमर्थ हो रहे हैं। हम अपने लिये सेलरी नहीं मेन्टीनेन्स चाहते हैं। हम अगर मेनटेन नहीं किए जायंगे तो हम काम नहीं कर सकते लेकिन हम उजरत नहीं लेते, इसको मैं तो नहीं मानता कि वकालत में जितनी आमदनी होती थी वह यहां भी होनी चाहिए यह बात गलत है। अगर उजरत वाली बात हो तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब हम दूसरे भाइयों को उपदेश देते हैं कि हड़ताल न करो, इस समय हमारे सामने देश का सवाल है गरीबी दूर करने का, तो वह बेचारे तो अक्सर हमारे उपदेश को सुनते हैं। लेकिन क्या हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सुबह से ? उसकी चर्चा मैं क्या करूं, हड़ताल ही तो यहां हो रही है, बिल्कुल यह हड़ताल ही हो रही है। हम कहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन डिप्टी मिनिस्टर साहब ऐसे हैं कि जो अगर उनके १५० रुपये न बढ़ाए जायं तो वह काम न करेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन साहब हैं, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे और मनायेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी डिप्टी मिनिस्टर साहब हमारे ऐसे नहीं होंगे जो १५० रुपया न बढ़ाये जायं तो काम छोड़ दें। माननीय हाफिज जी को जब सन् ३८ में ५०० रुपया मिलता था और इससे हट कर ५०० रु० पर मंत्रिपद कबूल किया तो वह प्रसन्नता से काम किये, और वह यहां से काम छोड़ कर चले नहीं गए। मैं यह जानना चाहूंगा कि उंगली पर गिने जाने वाले लोगों को छोड़ कर जिसको वकालत में आज १,००० रुपये से अधिक महीने में मिल जाते जो मंत्रियों के पद पर बैठे हैं ? तो फिर हम क्यों इस गरीब प्रदेश का ज्यादा पैसा उनको दें ? क्या आवश्यकता है उनको अधिक रुपया देने की ? हम यह भी स्पष्ट कर दें कि रुपये से जनसेवाओं को तौलने की बात हम नहीं मानते और न मानना ही चाहिए। अगर यह आधार होगा कि चूंकि बड़े योग्य, बड़े कर्मठ और बड़े कारगुजार आदमी हैं इसलिये उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिए रुपये से तो यह जो पहरेदार यहां खड़े हैं, जिनको हम समझाते आ रहे हैं कि भाई हड़ताल

न करो उनसे कहते हैं कि परिस्थिति ज्यादा वेतन देने को एलाऊ नहीं करती है तो उनके लिये अब हम कहते हैं क्या उत्तर है कि वह साहब तो बड़े कारगुजार हैं रुपये से सन्तुष्ट होंगे तोउ न लाखों गरीब जिनसे आज आप ८,८, १०,१० और १२,१२ घंटे काम लेते हैं—वह अगर कहते हैं कि हमें भी रुपये से सन्तुष्ट करो तो वह क्या पाप करते हैं? तो हम उनको उपदेश किस मुंह से देते हैं कि तुम देश की परिस्थिति देख कर आज सन्तुष्ट हो जाओ तुम मरो, हम नहीं मरेंगे, इसलिये कि हम तो कारगुजार हैं हमें ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम स्वयं एक आदर्श उपस्थित करते हैं तो हमें दूसरों से ऐसा उपदेश देने का कोई हक भी नहीं है। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मैंने पहले भी यह बात कई बार कही है कि यह चपरासी जो हमारे साथ घूमते हैं और कान्सिटेबिल जो डाक लेकर अदालतों में जाते हैं, दिन भर वहां पड़े रहते हैं तो उनको आप ६ आना दैनिक खुराक देते हैं और थर्ड क्लास सिन्गिल जरनी देते हैं। मैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय आप से यह कहना चाहता हूं कि इन ६ आने में आज के जमाने में क्या किसी का पेट भर सकता है, क्या इसका भी कभी हमारी सरकार ने भत्ते बढ़ाते वक्त कुछ ख्याल किया था? जब उन्होंने यह ख्याल किया कि एक सभासचिव को ६०० की जगह ७५० मिलने चाहिये बंगले भी मिलें, परिवार को भी दवा दारू मिले तो उसको यह क्यों नहीं सुझाई दिया कि इन ६ आने वालों का हम कुछ करें। हमें यह सोचना चाहिए था? मैं कोई लम्बी बात इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे हाथ में शासन है हम स्याह सफेद कर सकते हैं, हम राज्य के धन का जिस प्रकार चाहें प्रयोग कर सकते हैं इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस तरह से रुपए को आधार मान कर धन की और रुपये की महत्ता न बढ़ाइये, यदि आप धन की महत्ता बढ़ावेंगे तो आप फंस जायंगे, हम अपने विषय में धन की महत्ता को मान करके दूसरों को भूखे रखकर शान्त रहने का उपदेश नहीं दे सकते और उनको रोक नहीं सकते, वह भी दावा कर सकते हैं और उनके उस दावे का इलाज शायद आप न कर सकें। क्योंकि उनका दावा हमारे दावे से अधिक उचित और आवश्यक है। महात्मा जी ने कहा था कि ५०० रुपये से अधिक एक मंत्री का वेतन न होना चाहिए, वह शब्द उनके मुझे आज भी याद हैं। उसके बाद भी वर्किंग कमेटी ने फैसला किया और १५ सौ रुपये कर दिया। उसके बाद हर सरकारी मुलाजिम की जबान पर यह बात थी कि तिगुना अपने लिये कर लेते हो और हमारे लिये भी कुछ सोचते हो। अगर देश बड़ी मुसीबत में है, देश को हमें बनाना है तो क्यों तिगुनी करते हो। यह जानते हो कि इस देश में लाखों निरक्षर लोग भी हैं जो अमेरिका का कांस्टीटयूशन, अमेरिका के डालर, इंगलैण्ड के पाउन्ड के समझने की ताकत जिनके पास नहीं है। अखबार भी नहीं पढ़ते हैं उनके लिये कोई चीज सामने अब तक नहीं आई है। माननीय परिपूर्णानन्द जी इस वक्त हमारे सामने नहीं हैं। मैं इस वक्त उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब वे ग्रेट ब्रिटेन की और यूनाइटेड स्टेट्स की चर्चा किया करें और वहां के मिनिस्टरों और पारलियामेंट के मेम्बरों या कांग्रेस के मेम्बरों की तनख्वाहों उनकी सुविधाओं की चर्चा करें तो कम से कम यह भी बता दिया करें कि वहां का जेनरल एकनामिक स्टैन्डर्ड क्या है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां एक कहानी चलती है। किसी ने कहा कि कितना बड़ा खरगोश तुमने देखा तो उसने अपने हाथ ऊंचा कर दिया कि इतना बड़ा खरगोश होता है फिर किसी ने कहा कि कहीं इतना बड़ा खरगोश होता है यह तो सोलहों आने झूठ है फिर उन्होंने दूसरा हाथ नीचे का ऊपर के हाथ से एक बालिश्त नीचे कर दिया और कहा कि इतना बड़ा खरगोश है। तो जब तक नीचे का हाथ आवे नहीं तब तक दिखता नहीं है, असल में नीचे का हाथ आवे तब दिखलाई पड़े कि हमारी हालत क्या है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी पर और सदस्यों पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता परन्तु जरा वे इस बात को देख लें कि

[श्री गेंदासिंह]

आस्ट्रेलिया, कैनेडा या इंगलैण्ड और हिन्दुस्तान इनकी पर कैपिटा इन्कम में कितना फर्क है। जमींन आसमान का फर्क है। क्या उस प्रोपोर्शन से ये तनख्वाहें हैं? हमारे मिनिस्टर्स की हम लोगों की तनख्वाहें उस प्रोपोर्शन से नहीं हैं। यह हिसाब लगाने की चीज है तो मैंने मोटे तौर पर यह निवेदन किया। मैं भी चाहता हूं कि ऊंचे दरजे में चलूं, मैं भी चाहता हूं कि आराम से रहूं लेकिन हमारे मन में यह भी महत्वाकांक्षा है कि लोग मुझे कहें कि मैं ईमानदार और भला आदमी हूं। इस यश को भी मैं चाहता हूं। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि रुपये से आदमी नहीं बनता बिगड़ता। यह भी सही है कि बिना रुपये के काम नहीं चलता आर्थिक ढांचा हमारा वगैर रुपये के नहीं चल सकता परन्तु वह यश जो कर्तव्य और त्याग करके मनुष्य कमाता है माननीय सदस्यों से, हमारे मित्रों से सरकार मत छीने। यह मैं मानता हूं कि सरकार मजबूर है इस वक्त, सरकार ने एक गलती कर ली है। सरकार को यह गलती नहीं करना चाहिये था, ५० में कुछ रूल में तब्दीली की गई और उनमें तब्दीलियों के होने से लोग उसका लाभ उठाते रहे और जब किसी कारण बश सरकार को रोक लगी और गाड़ी को नहीं चलने दिया तो फिर सरकार हमारे सामने आयी। फिर उसके बाद भी सन् ५२ से इधर हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहबान को कुछ चीजें मिलीं। वह भी अनियमित हैं। सरकार ने फैसले की जरूरत तो समझी नहीं। बिना हमारे फैसले के ही उन्हें मिल रहा है, मैं नहीं जानता कानून के विशेषज्ञ लोग जानें क्या होगा, यदि विधान सभा पास न करे और सरकार ने उन्हें दे रखा है तो मिसऐप्रोप्रियेशन आफ फंड्स में जायगा या एम्बेजिलमेंट में जायगा या कहां जायगा, यह हमारी समझ में नहीं आता, यह कानून के पंडित लोग जानें। वर्षों से रकमें दे रक्खी हैं। अधिष्ठाता महोदय, स्पष्ट है भारत के विधान में बहुत ही साफ है कि कोई रकम इस तरह की नहीं दी जा सकती जब तक कि विधान सभा पास न करे। अब आप बतलावें कि हम पिछले चार वर्षों से बैठे हुए हैं और इन चार वर्षों में इस काम को कभी जरूरी नहीं समझा कि हम इस विधान सभा की स्वीकृति भी लें। आखिर क्या वजह थी क्यों नहीं स्वीकृति ली गई? सरकार को इसमें क्या खतरा था। हम जो विरोधी बेंचेज पर बैठे हुए हैं क्या कर लेंगे। जो आज कह रहे हैं वही उस दिन कह लेते लेकिन इतनी बड़ी भूल सरकार ने क्यों की? इसका जवाब बजाय इधर के लोगों द्वारा उधर से पूछना चाहिये। यह महान् भूल है और इस महान् भूल का प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त यह किया जाय कि इस बिल को तो कीजिये अस्वीकार, और जिन लोगों ने अब तक लिया है उस पर विचार किया जायगा इस बिल के सिलसिले में नहीं, दूसरे वक्त विचार किया जायगा कि जिन लोगों ने ले लिया है अब उसका क्या किया जाय। लेकिन इस विधेयक को अस्वीकार करने पर कतई दो रायें नहीं होनी चाहिये। जो कुछ मैंने कहा वह कोई पार्टी की दृष्टि से नहीं कहा। वह देश की दृष्टि से कहा है। हम को भी कुछ सुविधा मिलती है और सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य जो वह कमजोरियों का पुतला है उससे बचाने के लिये प्रयत्न करे। हमारे लिये सरकार ने कुछ ऐसी प्रलोभन दे रक्खा है कि बच जायं तो अपने भाग्य से, परन्तु स्वाभाविक यही है कि हम नीचे गिरें। सरकार ने नियम बना रखा है कि चाहे जिस दर्जे में चलो लेकिन तुम्हें फर्स्ट क्लास किराया देंगे। कोई पूछ नहीं सकता। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि यह बात बड़ी हार्ट बर्निंग की है सरकारी कर्मचारियों में। वह कहते हैं कि ये ईमानदारी का सबक हमको सिखाते हैं जो कि खुद तो चलते हैं तीसरे दर्जे में और लेते हैं फर्स्ट क्लास का किराया। यह तो घुमा कर नाक पकड़ने की बात है। वे लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते इसलिये यह कर दिया कि थर्ड क्लास में सफर करो और फर्स्ट क्लास का किराया लो। अब मैं सरकार से कहता हूं। कभी-कभी जवाब आता है

और मुमकिन है कोई साहब जवाब देने के लिये तैयार हों कि तुम तो इंकार कर सकते हो। अब मैं क्या बतलाऊं। हमारे में एक ही तुलसीराम जी थे जिन्होंने सारी सुविधाओं के प्राप्त होने के बाद भी उन्हें ठोकर मारी कि नहीं लेंगे फर्स्ट क्लास और नहीं लेंगे २००। तुलसीराम जी जो बदायूं से मेम्बर थे उनके अलावा शायद ही और कोई हो लेकिन बाकी हम सब उन कमजोरियों में मुब्तिला हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी कमजोरियों के सामान हमारे सामने न रक्खे जायं। वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार हमारे सामने हमारी तपस्या को तोड़ने के सामान रख देते हैं और हमसे कहते हैं कि अपनी तपस्या की रक्षा करो। मैं मानता हूं उनकी उम्र से हमारी उम्र कुछ कम है और वह हमारे सामने बुजुर्ग हैं, हम जल्द चूक सकते हैं, हमारा पैर इधर-उधर पड़ सकता है। हमारे सामने ऐसी सूरत न रखेंगे जो लुभावनी हो और उससे हम विचलित हो जायं इसमें हमारा कसूर अधिक नहीं है। अगर फर्स्ट क्लास में चलते तो किराये के रूप में वह रुपया पब्लिक एक्सचेकर में चला जाता, चाहे वह दिल्ली की गवर्नमेंट के पास ही जाता वह सार्वजनिक कोष में पहुंच जाता। यह सार्वजनिक कोष में जाता नहीं है। यह हम लोगों के कोष में आता है। हम लोग भी सार्वजनिक आदमी हैं इसमें शक नहीं। अगर इस तरह से जोड़ लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सार्वजनिक आदमी होने के नाते हम यह चाहते हैं कि दूसरे लोग हम पर उंगली न उठाएं।

इन बातों को कहते हुए मैं अपने माननीय मित्रों, माननीय सदस्यों सब का आदर करता हूं और उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वह आदर करवाना चाहते हैं तो रुपये से आदर न करवाएं। अगर उन्होंने अपने को इस तरह नापना शुरू कर दिया कि जो जितना रुपया पायेगा वह उतनी श्रद्धा का पात्र होगा तो हमारी श्रद्धा टाटा के प्रबन्धकों की तरफ चली जायगी क्योंकि शायद देश में वह सब से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। फिर त्यागियों की ओर हमारा ध्यान नहीं होगा। हमारा ध्यान टाटा के मैनेजर की तरफ होगा। हम अपने को उस तरफ नहीं ले जाना चाहते। हम अपने देश के जो तपस्वी हैं उनकी तरफ ले जाना चाहते हैं, इनसे हम देश को बचाने की उम्मीद रखते हैं और उसी नाम पर हम यह बात कह रहे हैं। मेरी बात मुमकिन है कि थोड़ी कड़ुवी लगे। लेकिन मैं वह कड़ुवी बात कहना चाहता हूं। फेस करना चाहिए हाफिज जी को। मैं मानता हूं कि थोड़ा झगड़ा है। लेकिन मैंने देखा कि जितने मिनिस्टर, डिप्टी निस्टिर बढ़ते गये, उतना ही झगड़ा बढ़ता गया। यह पालिटिक्स है और मैं पालिटिक्स पढ़ाऊंगा नहीं। न मैं कोई उपदेश देना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि चाहे जितने मिनिटर या डिप्टी मिनिस्टर बढ़ाएं, चाहे जितने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बढ़ाएं, उनको कुछ अधिक पैसे दे दिये जायं, जितना यह होता जायगा उतना ही झगड़ा बढ़ता जायगा। जो असली मालिक हैं उसकी तरफ हाफिज जी और मुख्य मंत्री जी जायं। मैं समझता हूं कि झगड़ा बहुत कम हो जायगा। उस तरफ हमारा ध्यान जाय। अगर हमारा ध्यान उस तरफ गया तो हमारा झगड़ा बहुत कम हो जायगा और उससे हमारे देश का काम बनेगा।

मैं अन्त में एक बात जरूर निवेदन करूंगा। हमारा देश तो खेती करने वालों का है। सबसे अधिक लोग हमारे देश में खेती करने वाले बसते हैं। अब खेती करने वालों की जो अवस्था है वह यह है कि १९५४ में फूड आर्टिकिल्स की जो प्राइस इंडेक्स ३५५·६ थी, वह १९५५ के अक्टूबर में ३१३ हो गयी।

इंडस्ट्रियल रा मैटीरियल की कीमत ४२८·८ थी और वही इस वक्त ३९६·१ है। यही दो चीजें गांव वाला पैदा करता है और इसी से वह अपनी जिन्दगी चलाता है। इसी से उसकी आमदनी बढ़ती या घटती है। अब कैसे इस बात

[श्री गेंदा सिंह]

को वित्त मंत्री जी साबित करेंगे कि गांव वाला जिसकी सब से अधिक जनसंख्या है उसकी आमदनी बढ़ गयी। उसकी फूड आर्टिकिल्स की कीमत ३५५ से ३१३ हो गयी। तो इतनी कमी होने के बाद फिर यह कैसे कहा जाय कि उसकी आमदनी बढ़ती चली जा रही है। मैं क्या कहूं उन अपने अर्थ शास्त्रियों को जिन लोगों ने सरकार को यह सलाह दी कि १९५२ से रुपये की कीमत गिर गयी है। इसलिये इस वक्त अब कुछ ज्यादा रुपया देने की जरूरत है। मैं बहुत ही एक मामूली बात कह रहा हूं। सीधी सी बात है जिसको समझने की मैं भी कोशिश करता हूं और दूसरे लोग भी करें। क्या यह सही बात है ? किस तरह से रुपये की कीमत गिर गई ? किस चीज की कीमत ऊंची उठी है सन् ५२ के मुकाबिले में ? हमेशा यह हुआ करता है कि जैसे-जैसे माल की कीमत बढ़ती है वैसे-वैसे रुपये की कीमत घटती है। दोनों का बिल्कुल उल्टा सम्बन्ध है। जितनी ही माल की कीमत बढ़ती है रुपये की कीमत घटती है और जितनी ही माल की कीमत घटती है रुपये की कीमत बढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूं उन अर्थशास्त्रियों से, माननीय परिपूर्णानन्द जी नहीं हैं, वित्त मंत्री जी मौजूद हैं, कि जरा इस बात को बतायें कि उत्तर प्रदेश में किस चीज की कीमत बढ़ी है जिस चीज की कीमत बढ़ने के आधार पर यह कहा जाता है कि रुपये की कीमत गिर गई है...

एक सदस्य—गल्ले की।

श्री गेंदा सिंह—हमारे फाखरी साहब कहते हैं कि गल्ले की कीमत ५२ के मुकाबिले में गिर गई है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मैं ५२ की कीमत से तुलना कर रहा हूं। सन् ५२ में गल्ले की कीमत जो थी उस कीमत के मुकाबिले में आज कहां कीमत है गल्ले की ? अब माननीय शिवनारायण जी भी कह रहे हैं कि नहीं गल्ले की कीमत बढ़ी है ५२ के मुकाबिले में। मैंने जो अपील की वह अधिष्ठाता महोदय, कुछ अर्थशास्त्री लोगों के लिए अपील की है। अगर माननीय शिवनारायण जी भी अपने को अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में मानते हों तो वह अपनी राय दें, मैं मना नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं शिवनारायण जी से कि मैं छोटा शिव बड़ा शिव सभी शिवों को बराबर ही समझता हूं। मगर सरकार के स्पोक्समैन जो अर्थ-शास्त्री हों उनसे मैं जानना चाहूंगा कि वह सिद्ध करें इस बात को अपने दावे को कि कीमत कैसे गिर गई,। मैं यह सिद्ध करने को तैयार हूं कि चाहे वह इंडस्ट्रिअल गुड्स हों चाहे वह रा मैटिरियल्स हों, चाहे वह फूड आर्टीकिल्स हों, सारी चीजों की कीमत जो है वह सन् ५४, सन् ५३, सन् ५२ के मुकाबिले में गिरी है। अगर इन सारी चीजों की, कपड़े की भी, कीमत गिरी हम जो रोजमर्रा सामान इस्तेमाल करते हैं उन सारे सामान की कीमत गिरी तो कैसे यह कह सकते हैं कि आज हमारे रुपये की कीमत गिर गई ? अगर यह विधेयक इस बात को नजर में रख कर के लाया गया हो कि रुपये की कीमत गिरी है इसलिये लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। इससे ज्यादा असत्य कोई बात हो नहीं सकती। लिहाजा इस दृष्टि से भी इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। मैं केवल इन बातों को कह के अपील करता हूं सरकार से और अपने माननीय सदस्य मित्रों से कि मेरी बातों को वह केवल यह समझें कि मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि हम अपनी तरफ उंगली नहीं उठवाना चाहते। और अगर उंगली नहीं उठवाना चाहते हैं तो हमें इस बात को मंजूर करना चाहिए और हमको अपने देश का इकोनामिक स्टैन्डर्ड, आर्थिक ढांचा देखना चाहिए। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम भी अमेरिका की तरह से जैसे वह लोग आराम से रहते हैं, जिस प्रकार से गुजर करते हैं, हम भी गुजर करें ? मैं उन अर्थशास्त्रियों से फिर एक बात और कहना चाहता हूं कि इंगलैण्ड और अमेरिका में दोनों स्थानों पर लड़ाई के बाद वह बतायें तो कि जो

साधारण कार्यकर्ता हैं उसकी डेली इनकम, उसकी जो रोजाना मजदूरी है वह बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मैं सिद्ध करने को तैयार हूं कि इंगलैण्ड में और अमेरिका में दोनों जगह जो साधारण कार्यकर्ता हैं जो निम्नश्रेणी का आदमी है, उस निम्न श्रेणी के काम करने वाले की आमदनी बढ़ गई है, सरकार ने, बढ़ायी है, बढ़ाना पड़ा है। लेकिन हिन्दुस्तान में क्या है। हिन्दुस्तान में जो लड़ाई में हमने रखा है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के लिये चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की बहुत बात हुई। ५५ रु० मिनिमम मजदूरी पाता है शुगर फैक्ट्री का कर्मचारी और आप ५० रुपया मिनिमम देते हैं चुर्क फैक्ट्री में। तो सरकार पहले कम से कम उन नीचे वाली श्रेणी के ऊपर उठाने की कोशिश करे, फिर उसके बाद हम से बात करे। ऊपर वालों के लिये मैं एक बात कहूं, छोटी सी बात है। ये जो चपरासी पुराने नवाबी जमाने के चोंगे पहने हुए हैं, हमेशा सोचते हैं कि चोंगा न रहें, हम भी कोट पहनकर आसानी से घूमें फिरें। लेकिन हम नहीं दे सकते, फाइनेंश्यल दिक्कत है। यह पुराने जमाने के ध्वंसावशेष देख कर कुछ बुरा लगता है। तो इन बातों को देखते हुए जब कि हम बहुत आवश्यक से आवश्यक चीजों को नहीं कर पा रहे हैं और हम को कहना पड़ता है कि सब्र करो, देश के नाम पर सब्र करो, देश में गरीबी है, गरीबी को दूर करने के नाम पर सब्र करो। तो क्या थोड़ा सब्र हम करें तो बुरी बात है? दो तीन वर्ष के बाद, पांच वर्षों के बाद जैसे मुल्क का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ेगा, मुल्क की आर्थिक स्थिति ऊंची उठेगी उसी तरह से हम भी अपनी स्थिति को ऊंचा उठायेंगे और उसके बाद फिर हमें कोई बुरा नहीं कहेगा। सरकार का काम यह भी है कि हमारा नैतिक उत्थान भी करावे। इसकी भी जिम्मेदारी कुछ हद तक सरकार की है। इसलिये विधेयक का विरोध करता हूं और जगन्नाथ जी ने जो कहा उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। वह विरोध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर अपने मालिक लोगों के पास भेजा जाय, लेकिन वह इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि सरकार इसको इसी स्पिरिट में लेकर इस पर विचार करे और विचार करने के बाद इस विधेयक को वापस लें।

जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली मर्तबा इस विधेयक को वापस लिया था तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई थी और मैंने उस वक्त धन्यवाद दिया था। किसी दूसरे सदस्य ने कहा भी था कि यह विधेयक फिर आवेगा। मैंने कहा था कि मैं हमेशा किसी बात को गुड सेंस में लेता हूं, दूसरे सेंस में लेने की आदत मुझे नहीं है। अगर मैं धोखा खा जाऊं तो क्या हर्ज है? उस वक्त भी मैंने धन्यवाद दिया था परन्तु मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह विधेयक फिर आयेगा। जब आ गया तो मुझे यह बात कहनी पड़ी इसलिए उसी स्पिरिट में यह बात फिर कहता हूं कि उस पर सोचें और हमारी स्थिति को समझ कर इस विधेयक को वापस लें। सदन का समय और धन दुरुपयोग होने से बचायें।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छा होता अगर यह बिल इस सदन के सामने न आया होता और जितनी नुक्ताचीनी इस वक्त की गयी है उससे बच जाते। वाकई इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कि इतना ज्यादा समय सदन का लिया जा सके।

इसके दो हिस्से हैं। एक वह जो कानूनी गलतियां हो गयीं और जिनको दुरुस्त करने के लिये कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। अगर गवर्नमेंट के कानूनी मुशीर इस तरह की गलत सलाह न दिया करें और वह गलतियां न होने दिया करें जो हो जाती हैं तो बाद में

[श्री मोहनलाल गौतम]

रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट लाकर किसी कानून को बनाने की जरूरत न हुआ करे। इसलिये जहां तक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जी का ताल्लुक है, जब वह बने तो उनको सैलरी और भत्ते दिये जाने चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन अच्छा होता कि पहले ही इस चीज को देखकर जब मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टरों की बात आयी थी उस वक्त इस कानूनी कमी को पूरा कर लिया जाता और इस वक्त इसको दोबारा सही करने के लिये कानून न लाया जाता।

जहां तक दूसरी बात है कि जिसमें डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की डिग्निटी और स्टेटस बनाने की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह अल्फाज इस्तेमाल न किये गये होते तो अच्छा था। अल्फाज यह है "अंग्रेजी में पढ़ दूं तो आसानी होगी।

अधिष्ठाता——ज्यादा अच्छा होगा अगर आप हिन्दी में पढ़ें।

श्री मोहनलाल गौतम——बहुत अच्छा। "यह विचार किया गया है कि राज्य विधान मंडल के अधिष्ठाताओं (Presiding officers) के उच्च पदों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपाध्यक्ष और उप सभापति की प्रस्थिति (status) वही होना चाहिये जो उपमंत्री का है और उन्हें वही वेतन और भत्ते दिये जाने चाहिये जो उपमंत्रियों को मिलते हैं। विधेयक में इसके लिये आवश्यक व्यवथा कर दी गयी है।"

अर्थात् अब तक डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की हैसियत उतनी नहीं थी जितनी कि डिप्टी मिनिस्टर की है। मेरा ख्याल है, गलत हो सकता है, कि उनकी हैसियत अब भी डिप्टी मिनिस्टरों से बड़ी होनी चाहिये और है। यह तरीका कि उनका भत्ता और तनख्वाह अगर बराबर कर दिये जायं तो उनकी हैसियत बढ़ जायगी, उनकी डिगनिटी बढ़ जायगी, उनका स्टेटस बढ़ जायगा गलत तरीका है किसी चीज को पेश करने का। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन होलटाइमर्स नहीं हैं, उनको एक एलाउन्स मिलता है, डेली एलाउन्स मिलता है, और जाहिर रहे वे अपना कारोबार कर सकते हैं, वकालत करना चाहें तो कर सकते हैं, पोलिटिकल लाइफ में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर होलटाइमर है। उसको १२ महीने और ३६५ दिन का काम है इसलिये उसको भत्ता मिलता है। अब जो १००,५० या २०० रुपये की कमी हो डिप्टी स्पीकर के एलाउन्स में और उनको आजादी हो प्रैक्टिस करने की, पोलिटिकल वर्क करने की, पूरी तरह से वे आजाद हों, तो वह हैसियत बड़ी है या छोटी, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि उस आजादी को डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन से छीनना नहीं चाहिये। मकान तो दे दीजिये, ठीक है लेकिन १५० रुपये महीना भत्ता देने से क्या १२ महीने उनको काम आप दे सकेंगे? अगर नहीं दे सकेंगे तो फिर १५० रुपये भत्ता किस चीज का दिया जायगा? मेरा ख्याल है कि जितना लेजिस्लेटिव वर्क है और जो अगले साल होने वाला है, क्योंकि जनरल एलेक्शन से ६ महीने पहले तो ज्यादा लेजिस्लेचर बैठेगा भी नहीं। इसलिये अब स्पीकर साहब के लिये भी सन् ५६ में काफी काम शायद न हो, सितम्बर के बाद शायद लेजिस्लेचर न बैठ सकेगा, क्योंकि ५७ के पहले तीन महीनों में जनरल एलेक्शन होने की संभावना है। तो जब इस साल स्पीकर के लिये ही काफी काम नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर के लिये कहां से इतना काम लाया जायगा कि वह १२ महीने की तनख्वाह और १२ महीने का भत्ता, मकान तो ठीक है, जस्टिफाई कर सके। फिर उनकी आजादी छिन जायगी। मैं समझता हूं कि शायद इसको लोग पसन्द नहीं करेंगे। वे जिस तरह से अब तक हैं उसी तरह से आजाद रहने दिया जाय और जब असेम्बली हुआ करे तो वे काम किया करें और उसके बाद वे घर जाकर जो करना चाहें वह करें। इस हालत में यह कहना कि साहब उनकी चूंकि तनख्वाह कम है इसलिये उनकी डिगनिटी उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय कहां तक ठीक है? अगर इसी को देखा जाय तो मेम्बरों की तनख्वाह है २०० रुपये। अब इनका क्या स्टेटस है यह सवाल आर्डर आफ प्रेसीडेंस में तो अलग आयेगा लेकिन अगर

सिविल लिस्ट में आये तो जो २०० रुपये से ज्यादा पाने वाले लोग हैं उनका स्टेट्स और डिगनिटी हमसे ज्यादा है। तहसीलदार तो २०० से ज्यादा पाता ही है, नायब तहसीलदार भी अपर ग्रेड में २०० से ज्यादा पाता है और ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और बहुत से इन्स्पेक्टर्स वगैरह भी २०० से ज्यादा पाते हैं। तो क्या इन मेम्बरों की डिगनिटी और स्टेटस उन सब से कम है जो २०० रुपये से ज्यादा पाते हैं? इस भाषा को कि रुपया बढ़ जायगा तो डिगनिटी और स्टेटस बढ़ जायगा, इस्तेमाल करना बहुत मुनासिब नहीं है। क्या मिनिस्टर की डिगनिटी और स्टेटस बढ़ाने के लिये सेक्रेटरी के बराबर तनख्वाह कर दी जाय? सेक्रेटरी को तीन हजार तनख्वाह मिलती है और बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बरों को भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। इसलिये इस पैमाने को हमने कभी भी मंजूर नहीं किया। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है हमने रुपये पैसे के हिसाब से स्टैंडर्ड को नहीं माना कि जिसको कम तनख्वाह मिलती है वह छोटा है और जिसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है वह बड़ा है। इसलिये अब हमारी जुबान से इस चीज का निकलना गलत होगा। यदि आप तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें और कहें कि डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर की यह तनख्वाह होनी चाहिये क्योंकि यह कम है और महंगाई का जमाना है, इसलिये बढ़ा दी जाय। लेकिन डिगनिटी और स्टेटस के नाम पर न बढ़ाई जाय।

इसमें मेडीकल फेसीलिटीज का जिक्र किया गया है। अब यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मिनिस्टर यहां रहे १२ महीने और कभी-कभी बीमार हो जाय और कोई डाक्टर उसको देख ले और दवा दे दे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता था और मिनिस्टर्स अपनी जेब से खर्च करते रहते तो अच्छा रहता और इलेक्शन से पहले सिर्फ गाली सुनने के लिये यह चीज न आई होती तो क्या नुक्सान हो जाता? इसको लेकर खामख्वाह शोर मचाया जायगा कि इतनी फैसीलिटीज मिली हुई हैं और इतनी और मिल रही हैं। यह खामख्वाह का शोर होगा। बहुत अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट रूल्स में ऐलान कर दे कि इस मद में १०,२०,५० या २०० रुपये से ज्यादा मिनिस्टर पर खर्च नहीं होगा तो लोगों को कम से कम अंदाजा तो हो जायगा कि एक मिनिस्टर पर कितना खर्चा होगा? नहीं तो लोग जितना चाहें एमाउन्ट को लेकर शोर मचायेंगे और क्योंकि किसी के क्रिटिसिज्म की हद नहीं होती। इसलिये रूल्स बना दिये जायं कि मिनिस्टरों के, डिप्टी मिनिस्टरों के ऊपर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ऊपर इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा।

इसमें यह भी है कि फेमिली को डिफाइन कर दिया जाय। वैसे फैमिली की डेफीनीशन मौजूद है, इसमें शादी शुदा लड़की नहीं आती है। नौकर हो जाने वाला लड़का नहीं आता है। सिर्फ बीबी बच्चे आते हैं, वा नाबालिग आते हैं यह साफ हो जाय तो अच्छा है इसमें नुक्ताचीनी नहीं होगी।

जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को फरनिश्ड हाउस देने का सवाल है तो उसकी भी एक हद होनी चाहिये। यह कह दिया जाय कि इतना खर्च होगा। मकान का स्टैंडर्ड, रेंट और फरनीचर का रेंट स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है उसी हिसाब से रख दिया जाय। जिस डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को मकान नहीं मिलेगा उसको १०० रुपया एलाउन्स मिलेगा तो फरनिश्ड हाउस भी १०० रुपये से ज्यादा का नहीं होना चाहिये। अगर १५० रुपये रखना चाहें तो १५० कर दें। लेकिन यह न हो कि जिसको फरनिश्ड मकान मिले उसे तो ३५० का मिल जाय और जिसे मकान न मिले उसे केवल १०० रुपये ही मिलें। इसलिये ऐलान कर दिया जाय कि जब रूल्स बनेंगे तो उसमें उचित किराया रखा जायगा और १०० रुपये से ज्यादा फरनिश्ड हाउस नहीं होगा और अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो उनके लिये भी ज्यादा कर दिया जाय ताकि दोनों का एक सा रहे। जहां तक मेम्बरों को दूना

[श्री मोहन लाल गौतम]

किराया मिलने का संबंध है यह भी अगर एलेक्शन के बाद नये आने वाले मेम्बर तय करते तो ज्यादा अच्छा होता। खामख्वाह इस चीज को लेकर दिक्कतें आती हैं और नुक्ताचीनी की जाती है।

क्लाज १० में रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट की बात आई है। रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के माने यह हैं कि जब तक कानून नहीं था और जो खर्च गलत कर लिया गया है उसको जायज कर दिया जाय क्योंकि उस वक्त यह अधिकार नहीं था कि वह खर्च किया जाय। चाहे वह मेडिकल फैसिलिटीज पर हो या ट्रेवेलिंग एलाउन्स पर, मेरा यह ख्याल है कि इस क्लाज की जरूरत नहीं है। हम जो क्लाज बनायें वह आज की परिस्थिति पर आधारित होना चाहिये। जब डेढ़ गुना टी० ए० मिलता था तो उस समय उतना ही लेना चाहिये जब तक कि कानून न बदल जाय। पहले डेढ गुना ले कर फिर रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट का कानून पास करना शोभा नहीं देता और इसलिये इसको यहां से निकाल दिया जाय और साफ तौर से कहा जाय कि जो पहले खर्च हुआ वह गलत था। अगर ऐसा नहीं किया गया और इसको रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट का रूप दिया गया तो ऐसा करने से एक्जीक्यूटिव की यह टेंडेंसी हो सकती है कि वह गलत खर्च करने लगे और फिर एक नया कानून ले आये कि ६ महीने पहले हमने गलत खर्च कर लिया है उसको मंजूर कर दिया जाय और उसको रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दे दिया जाय। रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट केवल ऐसे मामलों में आता है कि जिनमें शोसल स्ट्रक्चर में दिक्कत पड़ती हो, जहां शोसल अपहीवल हो सकता हो, ऐसी जगहों पर तो यह ठीक है लेकिन यहां जहां मिनिस्टरों और मेम्बरों के कुछ रुपये आने पाई की बात है, यह बात कुछ उचित नहीं है।

एक बात मारेल की कही गई कि दूसरे मुल्कों में बड़ी बेईमानी है, बड़ी इन्क्वायरी होती है, बहुत सी खराबियां है, हमारे यहां कम है। मैंने भी कुछ दूसरे मुल्क देखे हैं और कई बार देखे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि दूसरे मुल्कों की नकल करना हमारे लिये अच्छा होगा। अगर हम उस स्टैंडर्ड पर अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को ला सकें जिस स्टैंडर्ड पर आज वह दूसरे मुल्कों में है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ब्रिटिश सिविल सरविस और फ्रांस की सिविल सर्विस बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखती है। स्विट्जर लैंड की सिविल सर्विस भी बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखती है। हमारी यह बदकिस्मती है कि हम उतने ऊंचे स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच पाये और इसमें कसूर हमारा है और हमारे इस सदन का है इसलिये कि हम खुद अपना स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं रख पाते। हम देखते हैं कि मेम्बर तरह-तरह के गलत काम करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दो सौ के बजाय हमारा मासिक वेतन २५० हो जाय तो हमारी बदनामी होगी, ३०० हो जाय तो हम एलेक्शन हार जायेंगे, लेकिन गलत तरीके से रुपया कमाने की कोशिश भी बहुत से लोग करते हैं। हम लोगों में से लाइसेंस और परमिट की कोशिश बहुत लोगों ने की है। क्या मिनिस्टरों ने मदद करके इस काम को नहीं किया है? यह हमारे लिये शोभा नहीं देता कि हम क्वेश्चन आवर में तो थानेदारों और छोटे-छोटे लोगों की शिकायत किया करें और कहें कि करेप्शन फैल रहा है, लेकिन हमारे लिये कोई कहने वाला न हो। हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिये यहां हैं लेकिन अपने को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो कहेगा वह सबका बुरा बनेगा। इस लिये वह लोग यह समझते हैं कि यह मजाक हमारे साथ करते हैं। खुद तो ऊंचा स्टैंडर्ड कायम नहीं करते और हम से बराबर कहते हैं कि रिश्वत न लो। हम उस वक्त यह कहने के लिये तैयार होंगें कि सर्विसेज से करेम्प्शन दूर होना चाहिये जब कि मेम्बर अपने अन्दर से करेप्शन दूर कर सकें और जब हम ऐसे मेम्बर को बरदाश्त न करें जो लाइसेंस और परमिट लेने के लिये किसी की खुशामद करता फिरे और गलत तरीके से उस प्रकार का काम करे। जो मिनिस्टर ऐसा हो जो मेम्बरों को करेप्ट करने की कोशिश करे वह मिनिस्टर हम न रखें। यदि इस तरह से हम अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर सकें तब जाकर दूसरों से कह सकेंगे, तब हम सर्विसेज से जाकर कह सकेंगे कि तुम रिश्वत न लो क्योंकि इससे बदनामी होती है। हमें अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिये कि कौन इस तरह का मिनिस्टर है जिसने मेम्बरों को गलत तरीके पर लाइसेंस और परमिट देने की कोशिश की

है। अभी २,४ रोज हुये यहां पर एक मिनिस्टर साहब ने इस बात को मंजूर किया कि गलत तरीके से परमिट दिये गये। उसके लिये कहा गया कि आगे से ऐसा नहीं किया जायगा। एक मिनिस्टर कहता है कि यह गलती हुई आगे से ऐसा नहीं किया जायगा। अगर यह हमारी हालत है तो फिर आगे क्या होगा ?

पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जितनी नौकरी जानी चाहिये वह धीरे-धीरे उनसे छीन रहे हैं। अभी कल परसों २००, २५० नौकरियों के लिये एक कमेटी बिठा दी गयी और कमेटी को टेलीफोन हो जायेंगे और उनको ले लिया जायगा। जब थर्ड डिविजनर को लिया जायगा और फर्स्ट डिविजनर को नहीं लिया जायगा तो फिर आदमी कैसे आयेंगे ? आप कहेंगे कि आदमी अच्छे थे। कौन बतलाये कि वे अच्छे थे, इम्तहान उनका हुआ नहीं केवल इन्टरव्यू हुआ और उससे उनको सेलेक्ट कर लिया गया। फिर उनका स्टैंडर्ड ऊंचा कैसे हो ? आप कहते हैं कि पब्लिक सर्विसेज का स्टैंडर्ड ऊचा हो तो यह कहां की सही बात है ? इस तरह का हमारा यह स्टैंडर्ड है। आज अधिष्ठाता महोदय, हर आदमी यह कहता है कि जिसकी पहुंच है वही नौकरी पा सकता है। वह आदमी नौकरी नहीं पा सकता है जिसकी कहीं कोई पहुंच नहीं है। क्या हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं ? आज यह हमारी हालत है। जब तक हम अपनी इस हालत का सुधार नहीं करते तब तक हम दूसरों से जाकर कैसे कह सकते हैं कि तुम रिश्वत न लो ? जब तक हम अपनी हालत का सुधार नहीं करेंगे और हम इस बात की तहकीकात नहीं करेंगे कि सही और गलत कहां से होता है तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। हमारे इस प्रान्त में बड़े-बड़े ब्लैक मार्केट करने वाले पकड़े गये लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चला। क्यों साहब क्या बात हुई ? जरा सोचें कि क्यों मुकदमा नहीं चला ? क्या हमारे यहां ब्लैक मार्केट नहीं हुआ ? त्राहि-त्राहि जनता कर रही है लेकिन उसकी कोई रोकथाम नहीं की गयी और न की जाती है क्योंकि हम गवर्नमेंट है। इस तरह का करप्शन हमारे यहां है। मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों से अपना मुकाबला करने के पहले अपने यहां देख लें कि हम ने क्या-क्या गलती की हैं और क्या गलतियां हैं ? हममें गलतियां है और हम उन गलतियों को सुधारने के लिये इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं। इस प्रदेश का एक अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन उसी वक्त चल सकता है जब कि हम मेम्बरान खुद अपना नमूना पेश कर दें और तब जाकर वह मुकाबला हो सकेगा। तब हम दूसरे देशों के साथ अपना मुकाबला करें और १०, २० वर्ष में कर लें तब भी मैं अपने को और इस सदन को धन्यवाद दूंगा। हम दूसरे मुल्कों को गलत कह कर अपनी तारीफ करके गलतफहमी में न रहें। हम अपनी गलती देखें और उनका सुधार करने की कोशिश करें।

एक शब्द और कहना चाहता हूं। चाहे आप मेम्बरों को २०० रुपया दें या ५० रुपया दें लेकिन मेहरबानी करके मेम्बरों की कुछ हैसियत और इज्जत कम न करने की कम से कम स्पीकर महोदय, अपने दफ्तर को आदेश जारी करें। मैं एक मामला जानता हूं जिसमें एक मेम्बर साहब को तनख्वाह का बिल ही नहीं मिला। जब पूछा गया तो स्पीकर साहब ने बुलाकर उनसे कहा कि हमने कटौती नहीं की। यह बड़ी गलती हुई और उसके लिये उन्होंने माफी मांगी। बिल मिलने लगा तब जाकर वह ट्रेजरी में कट गया। क्यों रुका वह इसलिये ज़ाहिरन कि स्पीकर साहब के मुहकमे के किसी मातहत का आर्डर चला गया होगा, वह दुरुस्त नहीं हुआ। क्यों दुरुस्त हो ? किस साहब ने वह कटवा दिया इसकी कोई रोकथाम नहीं की गयी। तो मेहरबानी करके इस तरह का बर्ताव स्पीकर के दफ्तर में न हुआ करे। जो जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिये।

मैंने एक शिकायत और की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या हुआ ? एक रोज मैं यहां आया तो मैं दस्तखत करने गया। तो मैंने देखा कि मेरे नाम के सामने दस्तखत हो गये हैं "मोहनलाल" दस्तखत कर दिये गये हैं। तो "मोहनलाल गौतम" वह साहब कर जाते

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो ठीक था लेकिन जल्दी में वह इतना ही नाम लिख गये। लेकिन वह, मोहनलाल गौतम लिखा हुआ था, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने स्पीकर साहेब के सेक्रेटेरियट वालों को बुलाया और नोट कराया लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कि वह गलती कैसे हुई। अगर इत्तफाक से मैं उस दिन नहीं होता तो यह चर्चा हो सकती थी कि देखिये, गौतम साहब १० रुपये के लिये बेइमानी करते हैं और थानेदार को कहते हैं कि बेइमानी न करो। इत्तफाक से वह दस्तख्त ऐसे थे कि वह मेरे दस्तख्तों से मिल ही नहीं सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर महोदय से, कि क्या उन्होंने कोई रोकथाम की है या कुछ तदारूक किया है? मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कम से कम मेम्बरों के साथ व्यवहार या बर्ताव न हुआ करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन का जमाना आ रहा है और इस विधेयक में किसी का कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी गलती ऐसी हो जो दुरुस्त करनी है तो उसे दुरुस्त करने के लिये मिनिमम इसमें से रखा जाय और बाकी प्रावीजन्स इसमें से निकाल दी जावें और मिनिस्टरों को भी मेडिकल एड जैसी अभी ४ साल तक चलती रही वैसी ही एक साल और चल जाय और नई मिनिस्ट्री अपने आप तय कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से फिर कहूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा शोर मचाने का मौका न दे और मिनीमम इसमें रखे।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर कतिपय माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि एक अच्छा खासा अन्तरद्वंद्व हो रहा है। वस्तुतः आदर्शवादी दृष्टिकोण से कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर विचार प्रकट किये हैं और कुछ सदस्यों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, और सब अपनी जगह पर सही हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने, माननीय हमारे आदरणीय मित्र परिपूर्णानन्द जी ने और हमारे मित्र माननीय जयपालसिंह जी ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार इस विधेयक पर किया है। मैं इन तीनों से ही सहमत नहीं हूं। जयपाल सिंह जी को इस बात की शिकायत है कि आज सदस्यों का वेतन बढ़ जाना चाहिये और कम से कम जितना पार्लियामेंट के सदस्यों का वेतन है उतना हमारे विधायकों का होना चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी कोरे आदर्श पर चलते हैं यद्यपि व्यवहार में वह आदर्श से सर्वथा विपरीत हैं। हमारे परिपूर्णानन्द जी देश-विदेश की रंगीनियों में यदि देश की वास्तविकता को भूल गये हों तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि अभी तो ताजा विदेश भ्रमण करके वह आये हैं। मैं गौतम जी के उस अंश से अवश्य सहमत हूं कि जो डिगनिटी वाली बात लाई गई। हमारी मान्यता पैसे के ऊपर कभी आंकी नहीं गई और यदि इस प्रकार की बात हों कि जिन मान्यताओं के पीछे देश को चलना है उन मान्यताओं के चलाने वाले ऋषि और मुनि फकीरी का जीवन व्यतीत करते थे। इसलिये व्यक्तित्व की कीमत पैसे से आंकी जाय यह सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आज माननीय सदस्यों के वेतन वृद्धि के प्रश्न को सदन के सामने उपस्थित किया जाय। जिस व्यक्ति ने यह मार्ग चुना, मैं विदेशों की बात नहीं जानता, उनके यहां तो भौतिकवादी दृष्टिकोण है तथा उनके यहां शासन के स्तर और समाज के स्तर में सामंजस्य है, लेकिन हमारे यहां आज यह दशा नहीं है। इसलिये वस्तु स्थिति को देखते हुए, उचित होते हुए भी, यदि आज जन साधारण उस बात को अवांछनीय मानता है, तो हमें उस मार्ग से हट जाना चाहिये। अंग्रेजी में एक कहावत है कि —

"Justice done is not enough, but everyone should be made to feel that Justice has been done to him."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अर्थात् न्याय हुआ इतना ही पर्याप्त नहीं है लेकिन प्रत्येक आदमी को यह भासित होना चाहिये कि न्याय किया गया। इसलिये व्यवस्थापकों के लिये यह प्रश्न नहीं है कि वह कितना लें और कितना न लें लेकिन इसके लिये एक ही माप दंड है और उस माप दंड से ही हमें संचालित होने की आवश्यकता है और वही हमारे यहां जनसेवक की अपनी एक मान्यता है और उस मान्यता के अन्तर्गत जनसेवक का मान और सम्मान मापा गया है। आज चार सालों से हम लोग जिस स्तर को मेन्टेन करते हुए चल रहे हैं, उसमें कठिनता है। किसी सदस्य ने कहा कि पहले के दो फर्स्ट क्लास आज के ५ फर्स्ट क्लास के बराबर होते हैं। लेकिन चाहे दो फर्स्ट क्लास हों या ५ फर्स्ट क्लास हों क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह करते हैं? क्योंकि प्रत्येक सप्ताह, १०–१५ जिलों का जो व्यवस्थापक है, जो नजदीक का रहने वाला है. वह अपनी कांस्टीटुयेंसी में जाता है और करीब-करीब दो सौ, ढाई सौ मील प्रति सप्ताह उसको यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन एक बार सेशन के पहले और बाद में जो उसको इस प्रकार का भत्ता मिलता है उसकी सारी मदों को जोड़ने के बावजूद भी वह जितना खर्च करता है उसके लिये अपर्याप्त है। मैंने एक बात कही कि दो चीजें एक साथ नहीं तोली जा सकतीं—सेवा और पैसा। इन दोनों के मार्ग अलग-अलग हैं। अगर पैसा पैदा करना है तो कोई दूसरा मार्ग ग्रहण करना चाहिये था। पैसे के लालच से कोई भी व्यवस्थापक इस सदन में उपस्थित नहीं हुआ है वह केवल सेवा का ही आदर्श अपने सामने रख कर इस रास्ते पर आया है और इसी से संचालित होकर और प्रेरित होकर यह कार्य करना चाहता है। यह बात सही है।

मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं और यह बात कही गयी कि हजारों रुपया मासिक पैदा करने वाले ऐसे ही कई मिनिस्टर हैं। सम्भव है उनके सम्बन्ध में ऐसा तर्क उपस्थित करने वाले सज्जन यह भूल जाते हैं कि एक वकील के जीवन और एक मिनिस्टर के जीवन में, उसके रहन-सहन में, उसके लिविंग में और एनवायरनमेंट्स में बड़ा अन्तर होता है इसलिए हजारों रुपया मासिक पैदा करने वाला वकील जितनी बचत कर सकता है वहां हजार रुपया पाने वाला मिनिस्टर मास में उतनी बचत नहीं कर सकता क्योंकि उसके इखराजात परिस्थितियों के मुताबिक बढ़ते जाते हैं। इस दृष्टि से जहां तक मंत्रियों का प्रश्न है उनकी और सदस्यों की स्थिति में अन्तर है। मिनिस्टरों को अपने समकक्ष अन्तरप्रान्तीय मंत्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना होता है और जिनका वेतन ३,००० तक या उससे भी अधिक तक जाता है। ऐसी स्थिति में मिनिस्टरों का लिविंग और उनके रहनसहन में एक इस तरह का, क्योंकि अभी हमारे देश के लोगों का भौतिक दृष्टिकोण है और इसीलिए वह रहन-सहन के स्तर को अधिक महत्व देते हैं, यद्यपि हमें ऐसे दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए लेकिन जैसी कि वस्तुस्थिति है उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो इस दृष्टिकोण से यदि आज मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर या सभासचिव, जिनके उत्तरदायित्व के साथ खर्च का सवाल सम्बन्धित है उनके विषय में अगर हम इस बात पर गौर न करेंगे तो हमारा ख्याल है कि हम इस सम्बन्ध में उनके साथ न्याय न करेंगे। हमें साथ ही यह आश्चर्य होता है कि जहां मंत्रियों, उपमंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में इस प्रकार से विचार व्यक्त किए जाते हैं लेकिन आज तक इस प्रकार का आन्दोलन कभी विरोधी दल की ओर से नहीं चलाया गया कि आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० की जो हजार रुपये से ऊपर के रैन्क के आदमी हैं उनका वेतन घटाया जाय और वह अधिक न रहे। मैं जानता हूं कि विरोधी दल हमेशा उस जगह हिट करता है जहां सुभीते के साथ वह समझते हैं कि आघात किया जा सकता है और जहां से वे प्रत्याघात की बात समझते हैं उस जगह आघात करने का अधिक साहस उनमें अभी नहीं आया है। इसलिये जहाँ तक विरोधी दल की बात है

[श्री देवदत्त मिश्र]

मिनिस्टरों के सम्बन्ध में या डिप्टी मिनिस्टरों के सम्बन्ध में उन्होंने जो बातें कहीं वह सब अव्यावहारिक थीं और ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको एक कैपिटल या पूंजी बनाया है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ प्रचार के लिए।

माननीय जयपाल सिंह जी के भाषण को सुना, उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि उनको इस बात की होड़ है कि आज एक मिनिस्टर १,२०० रुपया मासिक प्राप्त करता है तो क्या वजह है कि एक सदस्य को भी वैसा ही वेतन प्राप्त न हो। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस दौड़ का कहीं अन्त नहीं है, हजार बारह सौ पाने वाला मिनिस्टर, उनके बाद ३,००० रु० पाने वाला कमिश्नर, और उसके बाद हजार और ३ हजार रोजाना पैदा करने वाले पूंजीपति, तो ऐसी हविस को सामने रख कर और उससे गाइड होकर हम यदि अपने को रुपयों से आंकने बैठें तो हम उसका पारावार नहीं पा सकते। इसलिये मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जितना मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन से सम्बन्धित है वह सब जैसे का तैसा रहने दिया जाय किन्तु सदस्यों के सम्बन्ध में जो कुछ है वह सब निकाल दिया जाय। हम नहीं चाहते हैं, आज देश की ऐसी स्थिति होती और देश का जनसाधारण स्वयं यह महसूस करता कि नहीं हमारे माननीय सदस्यों को वेतन अधिक मिलना चाहिये, उनको अधिक सुविधायें मिलनी चाहिये तो हमें उनको लेने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन यदि आज इस प्रकार कोई धारणा नहीं है तो मैंने जैसा कहा कि सदस्यों को जो सुविधायें दी गई हैं वह रहने दी जायं। वे सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर आये हैं उन्होंने इस मार्ग को इसीलिये अपनाया है, उनका कार्य चल रहा है और चलता रहेगा इसलिये थोड़ी बहुत सी सुविधायें देकर के जिससे कोई विशेष लाभ उनको नहीं होना है वह केवल आना पाई तक इधर उधर हिसाब किताब बराबर होगा। यह उनके खिलाफ एक प्रचार का साधन पैदा करना है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सारा अंश जो सदस्यों से सम्बन्धित है वह बिल से निकाल दिया जाय और बाकी जैसे का तैसा विधेयक सम्पूर्ण वह पारित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो नहीं चाहता था कि मैं इस बिल के बारे में अपने विचार प्रकट करूं लेकिन कुछ भाषणों को सुनने के बाद कुछ ऐसा मन में आया कि कुछ कह देना आवश्यक है। माननीय मिश्र जी ने स्वयं मिनिस्टरों की चर्चा की। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों चर्चा की क्योंकि इसमें मिनिस्टरों का तो जिक्र नहीं है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर और दूसरे लोग हैं उनकी बात है। अब प्रश्न यह है कि इसमें सदस्यों के वेतन बढ़ाने की बात नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा है उसका क्या आधार है, वही जानते हैं। कुछ थोड़ी सी सुविधायें बढ़ाई गई हैं मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि सुविधायें बढ़ाई जायं लेकिन इस बात का हामी जरूर हूं कि कम से कम विधेयकों के रहने के लिये.....

अधिष्ठाता—यह (विधेयक) शब्द नहीं है (विधेयक) है।

श्री जोरावर वर्मा—विधायकों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये चाहे उनसे किराया ही क्यों न लिया जाय क्योंकि ऐसा न करने से हमारे यहां ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जो आज चार साल से अकेले रह रहे हैं और उनके ऊपर रोजाना चार रुपये यानी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१२० रुपये मासिक के हिसाब से लदता चला जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि विधायक इस नियम का उल्लंघन करते आये हैं वे सही या हमारी यह गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो अधिकारीवर्ग उस कार्य को सम्पादित करते हैं वह सही कर रहे हैं। मेरे पास भी इस प्रकार का एक नोटिस पहुंच गया है कि आप अकेले रह रहे हैं। आपके साथी थे वह चले गये वह दूसरी जगह जा रहे हैं इसलिये यदि आपने साथी न चुना तो आपके ऊपर चार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया लिया जायगा। इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाय? क्योंकि जो विधायक चार साल से रह रहे हैं उनके ऊपर कोई किराया नहीं लगाया गया और जो सदस्य दो या तीन रहते थे उनके ऊपर सवा दो सौ या साढ़े चार सौ के हिसाब से जिन सदस्यों ने पे नहीं किया उनके सेलरी बिल से काट लिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से दो प्रकार के नियम बने हुए हैं जिनसे सम्बन्धित अधिकारी उन सदस्यों का किराया तो काट सकते हैं जो कानून के अनुसार तो कमसकम चलते हैं लेकिन जो सदस्य अनियमित रूप से चल रहे हैं नियमों का उल्लंघन करके रह रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, उनके सैलरी बिल से कोई रुपया नहीं काटा जाता। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा कम से कम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या वह विधायकों से यह चाहते हैं कि जो सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अनियमित रूप से चल रहे हैं क्या उस तरीके को अपनायें ताकि जो उन पर कम से कम किराया लगता है उससे भी उनको छुट्टी मिले या उस तरीके को अपनायें जिससे नियमों का पालन हो? परिस्थिति कुछ भी हो मेरा माननीय मंत्री जी या सरकार से यह निवेदन है कि विधायकों के लिये रहने की सुविधा का प्राविजन अवश्य ही करना चाहिये। अगर वह उनके रहने का फ्री प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ वे समझते हैं उसके अनुसार चार्ज करना चाहिये लेकिन किसी भी सदस्य के लिये, इस प्रकार से एक आर्डिनेंस पहुंच जाना कि तुम अगर साथी नहीं ढूंढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर चार रुपये रोज या १२० रुपये मासिक किराया ठोंका जायगा, एक बहुत ही बेहूदा बात होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? अधिष्ठाता महोदय, आपको तो डबुल सीटेड या ट्रबुल सीटेड कमरे में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.....

अधिष्ठाता—मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जोरावर वर्मा—तब तो मैं समझता हूं कि जो नियम बना हुआ है शायद उसका उल्लंघन करके आप रह रहे होंगे तभी वे सुविधायें प्राप्त होंगी जो हमको नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी कम से कम इस बात का उत्तर देंगे कि जो आदमी नियमित रूप से चलेगा उसके साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी या जो आदमी नियमों का उल्लंघन करके करके चलेगा उसको फ्रीडम दी जायगी। तो आखिर जब हम विधायक ही इस प्रकार से कानून के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो साधारण जनता आखिर क्या सोचेगी और हम साधारण जनता से आखिर क्या अपील कर सकेंगे क्या कह सकेंगे कि वे नियमों का या कानूनों का जो हम बनाते हैं उनका इस प्रकार से पालन करें। मुझे मालूम है, पहले से भी कई सदस्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने संभवतः किराया नहीं चुकाया। कुछ मिनिस्टर भी ऐसे रहे हैं जिनका किराया बाकी रहा और गवर्नमेंट को उसे छोड़ देना पड़ा तो यह गवर्नमेंट कम से कम इस बात का निर्णय कर ले कि वह विधायकों से क्या चाहती है? गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे विधायक नियमित रूप से कार्य करें या अनियमित रूप से कार्य करें? तो मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी सदस्यों के रहने के लिए व्यवस्था अवश्य करें। अगर वह फ्री रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ मिनिमम ले सकते हैं वह लें। लेकिन किसी भी सदस्य को इसके लिये बाध्य न करें कि उनको साथ-साथ अवश्य

[श्री जोरावर वर्मा]

रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के लिये जो मेडिकल एड की बात है वह चूंकि अभी चल ही रहा है और यह सदन के सामने है इसमें परिवार की व्यवस्था चूंकि अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा की फेमिली की जो परिभाषा हैं, उसी को लागू करते होंगे, लेकिन अभी एक माननीय सदस्य को इस पर भ्रम हो गया था। पता नहीं कि वह सही भी हों तो परिवार की परिभाषा में फूफा और दूसरे रिलेटिव सम्मिलित हो सकते हैं और उनके कारण बहुत सा खर्च गवर्नमेंट का बढ़ जायगा। तो इस प्रकार अननेससरी एक्सपेंडीचर पब्लिक एक्सचेकर पर बढ़ेगा। चूंकि सदस्य रहने से और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर हो जाने से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं यह माननीय सदस्यों को बहुत कुछ भ्रम है। जितना सदस्य को मिलता है वह तो डिप्टी मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को मिलता ही है और जो वह जनता की सेवा करते हैं उसके बदले में उनको आने-जाने का किराया और तमाम वह सुविधाएं जो इसमें बतायी गयी हैं पहले से ही मिल रही हैं। इसमें जो तनख्वाह बढ़ाने वाली व्यवस्था है मैं समझता हूं कि यह नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार जब कि पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है यह उचित नहीं है।

अधिष्ठाता—माननीय रतनलाल जैन आप की बेंच पर काफी शोर हो रहा है।

श्री जोरावर वर्मा—तो मैं यह कह रहा था कि जो इसमें वेतन वृद्धि की मांग निहित है वह अनुचित है। सरकार के लिए यह अच्छा है कि इसको वह पेश न करे या पास न करवाए। इसमें विधायकों के आने जाने के लिये सत्रकालीन किराया फर्स्ट क्लास का दिया जायेगा। इसमें सत्र का कार्यकाल होगा या सत्र जब तक जारी रहेगा यह साफ नहीं है। गवर्नमेंट का इससे क्या मकसद है? अगर गवर्नमेंट सुविधाएं देना चाहती थी तो प्रारम्भ से दे सकती थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरी समझ में यही आया कि वह जानती है कि एलेक्शन सर पर है। शायद इसलिए बिल लाया गया है ताकि माननीय सदस्य यहां रहें या न रहें। लेकिन जो उनके चुनाव क्षेत्र हैं वहां जाकर अपना कार्य कर सकें और इस समय में उनको पैसे कम न पड़ें इसलिए यह प्राविजन लाया गया है। दूसरे यह कि चूंकि सदस्यों को चुनाव लड़ना है इसलिए उनके लिए सुविधा एक साल के लिए हो। लेकिन जो अगला आने वाला लेजिस्लेचर हो उसके लिये वह सुविधाएं अभी से कायम कर दी जायं। तो मैं समझता हूं कि जब कि समय बहुत कम रह गया है इस प्रकार की सुविधाएं हमारे सदन के माननीय सदस्यों को नहीं प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से चार साल व्यतीत हो गये, एक साल के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन दे कर अगली के लिए इस प्रकार की परिपाटी करवा लेना और अधिकारियों को इतनी तनख्वाह टी० ए०, डी० ए०, कनवेंस, कम्पेंसेटरी एलाउन्स की व्यवस्था करवा लेना उचित नहीं है। इसलिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें जो रुपया हमारे उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था की गई है वह इसको वापस ले लें और इस ढंग से इसको रखें ताकि जनता में असन्तोष न हो और यह कम से कम, रुपया प्राप्त करने वाला न स्थान हो।

†**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)—मान्यवर, जो संशोधन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत बिल में किया है और जैसा कि आपने भी आज्ञा दी कुछ नये संशोधन प्रस्तुत

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के लिए तो मैं भी एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि माननीय जयपाल सिंह जी के संशोधन में.....

अधिष्ठाता—मैंने तो कभी आज्ञा नहीं दी संशोधन प्रस्तुत करने की ।

श्री रामेश्वरलाल—जयपाल सिंह जी ने किया तो था, श्रीमन्, मैं रख रहा हूं। आप चाहें तो इजाजत दीजिएगा चाहे मत दीजिएगा। मेरा संशोधन यह है:—

"यह बिल प्रवर समिति को सिपुर्द कर दिया जाय जो ५ वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है उस संशोधन के पक्ष में कुछ निवेदन करना है। सबसे पहले जब मैं इस बिल को देखता हूं और इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ता हूं तो उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि प्रतिष्ठा या परिस्थिति या इज्जत भारी बनाने के लिए सदन के कुछ माननीय सदस्यों को...

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रवर समिति के लिए कोई विधेयक ५ साल के लिए भेजना नियम के अन्तर्गत है या नहीं? यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है.....

अधिष्ठाता—साहब, संशोधन उपस्थित कोई नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि संशोधन आप नहीं उपस्थित कर सकते। वह तो अपने भाषण में उसे कह रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब इसके उद्देश्य और कारणों पर हम नजर डालते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए सदन के कुछ माननीय सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाना, आवास आदि का प्रबन्ध करना, या गमनागमन के साधन प्रस्तुत करना, यह आवश्यक हमारी सरकार ने समझा है और इसलिए यह बिल उसने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। प्रतिष्ठा बढ़े, श्रीमन् इससे कौन इनकार करेगा? लेकिन मैं बहुत देर से इस पर विचार कर रहा था कि आखीर यह प्रतिष्ठा किसकी नजरों में बढ़ी, जनता की नजरों में या माननीय मन्त्रियों की नजरों में या यह जो सरकार है उसकी नजरों में? जहां तक श्रीमन्, जनता का सवाल है, जनता की नजरों में हमारी प्रतिष्ठा है। यह आपके बढ़ाने से नहीं बढ़ती। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि एक जमाना था आज से दस बारह वर्ष पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत यहां पर थी तो इस सदन के कुछ माननीय सदस्य जो आज राजा महाराजा के नाम से हमारे सामने साथ बैठा करते हैं, वह लोग हमारे ही कुछ लोगों को अपने घरों में चारपाई या कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन जनता ने प्रतिष्ठा दी और आज नतीजा यह है कि महाराजकुमार बालेन्दुशाह जहां बैठते हैं वहीं उनके सामने बहुत से वह भाई शिवनारायण जी जैसे या और वह भाई भी बैठते हैं।

श्री अधिष्ठाता—ज्यादा अच्छा हो अगर माननीय सदस्य किसी का नाम न लें।

श्री रामेश्वरलाल—इसमें मैं कोई अपमान की बात नहीं कह रहा हूं। मान्यवर, तो मैं यह समझता हूं कि जनता ने हमको प्रतिष्ठा दी है। लेकिन वह प्रतिष्ठा देने के बाद भी सरकार के कुछ कार्यकलापों के बाद जनता की नजरों में आज हमारी क्या प्रतिष्ठा है इस प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में सारा सदन उससे अवगत है। यदि मैं यह कहूं कि जनता की भावनाओं का द्योतक हमारे कवि हैं, हमारे लेखक हैं, हमारे पत्र हैं, हमारे पत्रकार हैं तो यह सदन जानता है कि लेखकों ने जो कुछ भी भावनायें प्रदर्शित की हैं, कवियों ने जो कुछ भी लिखा है, उसे अगर हम जानते हों तो हम जान सकते हैं कि हमारी

[श्री रामेश्वरलाल]

जो प्रतिष्ठा है उसे सरकार ने कितना बढ़ाया है? श्रीमन्, मैं एक कवि की कविता पढ़ देना चाहता हूं। कविता इस प्रकार है जो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है वह सदन जान जायेगा—

"कल घुरहू पांडे को देखा लिये हाथ में लोटा,
आज उन्हीं के हाथों में है राजदंड का सोंटा।
कल थे दुबले, पतले, मरियल बढ़ा हुआ था झोंटा,
आज उनका खन्सामा, औ बेयरा तगड़ा मोटा।
दावत खाने, फिल्म देखने से न उन्हें फुर्सत है,
पर भूखों की लाशों पर होता ऐशो इशरत है।"

यह एक कवि की कल्पना है, जो इसमें कही गयी है। मान्यवर, यह कवि ने जो लिखा, बिल्कुल हम इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं कि आज एक कवि कहना चाहता है कि गांव में रहने वाले भूखे लोग तड़प-तड़प कर मरते हैं और हम चाहे वह दो सौ रुपया या दस रूपये के रूप में.....

अधिष्ठाता—अभी तो आप और बोलेंगे शायद?

श्री रामेश्वरलाल—जी हां?

अधिष्ठाता—तो आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ जनवरी, १९५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

सूची

मांगें	उत्तर
(१) फैक्टरी चलते हुए १४ मास हो चुके पर पुराने कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया, यद्यपि वे स्थायी प्रकार के पदों पर प्रारम्भ से ही काम कर रहे हैं। लगभग ८०० कर्मचारियों में से केवल २४१ ही नियमित माने गये हैं इनकी सूची भी ज्येष्ठता के आधार पर नहीं बनी है, और उनके पद आदि के नामकरण भी गलत रूप से दर्ज हैं जिन्हें यूनियन के कहने पर भी ठीक नहीं किया गया।	(१) फैक्टरी के पदों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है। जहां तक नियमित रूप से नियुक्ति का प्रश्न है उसके लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है। अब तक ३२७ जगहों के लिये आदेश जारी हो चुके हैं। ज्येष्ठता की सूची यथासंभव ठीक बनी है पर यदि कोई गलती बताई जायगी तो उस पर विचार करके उचित कार्यवाही की जायगी।
प्रमाणित Standing Orders के अभाव में ज्येष्ठता आधार जानना भी कठिन है।	Standing Orders बन गये हैं और उन्हें श्रम कमिश्नर से प्रमाणित कराने की कार्यवाही की जारही है।
(२) जिन्होंने निर्माण (erection) में कार्य किया था उन्हें १५ दिन का ex-gratia वेतन मौखिक आश्वासन देने पर भी नही दिया गया।	(२) इस प्रकार का कोई मौखिक आश्वासन देने पर भी नहीं दिया मै अपने हाथों से किया था उन सबको इनाम के तौर पर से १५ दिन का वेतन दिया गया था। जिन लोगों ने निर्माण (erection) का कार्य था। शासन ने अब यह निर्णय किया है कि सुपरवाइजरों और क्लर्कों को भी जिन्होंने निर्माण (erection) का काम अपने हाथों से नहीं किया था किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्य में सहायक हुये थे, उन्हें भी यह १५ दिन के तनख्वाह का इनाम दिया जाय और इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही हो रही है।
(३) निवास के लिये क्वार्टरों की समस्या को अभी हल नहीं किया गया है। उन लोगों की क्वार्टर के किराये की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया है जिन्हें क्वार्टर अभी तक फैक्टरी की ओर से नहीं मिला है।	(३) किसी भी फैक्टरी के लिये वैधानिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने मजदूरों के लिये मकान बनाये और बहुत थोड़ी फैक्टरियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने मजदूरों के लिये मकान बनवाये हैं। किन्तु फिर भी चुर्क की फैक्टरी में वहां के काम करने वालों के लिये बहुत से क्वार्टर बनवाये जा चुके हैं और और भी क्वार्टर बनवाने के लिये २,८३,००० रुपये का व्यय इस वर्ष में मंजूर किया गया है। ऐसी दशा में इस सम्बन्ध की शिकायत निराधार है।

मांगे	उत्तर
(४) कोयले और सीमेंट की गर्द से बचाव का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है।	(४) क्लिकर स्टोर का एक भाग दीवार से ढक दिया गया है और ७१,९०० रुपये की लागत से स्टोर की तरफ भी दीवार उठाने का प्रबन्ध हो रहा है।
(५) ५० रुपये मासिक का न्यूनतम वेतन अभी तक चपरासियों तथा मेहतरों को नहीं दिया गया है, यद्यपि वे फैक्टरी के कर्मचारी (Workman) हैं।	(५) चपरासी और मेहतरों के लिये न्यूनतम वेतन की दर निर्धारित करने का प्रश्न (State wages Standardisation) Board और सरकार के विचाराधीन है।
(६) क्लर्कों को फैक्टरी ऐक्ट द्वारा स्वीकृत सुविधायें नहीं दी जाती हैं और बिना अतिरिक्त भत्ता दिये उनसे ७–८ बजे रात तक कार्य लिया जाता है।	(६) फैक्टरी के क्लर्कों को फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई सुविधायें प्राप्त हैं।
(७) १० जून, १९५५ के पत्र में वर्णित मांगों का जवाब नहीं दिया गया है।	(७) ७ जुलाई, १९५५ के पत्र में उचित जवाब दिये जा चुके हैं और उन पर उचित कार्यवाही भी की जा चुकी है।
(८) श्री हरभगवान नामक कर्मचारी पर यूनियन के कार्यों में सक्रिय भाग लेने के कारण अन्याय किया गया है। डम्पर ड्राइवर के पद पर लगभग ६ महीने से कार्य करते रहने पर भी उसे उस पद का वेतन तथा अतिरिक्त भत्ता कुछ भी नहीं दिया गया।	(८) श्री हरभगवान के साथ अन्याय होने तथा डम्पर ड्राइवर के पद पर काम करने के दिनों का वेतन न दिये जाने के आरोप निराधार तथा असत्य हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

सूची

(१) प्रारम्भिक खोजे, प्लेन टेबुल सर्वे (plane table survey) और भूगर्भ सम्बन्धी अनुसन्धानपूर्ण होने के पश्चात् बांध का केन्द्र उस जगह निश्चित किया गया ।

(२) २२५ लाख क्यूबिक फीट (c. ft.) के निश्चित मात्रा में से १२२ लाख क्यूबिक फीट (c. ft.) भूमि और चट्टान का उड़ान बांध की नीवों, दाहिने और बायें सीमाओं और स्विचयार्ड (switchyard) क्षेत्र में पूरा किया गया।

(३) मई, १९५५ से हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड बाम्बे (Hindustan Construction Co. Ltd.) इस कार्य को कर रही है जिसे मुख्य बांध और उसके लगावों (appurtenances) के निर्माण के लिये (contract) दिया गया है ।

(४) नदी के शिशिरकालीन धारा को बदलने के लिये दाहिने किनारे के साथ गहरे स्रोत (नाले) के निर्माण से नदी का परिवर्तन कार्य प्रगति में है, और लगभग ४ लाख क्यूबिक फीट का काम और चट्टान का काटना इस सम्बन्ध में पूरे किये गये हैं।

(५) मशीन सम्बन्धी निर्माण और उसके निर्माण करने का खाका का विवरण निर्णीत हुआ है, और आज्ञायें मशीन के लिये जारी की गई हैं। आशा की जाती हैं कि मई, १९५६ से उनका आना प्रारम्भ हो जावेगा।

(६) डिजिल पावर स्टेशन के लिये (Diesel Power Station) ५०० किलोवाट के तेल के ६ इंजन सेट (engine set) और आवश्यकीय साधन स्वीकृत हुये हैं, और इरेक्टर्स (erectors) यूनाइटेड किंगडम से आये हैं। टी० सी० एम० (T. C. M.) के जरिये मिलने वाले साधन आ गये हैं, और क्रेन्स (cranes), ट्रेलर्स (trailers) आदि के लिये आज्ञायें भारी-भारी साधन को संभालने के लिये जारी की गई हैं। स्थायी पावर हाउस के लिये सामग्री खरीदने के लिये टेन्डर्स (tenders) मांगे गये हैं।

(७) ३३ के वी (33 k. V.) इलाहाबाद, राजा का तालाब लाइन (line) का कार्य प्रगति में है।

(८) ६६ के बी (66 k. V.) द्विगुण बिजली के धारा मंडल (double circuit) के बुर्ज (towers) बनाये गये हैं, और उनके फैब्रिकेशन (fabrication) का काम गवर्नमेंट वर्कशाप (workshop) को दे दिया गया है। लाइन (line) का निर्माण जनवरी, १९५६ से चालू करने की आशा की जाती है।

(९) रिहन्ड ट्रान्समिशन सिस्टम (Rihand Transmission System) जैसा नेटवर्क एनलाइजर (Network Analyser) पर बनाया गया है, केन्द्रीय वाटर और पावर कमीशन (Central Water and Power Commission) द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(१०) १३२ के वी लाइन (132 k. V. lines) के लिये, टेन्डर्स लेने के लिये विशेष व्यवस्थायें जारी की जा रही हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

अप्रैल से अगस्त, १९५५ तक थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में हुई चोरियां, डकैतियां, कत्ल और बलवों की संख्या।

नाम ग्राम	चोरी	डकैती	कत्ल	बलवा
१—मैलूर ..	..	१	..	..
२—प्यारेपुर ..	..	१	..	..
३—पंचमहला ..	..	..	..	१
४—केशवपुर ..	१	..	..	..
५—दुबरी ..	४	..	..	..
६—भैरोंपुर ..	१	..	..	..
७—सिपाह ..	१	..	..	..
८—गाजियापुर	१	..	..	..
९—लौरा ..	१	..	..	..
१०—गोबराडीह	१	..	..	..
११—गुरूमाह ..	१	..	..	..
१२—बनकटा ..	१	..	..	..
१३—लखनोर ..	१	..	..	..

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

वर्ष	परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये मुन्सिफी परीक्षा में सुरक्षित रखे गये स्थान की संख्या	परिगणित जाति के उम्मीदवारों की संख्या जो मुन्सिफ नियुक्त किये गये
१९५१	—	१
१९५२	१	१
१९५३	३	१
१९५४	७	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

To

THE HON'BLE MINISTER OF FORESTS,
UTTAR PRADEH,
LUCKNOW.

SIR,

A deputation of the Subordinate Forest Services waited on your honour on october 19, 1955. Matters regarding pay, promotion and special pay were represented. Your honour in the end asked for a summary note embracing all the points raised and discussed. A summary note therefore is submitted herewith for your honour's kind consideratin.

1. There are following ranks in the Subordinate Forest Services:

Rank	Sources of Recruitment	Academic Qualifition for recruitment
1. Forest Ranger ..	.. Partly by direct recruitment, partly by promotion from Dy. Rangers. Direct recruits are selected by P. S. C. and undergo two years, training before appointment.	Minimum Inter Science. But selected ones are almost all graduates.
2. Deputy Ranger	.. By promotion of Foresters who are trained for year.	As for foresters. Entirely a promotion cadre. High School.
3. Forester ..	.. Partly direct, partly by promotion from Forest Guards.	High School one year training.
4. Forest Guards ..	.. By direct recruitment. Some of them get 3 months, training.	Middle Vernacular.

2. Status of a Forest Ranger is that of an Inspector of Police and on the same line that of a Tahsildar. This was recognized from the very biginning, since the inception of the Forest Department, *vide* Forest Manual, article 97. Based on this a tabular statement of correspor ding ranks in different departments is produced below :

Forest Department	Revenue	Police	Jail
1. Forest Ranger ..	Tahsildar ..	Inspector ..	Jailor.
2. Deputy Ranger ..	Naib-Tahsildar ..	Sub-Inspector ..	Deputy Jailor
3. Forester	Supervisor Kanoongo ..	..	..
4. Forest Guards ..	Patwaries.. ..	..	

3. A Pay Committee was set up in 1947 to remove "serious defects and introduce an element of reason into the existing riotous situation". While making recommendation the financial aspect was considered threadbare by the Committee as "prescribed by the terms of reference". The Committee analyzed and appreciated the adverse conditions of service of Forest Subordinates in the heart of jungles deprived of all amenities for education and medical help, and recommended a resasonable scale of pay for Forest Rangers and Deputy Rangers.

The Government did not accept the recommendations in respect of Subordinate Forest Services and "Serious riotous situation still continues".

A tabular summary pay scales of various sister services is reproduced below:

Name of service	Pay scale recommended by Committee	Pay scales awarded by Government
	Rs.	Rs.
1. Inspectors of Police ..	200 to 450 ..	200 to 400.
2. Tahsildars	200 to 400 ..	200 to 400
3. Jailors	200 to 400 ..	200 to 400
4. Senior Auditors ..	200 to 400 ..	200 to 450.
5. Sub-Registrar	120 to 300 ..	150 to 350.
6. Forest Rangers ..	200 to 450 ..	120 to 300.
	Rs.	Rs.
1. Sub-Inspector	120 to 300 ..	120 to 200.
2. Naib Tahsildar ..	120—300 ..	120—200
3. Dy. Jailors	120—300 ..	120 – 300
4. Junior Auditor ..	120—300 ..	120 to 250.
5. Dy. Ranger	120—300 ..	75 to 120. only

Pay Committee report pages 511 and 150 may be perused. Special attention invited to evidence given By Sri A. E. Foot, HeadMaster, Dun Public School, page 382 of the report also needs perusal.

4. It will be found from above that the Government accepted the recommendations of Pay Committee for all Subordinate Services. Only it was rejected in case of Subordinate Forest Services. In some cases, higher pay scales have been sanctioned by Go vernment than what was recommended by the Committee, such as Sub-Registrar, Jailors, Veterinary Assistant Surgeons and Patwaries.

5. From the above, it is clear that the subordinate services of the Forest Department alone have been neglected and ill-treated and they are the Worst Sufferers.

6. Some of the Pay Scales are most anomalous. Foresters scale of pay

is Rs. 60 to 110. Cadre of Deputy Rangers is a cadre of promotion for Foresters, yet the scale of pay of Depty Ranger is Rs. 75 to Rs. 120. What a small higher range in the promotion post ? Indeed a poor incentive for work.

7. Pay scales of senior-most subordinate service in other Departments oscillate between Rs. 200 to 400. Cadre of Forest Rangers is the senior-most subordinate service of the Forest Department. It is an irony of fate that their scale of pay is only Rs. 120 to Rs. 300. Our fate in the period prior to 1947 in respect of pay scale was by no means adequate. It was between that of Inspector of Police and Sub-Inspector. Pay Committee after sifting all facts and figures, in face of the then existing scales, classed us in the upper most ladder of subordinate services.

8. In view of all above, the restoration of scales recommended by Pay Committee for Rangers and Deputy Rangers will, alone, meet the ends of justice. It will go a long way to release a wave of efficiency, unseeen before in the subordinate Forest Services. to fit in the above the pay scale of Forest Services. To fit in the above the pay scale of Foresters and Forest Guards may be sanctioned as under :

	Rs.
Forester	75 to 120.
Forest Guards	40 to 80.

9. *Case for special pay*—From the very beginning special pay noted below were sanctioned for special jobs as in work plans, Training. schools, etc. :

	Rs. Per month
D. F. O.	50
Forest Ranger	25
Deputy Ranger	10
Forester	5

Of late, as ill-luck would have it, special pay of forester to Forest Rangers have been abolished and reduced on the ground of economy, but special pay of D. F. O. has been kept intact. It has made the poor poorer and is against all canons of equity and fairplay, and does not fit at all in a Welfare State.

10. *Case for promotion to higher Ranks—Promotion from Rangers to Assistant Conservators cadre*—Sanctioned cadre of the U. P. Forest Service is as under :

Name of post	Sanctioned cadre	No. filled by direct P. F. S. recruits	No. filled by promotion from Rangers
1. Chief Conservator	1	1	Nil.
2. Conservators	6	6	Nil.
3. Deputy Conservators	36	24	12
4. Assistant Conservators	33	33	Nil.
Total	76	64	12

Also there are 11 Temporary Gazetted Officers all filled up by promoted Rangers. Some of them have been serving in these temporary posts for as long as ten years and are very shortly due for retirement when they are doomed to retire as Forest Ranger, deprived of the benefits of their honest labour.

In addition two candidates will come out of Indian Forest College on April 1, 1955 and one in April 1, 1957, obviously to fill in the vacancies to be caused by retirement of Messers. S. S. Negi and J. R. Singha, the retired re-employed officers and Mr. D. L. Sah. Also advertisement for Training-course has appeared in the newspapers. The retirements from P. F. S. will take place only from amongst promoted officers between 1956 and 1969, excepting Sri. R. Saha, I. F. S. who retires in January, 1960.

Thus there is no case for recruitment of direct officers to this cadre even this year as the same will fill in the vacancy caused by retirement of promoted officers. And if this practice of recruiting one direct officer every year is continued to feed the Forest College, not one of the Rangers stands any chance of promotion to crash through the promotion barrier so created between 1956 and 1969 when the first directly recruited officer (Mr. R. C. Soni) retires. Nor does even one of the temporary A. C. F. s serving in temporary cadre stands any chance of coming over to the permanent cadre. His will be the unevenviable lot of retiring on Ranger's pay after having served for 10 and twelve years as A. C. F. This will have its consequent effects on Deputy Rangers and Forest Guards who in their turn will retire as Duputy. Ranger and Forest Guards after having served as Rangers and Foresters for 10 to 12 years. A gloomier prospect is unimagineable.

Also the plea of Department to continue direct recruitment to feed the Forest College is untenable as the running of the Forest College does not depend on one candidate from U. P. only. There are many other States which have genuine need of trained officers and they will be sending enough candidates to ensure the maintenance of that College.

Fixity of promotion pecentage for Rangers has been done away with, *vide* Rule 6 of Forest Department, Misc. G. O. no. 659/XIV—150-3, dated January 2, 1952. In nearly all other departments promotion percentage from lower to next higher cadres is fixed. It is therefore prayed that the above quoted rules may be suitabiy amended so that percentage of promotion for Rangers to gazetted ranks be fixed rigidly, and it should not be less than 50 per cent to redress the wrong done in the past.

Promotion of Deputy Rangers to Rangers Cadre—Forest Department, Misc. no. 434/XIV—194-26, dated April 17 1951, para 5 lays down that "Not more than 50 per cent of the total number. of post. of Forest Rangers may befilled by promotion". This has adversely affected the in terests of Deputy Rangers in as much as the rule remains uninfringed even if 5 per cent of the total number of Rangers post are filled by promotion. The rules have been abused already by filling in 112 out of 127 posts in permanent Rangers cadre by directly recruited Rangers. Thus at present only about 12 per cent of Rangers' cadre has been filled in by promotion of Deputy Rangers (Forest Rangers list as stood in July, 1955). It is, therefore, requested that the words "not more than 50 per cent" in the above G. O. be kindly amended to read "fifty per cent of the total number of posts of Forest Rangers may be filled by promotion".

Promotion of Eorest Guards—Forest Guards' case is akin to that of Deputy Rangers in the matter of promotion. Their promotion is governed by foot note to article 5 (c) (i) of the Forest Department. Misc. G. O. No. 435/XIV-194-26, dated April 7, 1951. It is essential to maintain the sustained and free flow of promotion of Forest Guards to higher ranks to ensure efficiency and provide an incentive for good work. At present subordinates of the ministerial service, e.g. Range Clerks, Asstt. Clerks, etc. are also appointed as Foresters and counted against promotion percentage of Forest Guards. It is not fare as it reduces the chances of promotion of Forest Guards. This article of the G. O. may be suitably amended to exclude the works "Other subordinates of long and meritorious service" and the words "not more than 50% in footnote substituted by" 5% of the total numuber of posts of Foresters will be filled by promotion.

Concluding—It is prayed that the two representatives of this Association may very kindly be called for, while discussing these with departmental head or the Secretary so that these points may be further clarified with more facts and figures in case any doubt arises.

The Association hopes that the lot of the Subordinate Forest Services will be ameliorated this time when your honour has personnally taken so much of trouble and interest, for which we shall remain ever grateful.

(Sd.) D. S. PANDE,
Forest Ranger,
General Secretary,
U. P. Subordinate Forest
Services Association.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश